# लोक-सभा वाद-विवाद

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 4th
# LOK SABHA DEBATES

[ तीसरा सत्र
Third Session ]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[ खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol.XI contains Nos. 21 to 30 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price* : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 30, शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1967/1 पौष, 1889 (शक)

*No. 30, Friday, December 22, 1967/Pausa 1, 1889(Saka)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 842. मद्रास पत्तन पर लौह-अयस्क की हानि | Loss of Iron Ore at Madras Port .. | 4205—4206 |
| 843. हल्दिया में निर्बाध व्यापार क्षेत्र | Free Trade Zone at Haldia .. | 4206—4207 |
| 844. दूध से बने खाद्य पदार्थों तथा विशुद्ध प्रोटीन वाले पदार्थों का उत्पादन | Production of Milk Food and Protein Isolates .. | 4207—4210 |
| 845. समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान | Companies' Contribution to Political Parties .. | 4210—4213 |
| 846. विदेशी मुद्रा की आय | Foreign Exchange Earnings .. | 4213—4216 |
| 850. औद्योगिक विकास में तकनीकी विकास महानिदेशक का योगदान | Role of D. G. T. D. in Industrial Development .. | 4216—4218 |
| 851. राजकीय व्यापार निगम द्वारा नायलोन का आयात | Import of Nylon by STC .. | 4218—4220 |
| 852. इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स, कलकत्ता | India Electric Works, Calcutta .. | 4220—4221 |
| अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No. | | |
| 17. औद्योगिक लाइसेंस नीति समिति | Industrial Licensing Policy Committee .. | 4221—4224 |


प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| | | |
|---|---|---|
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 847. सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग | Consumer Industries in the Public Sector.. | 4224 |


* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| ता० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | | |
| 848. कृत्रिम धागे का आयात | Import of Synthetic Yarn .. | 4224—4225 |
| 849. राजस्थान में नये कारखाने | New Factories in Rajasthan | 4225 |
| 853. रेलवे बोर्ड | Railway Board | 4226 |
| 854. कारों के बनाने में आयातित पुर्जों का प्रयोग | Use of Imported Components for Car Manufacturing .. | 4226—4227 |
| 855. बोकारो इस्पात परियोजना के लिये भवन निर्माण की सामग्री | Construction Materials for Bokaro Steel Project .. | 4227 |
| 856. किपिंग ऋण का उपयोग | Utilization of Kipping Loan | 4227 |
| 857. फाइव स्टैंड कोल्ड रालिंग मिल | Five Stand Cold Rolling Mill .. | 4227—4228 |
| 858. धनराज मिल | Dhanraj Mills .. | 4228 |
| 859. गैर-सरकारी कम्पनियों में अंशधारियों के संघों की स्थापना को प्रोत्साहन | Promotion of Shareholders' Association in Private Companies .. | 4228—4229 |
| 860. स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को जारी किये गये आरोप पत्र | Charge sheets on S. Ms. and A. S. Ms. .. | 4229 |
| 861. पश्चिम जर्मनी से आयातित डीजल इंजन | Diesel Locomotives imported from West Germany .. | 4229—4230 |
| 862. सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना | Setting up of Spinning Mills in Co-operative Sector .. | 4230 |
| 863. चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार | Trade with Czechoslovakia .. | 4230—4231 |
| 863-क ब्रिटेन से आयात की जाने-वाली पुस्तकें | Books imported from U. K. .. | 4231 |
| 864. खेतरी तांबा परियोजना | Khetri copper project .. | 4231—4232 |
| 865. संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार | Trade with UAR .. | 4232 |
| 866. बढ़िया किस्म के लौह-अयस्क की कुडरे मुख खानें | Kudremukh High Grade Iron Ore Mines.. | 4232—4233 |
| 867. केबलों का निर्माण | Manufacture of Cables .. | 4233—4234 |
| 868. हावड़ा रेलवे यार्ड | Howrah Railway Yard .. | 4234 |
| 869. नेरल माथेरान रेलवे लाइन को उखाड़ना | Dismantling of Neral Matheran Railway Line .. | 4234—4235 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | | |
| 870. पटसन तथा रुई का निर्यात | Export of Jute and Cotton .. | 4235 |
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 5413. दुर्बल सूती कपड़ा मिलें | Sick Textile Mills .. | 4235—4236 |
| 5414. सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में सहायक उद्योगों का विकास | Growth of Ancillary Industries in Public Sector Industries .. | 4236—4237 |
| 5415. कम्पनियों द्वारा लाइसेंसों की वापसी | Surrender of Licences by Companies .. | 4237 |
| 5416. तांबे की खानें | Copper Mines .. | 4237—4238 |
| 5417. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन | British India Corporation | 4238 |
| 5418. रेलवे कर्मचारियों को यात्रा पत्र (पास) | Passes to Railway Employees .. | 4238—4239 |
| 5419. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन | British India Corporation .. | 4239 |
| 5420. पश्चिम रेलवे के स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और टिकट क्लक्टर | S. Ms, A. S. Ms. and Ticket Collectors on Western Railway .. | 4240 |
| 5421. बर्तनों का निर्यात | Export of Utensils .. | 4240—4241 |
| 5422. सूती कपड़े का निर्यात | Export of Cotton Textiles .. | 4241 |
| 5423. पटसन का निर्यात | Export of Jute .. | 4241 |
| 5424. गुजरात में नये औद्योगिक कारखाने | New Industrial Units in Gujarat | 4242 |
| 5425. गुजरात में उद्योग | Industries in Gujarat .. | 4242—4243 |
| 5426. गुजरात में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें | Rural Industries Projects in Gujarat .. | 4243 |
| 5427. गुजरात का खनिज सर्वेक्षण | Mineral Survey of Gujarat .. | 4243—4244 |
| 5428. चारा तैयार करना | Manufacture of Cattle Feed .. | 4244 |
| 5429. महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना | Setting up of Industries in Maharashtra .. | 4245—4245 |
| 5430. आसाम में रेलवे लाइन | Railway Lines in Assam | 4245 |
| 5431. आसाम में औद्योगिक विकास | Industrial Development in Assam .. | 4245 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | | |
|---|---|---|
| 5432. विश्व में काजू की गिरी का निर्यात | World Export of Cashew Kernels .. | 4245—4246 |
| 5433. काजू की गिरी का निर्यात | Export of Cashew Kernels .. | 4246 |
| 5434. काजू से बनी वस्तुओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा | Foreign Exchange earned through Export of Cashew Products .. | 4247 |
| 5436. चार्टर्ड लेखापालों की फर्में | Firms of Chartered Accountants .. | 4247 |
| 5437. अचलपुर तथा यवतमाल के बीच गाड़ी | Train between Achalpur and Yeotmal .. | 4247—4248 |
| 5438. एलिचपुर यवतमाल सेक्शन के स्टेशनों पर शेड | Sheds on Stations on Ellichpur and Yeotmal Section .. | 4248 |
| 5439. सरस्वती नदी पर रेलवे पुल | Railway Bridge over Sarwswati River .. | 4248—4249 |
| 5440. काडी दुर्गा काटन मिल्स | Kadi Durga Cotton Mills .. | 4249 |
| 5441. राजस्थान में छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग | Small and Medium Scale Industries in Rajasthan .. | 4249 |
| 5442. राजस्थान में औद्योगिक परियोजनायें | Industrial Projects in Rajasthan .. | 4250 |
| 5443. नायलोन के धागे का मूल्य | Price of Nylon Yarn .. | 4250—4251 |
| 5444. रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड एक के क्लर्क | Clerks Grade I in Railway Accounts Department | 4251 |
| 5445. हिन्दुस्तान व्हीकल्स लिमिटेड फुलवारी शरीफ | Hindustan Vehicles Ltd. Phulwari Sharif | 4251—4252 |
| 5446. अजमेर डिवीजन में रेलवे अधिकारी | Railway Officers in Ajmer Division .. | 4252—4253 |
| 5447. खेत्री में उर्वरक कारखाना | Fertilizer Plant at Khetri .. | 4253 |
| 5448. बिड़ला कम्पनियों के शेयर | Shares of Birla Companies .. | 4253 |
| 5449. आगा खां और वाणिज्य मंत्री के बीच हुई बातचीत | Talks between Aga Khan and Minister of Commerce .. | 4253—4254 |
| 5450. मधु ब्रूअरीज, मध्य प्रदेश | Madhu Breweries, Madhya Pradesh | 4254 |
| 5451. रूरकेला इस्पात कारखाने में काम करने वाले पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति | Persons from East Pakistan employed in Rourkela Steel Plant .. | 4254 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 5452. भारत से लौह अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore from India .. | 4254—4255 |
| 5454. पश्चिम यूरोप के देशों को भारतीय चलचित्रों का निर्यात | Export of Indian Films to West European Countries .. | 4255 |
| 5455. खादी संवर्धन संगठन | Khadi Promotion Organisations .. | 4256 |
| 5456. पी० एल० 480 के अन्तर्गत तम्बाकू का आयात | Import of Tobacco under P. L, 480 .. | 4256 |
| 5457. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मशीनों की क्षति | Loss of Machinery at Durgapur Steel Plant .. | 4256—4257 |
| 5458. पाण्डे समिति का प्रतिवेदन | Pande Committee Report .. | 4257 |
| 5459. आयात तथा निर्यात व्यापार में लगी पूंजी | Investment in Import and Export Trade.. | 4257 |
| 5460. मीट्रिक प्रणाली आरम्भ करने पर व्यय | Expenditure on Switch over to Metric System .. | 4257—4258 |
| 5461. पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करार | Trade Agreements with East Europeans Countries .. | 4258—4259 |
| 5462. दुर्गापुर में पहिये और एक्सेल बनाने के कारखाने में बनी वस्तुएं | Products of Wheel and Axle Plant, Durgapur .. | 4259 |
| 5463. उर्वरक कारखानों की स्थापना | Fabrication of Fertilizer Plants .. | 4259—4260 |
| 5464. लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय का पुनर्गठन | Reorganisation of Office of the Iron and Steel Controller .. | 4260 |
| 5465. दिल्ली से बम्बई और लखनऊ से बम्बई के लिये मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां | Mail/Express Trains from Delhi and Lucknow to Bombay | 4260 |
| 5466. विवियन बोस आयोग का प्रतिवेदन | Vivian Bose Commission Report .. | 4261 |
| 5467. मेसर्स नानकचन्द शादी राम | M/s Nanak Chand Shadi Ram | 4262 |
| 5468. हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में काम | Jobs in Heavy Electricals Ltd., Bhopal .. | 4262 |
| 5469. हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना | Newsprint Factory in Himachal Pradesh.. | 4262—4263 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 5470. उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षण | Traffic Apprentices on Northern Railway | 4263 |
| 5471. पूर्व रेलवे के क्लर्कों को युद्ध के दौरान की सेवा का लाभ | War Service Benefit to Clerks on Eastern Railway .. | 4263—4264 |
| 5472. पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय में लिपिकों की पदोन्नति | Promotion of Clerks of C.C.S's Office, Eastern Railway .. | 4264 |
| 5473. ऐलगिन मिल्स लिमिटेड का ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन में विलय | Merger of Elgin Mills Ltd. with British India Corporation .. | 4264—4265 |
| 5474. स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों का तबादला | Transfers of S. Ms. and A. S. Ms. .. | 4265 |
| 5475. दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे में प्रशिक्षु (अप्रैंटिस) ड्राफ्टसमैन और एस्टीमैटर्स | Apprentice Draftsmen and Estimators on S. E. & E. Rlys. .. | 4265—4266 |
| 5476. स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति | Promotion of S. Ms. and A. S. Ms. | 4266 |
| 5477. पूर्व रेलवे पर दावा शाखा के लिपिक वर्ग | Clerical Staff of Claims Branch on Eastern Railway .. | 4266 |
| 5478. मलकागंज, दिल्ली के निकट कब्रिस्तान | Grave Yard near Malkaganj, Delhi | 4267 |
| 5479. दिल्ली में साफ्ट कोक की कमी | Shortage of Soft-coke in Delhi | 4267 |
| 5480. अखबारी कागज का मूल्य | Price of Newsprint .. | 4267—4268 |
| 5481. सीमेंट नियतन तथा समन्वय संस्था द्वारा दिया गया दान | C. A. C. O. Donations .. | 4268 |
| 5482. रेलवे विद्युतीकरण परियोजना | Railway Electrification Project .. | 4268 |
| 5483. मद्रास विधान-सभा के सदस्यों को मुफ्त रेलवे पास | Free Railway Passes to Madras M.L.As... | 4269 |
| 5484. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने में एकीकृत मजदूर संघ | Unified Trade Unions in Public Sector Steel Plants | 4269 |
| 5485. ढांचों वाला इस्पात बनाने के उद्योग में बेकार पड़ी क्षमता | Idle Capacity in Structural Steel Fabrication Industry .. | 4269—4270 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | | |
|---|---|---|
| 5486. लोहा ढलाईघरों की काम में न लाई जाने वाली क्षमता | Idle Iron Foundry Capacity | 4270 |
| 5487. लघु उद्योगों को ऋण देने के लिये संगठन | Organisation to give Loans to Small Scale Industries .. | 4270—4271 |
| 5488. रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के लिये आरक्षण का कोटा | Reservation Quotas for Intermediate Stations .. | 4271 |
| 5489. औद्योगिक विकास में तकनीकी महानिदेशालय का योगदान | Role of Planning Cell and D. G. T. D. .. | 4271 |
| 5490. पश्चिम बंगाल में हुए आन्दोलनों के कारण हुई हानि | Loss Due to Agitation in West Bengal .. | 4272 |
| 5491. नायलोन के धागे का मूल्य | Price of Nylon Yarn .. | 4272 |
| 5492. ब्लीडिंग मद्रास के निर्यात में कदाचार | Malpractices in the Export of Bleeding Madras .. | 4272—4273 |
| 5493. निर्यात तथा आयात | Exports and Imports .. | 4273—4274 |
| 5494. अशोक पेपर मिल्स, बिहार | Ashoka Paper Mills, Bihar .. | 4274 |
| 5495. इस्पात की लागत | Cost of Steel | 4275 |
| 5496. बैरल और ड्रमों का निर्माण | Manufacture of Barrel and Drums .. | 4275—4276 |
| 5497. रेलवे विभाग में हिन्दी शिक्षक | Hindi Instructors in Railway Department | 4276 |
| 5498. उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिये पूंजी निवेश-गृह | Investment House for the Development of Small Scale Industries in Uttar Pradesh | 4276 |
| 5499. नारियल जटा बोर्ड का अनुसन्धान उप-केन्द्र | Research Sub-Station of the Coir Board .. | 4277 |
| 5500. खादी का बिना बिका भण्डार | Unsold Store of Khadi .. | 4277 |
| 5501. चतरपुर गांव, दिल्ली, में कब्रिस्तान | Grave Yard in Chattarpur Village, Delhi | 4278 |
| 5502. वक्फ बोर्ड, दिल्ली | Wakf Board, Delhi .. | 4278 |
| 5503. दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों और इमामबाड़ों का किराये पर दिया जाना | Mosques and Imambaras given on rent by the Delhi Wakf Board .. | 4278—4279 |
| 5504. लघु उद्योगों पर मन्दी का प्रभाव | Effects of recession on small scale sector .. | 4279 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | | |
|---|---|---|
| 5505. फरक्का का औद्योगिक विकास | Industrial Development of Farakka | 4279 |
| 5506. फरक्का का औद्योगिक विकास | Industrial Development of Farakka .. | 4280 |
| 5507. लौह-अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore .. | 4280 |
| 5508. रेलवे के ड्राइवरों का विदेशों में भेजा जाना | Train Drivers sent abroad .. | 4280 |
| 5509. रेल की पटरियों और माल डिब्बों का निर्यात | Export of Rails and Wagons | 4281 |
| 5510. विदेशी सहयोग से खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों का उत्पादन करने वाली कम्पनियां | Companies producing Eatables and Drinks with Foreign Collaboration .. | 4281 |
| 5511. अमरीका से रुई का आयात | Import of Cotton from U.S.A. | 4281 |
| 5512. चरबी का आयात | Import of Tallow .. | 4281—4282 |
| 5514. औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा स्वायत्तशासी निगमों के लेखों की लेखा-परीक्षा | Audit of A/cs. of Public Sector and Autonomous Corporations under the Ministry of Industrial Development and Company Affairs .. | 4282 |
| 5515. इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के तथा स्वायत्तशासी निगमों के लेखों की लेखा-परीक्षा | Audit of A/cs of Public Sector and Autonomous Corporations under the Ministry of S. M. & M. .. | 4282—4283 |
| 5516. वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के तथा स्वायत्तशासी निगमों के लेखों की लेखा-परीक्षा | Audit of A/cs of Autonomous Corporations under the Ministry of Commerce .. | 4283 |
| 5517. मयूरभंज लाइट रेलवे लाइन का उखाड़ दिया जाना | Dismantling of Mayurbhanj light Railway Line .. | 4283—4284 |
| 5518. पीपे और ड्रमों का बनाना | Manufacture of Barrels and Drums | 4284 |
| 5519. दिल्ली और हावड़ा के बीच तेज एक्सप्रेस गाड़ी | Fast Express Train between Delhi and Howrah .. | 4284—4285 |
| 5520. राज्यों में कृषि पर आधारित उद्योग | Agro Based Industries in State | 4285 |
| 5521. टायर बनाने के कारखानें | Tyre Factories .. | 4285 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 5522. | कागज उद्योग में तकनीशियन | Technicians in Paper Industry .. | 4285—4286 |
| 5523. | उड़ीसा के फूलबानी जिले में उद्योग | Industries in Phulbani District of Orissa .. | 4286 |
| 5524. | औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के तथा स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन | Advertisement by Public Sector and Autonomous Corporations under the Ministry of Industrial Development and Company Affairs .. | 4286—4287 |
| 5525. | सहयोग करारों की जांच करने के लिये समिति | Committee for probe into collaboration Agreements .. | 4287 |
| 5526. | छोटी कार | Small Car .. | 4287 |
| 5527. | बम्बई का वस्त्र आयुक्त | Textile Commissioner, Bombay .. | 4287—4288 |
| 5528. | उपकरणों का मूल्य | Prices of Instruments .. | 4288—4289 |
| 5529. | मशीनरी का मूल्य | Prices of Machinery .. | 4289—4290 |
| 5530. | भारत का खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण | Mineral Survey in India .. | 4290—4291 |
| 5531. | रेलवे सलाहकार समितियों और रेलवे प्रयोक्ता समितियों का पुनर्गठन | Reconstitution of Consultative and Railway Users Committees .. | 4291 |
| 5532. | यात्री गाड़ियों का रुकना | Halts of passenger trains .. | 4291—4292 |
| 5533. | लौह सैकता धातुओं की कमी | Shortage of Ferro Silicon Metals .. | 4292 |
| 5534. | उड़ीसा में नये उद्योगों को लाइसेंस का दिया जाना | Licences for new Industries in Orissa .. | 4292 |
| 5535. | हरदा स्टेशन पर प्रतीक्षालय | Waiting Rooms at Harda Station .. | 4293 |
| 5536. | बुरहानपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म | Platform at Burhanpur Station .. | 4293 |
| 5537. | मध्य प्रदेश से हथकरघे से बने कपड़े का खरीदा जाना | Purchase of Handloom Cloth from M.P.. | 4293 |
| 5538. | देहाती क्षेत्रों में उद्योग | Industries in Rural Areas .. | 4294 |
| 5539. | चण्डीगढ़ स्टेशन | Chandigarh Station .. | 4294 |
| 5540. | चंडीगढ़ स्टेशन के रेलवे कर्मचारी | Staff at Chandigarh Station .. | 4294—4295 |
| 5541. | वातानुकूलन मशीनों का निर्यात | Export of Air conditioners .. | 4295 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| **अता० प्र० संख्या** | | |
| **U. S. Q. Nos.** | | |
| 5543. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हुआ घाटा | Loss suffered by National Coal Development Corporation .. | 4295—4296 |
| 5544. खनन उद्योग के लिये वित्तीय सहायता | Financial Assistance for Mining Industry | 4296 |
| 5545. आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन | Import Export Trade Control Organisation .. | 4296—4297 |
| 5546. इस्पात की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना | Price Determination of Steel Products .. | 4297 |
| 5547. चाय का निर्यात | Export of Tea .. | 4297—4298 |
| 5548. प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को प्रबन्ध निदेशक प्रणाली में बदलना | Change over from Managing Agency to Managing Directorship .. | 4298—4299 |
| 5549. प्रबन्ध एजेन्सियां | Managing Agencies .. | 4299 |
| 5550. फरीदाबाद में औद्योगिक संस्थापन | Industrial Establishments in Faridabad .. | 4299—4300 |
| 5551. हरिहर और कोट्टूर के बीच रेलवे लाइन | Rail Link between Harihar and Kottur .. | 4300 |
| 5552. दक्षिण मध्य रेलवे जोन में रेलवे स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना | Up-gradation of Railway Schools on S. C. Railway Zone .. | 4300 |
| 5553. डालमियापुरम स्टेशन के नाम को बदलना | Change of name of Dalmiapuram Station .. | 4301 |
| 5554. उत्तर रेलवे मुख्यालय में चीफ क्लर्क के पद पर नियुक्ति के लिये परीक्षा | Examination for appointment to the post of Chief Clerk in the N. Railway Headquarters office .. | 4301 |
| 5555. विदेशों में भेजे गये रेलवे अधिकारी | Railway Officers sent abroad .. | 4301—4302 |
| 5556. दिल्ली और नई दिल्ली में रेलवे औषधालय | Railway dispensaries in Delhi and New Delhi .. | 4302 |
| 5557. मध्य रेलवे में यात्री सुविधायें | Passenger amenities on Central Railway .. | 4303 |
| 5558. मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग | Cottage Industries in M.P. | 4303 |
| 5559. कोयला उद्योग के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशें | Wage Board recommendations for Coal Industry .. | 4303 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या | | |
| U. S. Q. Nos. | | |
| 5560. इस्पात पर से नियंत्रण हटाना | Decontrol of Steel .. | 4303—4304 |
| 5561. छोटे पैमाने के उद्योगों को इस्पात की सप्लाई | Supply of Steel to small scale Industries.. | 4304 |
| 5562. इस्पात की विभिन्न किस्मों पर से नियंत्रण हटाना | Decontrol of various qualities of Steel .. | 4304—4305 |
| 5563. छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखानों के लिये इस्पात का नियतन | Allocation of Steel to small scale Industrial Units .. | 4305—4306 |
| 5564. अकबरपुर टांडा ब्रांच लाइन को बन्द किया जाना | Closing of Akbarpur-Tanda Branch Line | 4306 |
| 5565. टंकारा भोरवी छोटी रेलवे लाइन का हटाया जाना | Dismantling of Tankara Bhorvi N. G. Line .. | 4307 |
| 5566. रद्दी लोहे (फैरस) का निर्यात | Export of Ferrous Scrap .. | 4307 |
| 5567. आसाम में पाये गये तांबे के निक्षेप | Copper Deposits Found in Assam .. | 4307—4308 |
| 5568. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर द्वारा जस्ते के कच्चे माल की बिक्री | Sale of Raw Material of Zinc by Hindustan Zinc Ltd., Udaipur .. | 4308 |
| 5569. भीलवाड़ा राजस्थान में अभ्रक उद्योग को दी गई रियायतें | Concessions to Mica Industry in Bhilwara, Rajasthan .. | 4308—4309 |
| 5570. राजस्थान में रेलगाड़ियों का धीमी गति से चलना | Slow Running of Trains in Rajasthan .. | 4309 |
| 5571. बिहार में रेशम का कारखाना | Silk Factory in Bihar .. | 4309—4310 |
| 5572. पंजाब मेल या टाटा एक्सप्रेस के साथ अतिरिक्त बोगी लगाना | Additional Bogie to Punjab Mail Tata Express .. | 4310 |
| 5573. पन्ना हीरे की खानों के भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर | Former Chief Engineer of Panna Diamond Mines .. | 4310—4311 |
| 5574. कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही | Disciplinary Action against Railway Employees .. | 4311 |
| 5575. अखिल भारतीय मोटरगाड़ी तथा सहायक उद्योग संघ | All-India Automobile and Ancillary Industries Association .. | 4311—4312 |
| 5576. रेलवे स्टेशनों पर गन्दगी | Insanitary conditions of Railway Stations.. | 4312—4313 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 5577. अफगानिस्तान से मेवों का आयात | Import of Dry Fruit from Afghanistan .. | 4313—4314 |
| 5578. पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात | Export of Engineering Goods to West Germany .. | 4314 |
| 5579. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग | Khadi and Village Industries Commission | 4314 |
| 5580. रेलवे कर्मचारियों की डाक्टरी जांच | Medical Examination of Railway Employees .. | 4314—4315 |
| 5581. टायरों का निर्माण | Production of Tyres .. | 4315—4316 |
| 5582. बांसपानी और पारादीप बंदरगाह के बीच रेलवे लाइन | Railway Line beetween Banspani and Pradeep Port .. | 4316 |
| 5583. पारादीप पत्तन को लौह-अयस्क का परिवहन | Transport of Iron Ore to Paradeep Port .. | 4316—4317 |
| 5584. दक्षिण पूर्व रेलवे में यात्री-गाडियां | Passenger Trains on S. E. Railway .. | 4317 |
| 5585. लौह-अयस्क का पारादीप पत्तन को परिवहन | Transport of Iron Ore to Paradeep Port .. | 4317—4318 |
| 5586. उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी सेक्शन की छोटी रेलवे लाइनों के प्लेटफार्मों पर शेडों का विस्तार | Extension of Platform Sheds on Kanga Valley N. G. Section of the Northern Railway .. | 4318 |
| 5587. वेयानाड, केरल में सोने के निक्षेप | Gold Deposit in Wayanad, Kerala .. | 4318—4319 |
| 5588. शिक्षा संस्थाओं को रेलवे द्वारा रियायतें | Railway Concessions to Educational Associations .. | 4319—4320 |
| 5589. 4 डाउन आसाम मेल का दुर्घटनाग्रस्त होना | Accident to 4 Down Assam Mail .. | 4320 |
| 5590. जोधपुर डिवीजन में अनुसूचित जातियों के रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान | Houses for Scheduled Castes Railway Employees in Jodhpur Division .. | 4320 |
| 5591 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा देय बिजली खर्च | Electricity Dues from Hindustan Steel Ltd. .. | 4320—4321 |
| 5592. लौह-अयस्क पर स्वामित्व की दरें | Rate of Royalty on Iron Ore .. | 4321 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
| --- | --- | --- |
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 5593. काजू तैयार करने का उद्योग | Cashew Nuts Processing Industry .. | 4321 |
| 5594. काजू के छिलके के तेल का निर्यात | Export of Cashew nut shell liquid | 4322 |
| 5595. यूनान को वन उत्पादनों का निर्यात | Export of Forest Produce to Greece .. | 4322—4323 |
| 5596. रेलवे के महाप्रबन्धकों का सम्मेलन | Conference of Railway General Managers | 4323 |
| 5597. पूर्वोत्तर रेलवे के गरहरा के अधीक्षकका कार्यालय | Office of Assistant Traffic Supdt. N.E. Railway, Garhara .. | 4323—4324 |
| 5598. राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात | Exports by STC and MMTC .. | 4324 |
| 5599. हस्तशिल्प उद्योग | Handicrafts Industry .. | 4324—4325 |
| 5600. मशीनी औजारों के उत्पादन का लक्ष्य | Production Target of Machine Tools | 4325 |
| 5601. औद्योगिक विकास की गति | Rate of Industrial growth .. | 4325—4326 |
| 5602. अलाभप्रद रेलवे लाइनों को हटाना | Scrapping of Uneconomic Railway Lines .. | 4326 |
| 5603. श्रीलंका को औद्योगिक विकास के लिये सहायता | Assistance to Ceylon for Industry Development .. | 4326—4327 |
| 5604. निर्यात नीति | Export Policy | 4327 |
| 5605. दिल्ली में पुलों और रेलवे फाटकों पर लगे हुए विज्ञापन पट्ट | Hoardings at Bridges and Level Crossings in Delhi .. | 4327—4328 |
| 5606. रेलवे सेवा आयोग | Railway Service Commissions | 4328 |
| 5607. मछली का निर्यात | Export of Fish .. | 4328—4329 |
| 5608. देहरादून एक्सप्रेस के पहले दर्जे के डिब्बे में विस्फोट | Explosion in First Class Compartment of Dehra Dun Express .. | 4329 |
| 5609. रेलवे में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर | Accommodation for Class III Staff on Railways .. | 4329—4330 |
| 5610. एक गियर फैक्टरी को एक अमरीकी फर्म द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी | Machinery supplied by US Firm to a Gear Factory .. | 4330—4331 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
| --- | --- | --- |
| अता० प्र० संख्या | | |
| U. S. Q. Nos. | | |
| 5611. पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी के गार्डों द्वारा आन्दोलन | Agitation by Railway Guards of N. E. Railway, Varanasi .. | 4331 |
| 5612. रूसी टैक्टरों के लिये पुर्जों का आयात | Import of spare parts for Russian Tractors .. | 4331—4332 |
| 5613. चीन से आयात | Imports from China .. | 4332 |
| 5614. उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात | Export of Consumer Goods .. | 4332 |
| 5615. माल के यातायात में कमी | Fall in Goods Traffic .. | 4333 |
| 5617. रुपये में भुगतान के आधार पर आयात | Imports against Rupee payments .. | 4333—4334 |
| 5618. शामगढ़ के निकट माल-गाड़ियों में टक्कर | Goods Train Collision near Shamgarh .. | 4334 |
| 5619. कोटा के निकट मालगाड़ियों की टक्कर | Collision of Goods Trains near Kotah .. | 4334—4335 |
| 5620. दक्षिण रेलवे तथा उत्तर रेलवे में रेलवे गार्डों पर आक्रमण | Attack on Railway Guards on the Southern and Northern Railways .. | 4335 |
| 5621. रेलवे गार्डों के लिये संगचल भत्ता | Running Allowance of Railway Guards .. | 4335—4336 |
| 5622. बम्बई डिवीजन में स्टेशनों को नये सिरे से बनाना | Remodelling of Stations in Bombay Division | 4336 |
| 5623. निर्यात के लिये नकद प्रोत्साहन की योजना | Scheme of Cash Incentives for Exports .. | 4336—4337 |
| 5624. मिलों द्वारा छोटे व्यापारियों से खरीदे गये पटसन के मूल्य का भुगतान | Payment by the Mills for Jute Purchased from Small Traders .. | 4337 |
| 5625. सरकारी कोटे में कारों के लिये पंजीयन | Registration of cars in Government Quota | 4337—4338 |
| 5626. कोयम्तूबर में बन्द हुई मिलों को पुन: चालू करना | Re-opening of Closed Mills in Coimbatore | 4338 |
| 5627. टिम्बर पार्टीकल बोर्डों का वर्गीकरण | Classification of Timber Particle Boards .. | 4338—4339 |
| 5628. मक्की का उत्पादन | Maize Production .. | 4339 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 5629. | मोरन सिमलगुडी रेलवे लाइन | Moran Simaluguri Railway Line .. | 4339—4340 |
| 5630. | संसद् सदस्यों को छोटे ट्रैक्टरों की सप्लाई | Supply of Small Tractors to M. Ps. .. | 4340 |
| 5631. | पूर्वी अफ्रीका के देशों को निर्यात | Exports to East African Countries .. | 4340—4341 |
| 5632. | रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण | Electrification of Railway Tracks | 4341 |
| 5633. | खनिज सर्वेक्षण और भूविज्ञान सम्बन्धी मानचित्र बनाना | Mineral Survey and Geological Mapping | 4341 |
| 5634. | रेलवे क्वार्टरों का गिराया जाना | Demolition of Railway Quarters .. | 4341—4342 |
| 5635. | रेडियो | Radio Receiver Sets .. | 4342—4343 |
| 5636. | रेलवे में संगणकों का प्रयोग आरम्भ करना | Introduction of Computors on Railways .. | 4343 |
| 5637. | रेलवे विभाग में, कार्मिक संघ | Trade Union Activities on Railways .. | 4343—4344 |
| 5638. | उत्तर रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा धरना | Dharna by Casual Labourers on N.Rly. .. | 4344 |
| 5639. | पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन में रेलवे कर्मचारी | Railway Staff on Jodhpur Division | 4344 |
| 5640. | रेलवे कालोनियों के निकट "आस्टेरिटी टाइप स्कूल" | Austerity Type Schools near Railway Colonies .. | 4344—4345 |
| 5641. | कपड़ा बनाने वाली मशीनों का उद्योग | Textile Machinery Industry .. | 4345—4346 |
| 5642. | पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान | Contributions by Public Ltd. Companies to Political Parties .. | 4346 |
| 5643. | रुई के मूल्य | Prices of Cotton .. | 4346—4347 |
| 5644. | आसाम में उत्पादित गंधक युक्त कोयले के वैकल्पिक | Alternative uses for Sulphur Rich Coal Produced in Assam .. | 4347 |
| 5645. | खली के निर्यात के लिये जहाजों में स्थान | Shipping space for Oil Cakes | 4347 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 5646. प्रथम श्रेणी के रेलवे अधिकारियों की पदोन्नति | Promotion of Class I Railway Officers .. | 4348 |
| 5647. पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे के कर्मचारियों (द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी) की अपदावनति | Reversion of S. C. & S. T. Railway Staff (Class II & III) on Western Railway .. | 4348—4349 |
| 5649. औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के लिये पद | Posts for Public Sector undertakings under the Ministry of I.D. and C.A. .. | 4349—4350 |
| 5649-क. दिल्ली से साइकिल के टायरों को चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना | Smuggling of Cycle Tyres out of Delhi .. | 4350 |
| 5650. भूमिगत जल संसाधन | Ground Water Resources .. | 4350—4351 |
| सभा के कार्य के बारे में | Re. Business of the House .. | 4351 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table .. | 4352—4355 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति | Committee on Private Members Bills and Resolutions .. | 4355 |
| कार्यवाही सारांश | Minutes | 4355 |
| प्राक्कलन समिति | Estimates Committee .. | 4356 |
| अठारहवां प्रतिवेदन | Eighteenth Report .. | 4356 |
| सामान्य बीमा पर सामाजिक नियंत्रण के बारे में वक्तव्य | Statement Re. Social Control over Geneal Insurance .. | 4356 |
| श्री मोरारजी देसाई | Shri Morarji Desai .. | 4356 |
| पिछले रेलवे बजट के दौरान संसद् सदस्यों द्वारा उठायी गयी बातों पर की गई कार्यवाही के बारे वक्तव्य | Statement Re. Action taken on points made by M.Ps. During Last Railway Budget .. | 4356 |
| मंगलौर पत्तन परियोजना के बारे में वक्तव्य | Statement Re. Mangalore Harbour Project .. | 4356 |
| डा० वी० के० आर० वी० राव | Dr. V. K. R. V. Rao .. | 4356 |
| बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 693 के उत्तर की शुद्धि | Correction of Answer to S. Q. No. 693 Re. Bokaro Steel Plant .. | 4356 |

| विषय | SUBJECT | | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| संविधान (संशोधन) विधेयक | Constitution (Amendment) Bill | .. | 4357 |
| संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति | Appointment of Member to Joint Committee | | 4357 |
| अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव | Motion Re. International Situation | .. | 4357—4370 |
| श्रीमती इन्दिरा गांधी | Shrimati Indira Gandhi | .. | 4357—4359, 4369—4370 |
| श्री मी० रु० मसानी | Shri M. R. Masani | .. | 4360—4361 |
| श्री संत बख्श सिंह | Shri Sant Bux Singh | .. | 4361—4362 |
| श्री म० ला० सोंधी | Shri M. L. Sondhi | .. | 4362—4364 |
| श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा | Shri Inder J. Malhotra | .. | 4364 |
| श्री विश्वनाथन् | Shri G. Viswanathan | | 4365 |
| श्री विक्रम चन्द महाजन | Shri Vikram Chand Mahajan | .. | 4365—4366 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | Shri Indrajit Gupta | .. | 4366—4367 |
| श्री रा० कृ० सिंह | Shri R. K. Sinha | .. | 4367 |
| श्री राममूर्ति | Shri P. Ramamurti | .. | 4367—4368 |
| श्री महराज सिंह भारती | Shri Maharaj Singh Bharati | .. | 4368—4369 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति | Committee on Private Members Bills and Resolutions | | 4370 |
| अठारहवां प्रतिवेदन | Eighteenth Report | .. | 4370 |
| साहिबी नदी योजना के बारे में संकल्प-स्वीकृत | Resolution Re. Sahibi Nadi Scheme Adopted | .. | 4371—4373 |
| श्री गजराज सिंह राव | Shri Gajraj Singh Rao | | 4371 |
| श्री रघुवीर सिंह शास्त्री | Shri Raghuvir Singh Shastri | .. | 4371 |
| श्री भोला नाथ | Shri Bhola Nath | .. | 4371—4372 |
| श्री सरजू पाण्डेय | Shri Sarjoo Pandey | .. | 4372 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | | 4372 |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | Shri Onkar Lal Berwa | .. | 4372 |
| श्री दी० चं० शर्मा | Shri D. C. Sharma | .. | 4372 |
| श्री महाराज सिंह भारती | Shri Maharaj Singh Bharati | .. | 4372 |
| डा० कु० ल० राव | Dr. K. L. Rao | .. | 4373 |
| बीड़ी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड के बारे में संकल्प | Resolution Re. Wage Board for Bidi Industry—withdrawn | .. | 4374—4377 |
| श्री राम सिंह अयरवाल | Shri Ram Singh Ayarwal | .. | 4374 |
| ्कमचन्द कछवाय | Shri Hukam Chand Kachwai | .. | 4374—4375 |
| ास मिश्र | Shri Srinibas Misra | .. | 4375 |

| विषय | SUBJECT | | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| श्री नाथूराम अहिरवार | Shri Nathu Ram Ahirwar | .. | 4375 |
| श्री अमरसे | Shri M. Amersey | .. | 4375 |
| श्री जगेश्वर यादव | Shri Jageshwar Yadav | .. | 4376 |
| श्री राम चरण | Shri Ram Charan | .. | 4376 |
| श्री क० ना० पांडे | Shri K. N. Pandey | .. | 4376 |
| श्री हाथी | Shri Hathi | .. | 4376 |
| भारत की प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में संकल्प | Resolution Re. Defence Needs of India | .. | 4377—4378 |
| श्री रणजीत सिंह | Shri Ranjit Singh | .. | 4377—4378 |
| आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कर्मचारियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा | Half-an-Hour Discussion Re. Ex I.N.A. Personnel | .. | 4378—4380 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha | .. | 4378—4379 |
| श्री स्वर्ण सिंह | Shri Swaran Singh | | 4380 |
| साम्प्रदायिक सौहार्द के बारे में चर्चा | Statement Re. Communal Harmony | .. | 4380—4381 |
| श्रीमती इन्दिरा गांधी | Shrimati Indira Gandhi | .. | 4380—4381 |
| पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन व मध्यावधि चुनाव के बारे में प्रस्ताव-अस्वीकृत | Motion Re. President's Rule and Mid-term elections in West Bengal negatived | .. | 4381—4389 |
| श्री राममूर्ति | Shri P. Ramamurti | .. | 4381—4382 |
| श्री अ० कु० सेन | Shri A. K. Sen | .. | 4382—4383 |
| श्री तेन्नेटि विश्वनाथम | Shri Tenneti Viswanathan | .. | 4383 |
| श्री दांडेकर | Shri N. Dandeker | .. | 4383—4384 |
| श्री बदरुद्दुजा | Shri Badrudduja | .. | 4384 |
| श्री चपलाकांत भट्टाचार्य | Shri C. K. Bhattacharya | | 4385 |
| श्री श्रीचन्द गोयल | Shri Shri Chand Goel | .. | 4385 |
| श्री हुमायून कबिर | Shri Humayun Kabir | .. | 4385—4386 |
| श्री विश्वनाथन | Shri G. Viswanathan | .. | 4386 |
| श्री कृष्ण कुमार चटर्जी | Shri Krishna Kumar Chatterjee | .. | 4386—4387 |
| श्री ही० ना० मुकर्जी | Shri H. N. Mukerjee | .. | 4387 |
| श्री देवेन सेन | Shri Deven Sen | .. | 4387 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha | .. | 4388 |
| श्री यशवंतराव चह्वाण | Shri Y. B. Chavan | .. | 438[illegible] |

# लोक-सभा
## LOK SABHA

**शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1967/1 पौष, 1889 (शक)**
*Friday, December 22, 1967/Pausa 1, 1889 (Saka)*

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**MR. SPEAKER** *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### मद्रास पत्तन पर लौह-अयस्क की हानि

*842. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन पर स्टाक की प्रत्यक्ष जांच किये जाने के परिणाम-स्वरूप, 1,35,65,70 लाख टन लौह-अयस्क, जिसकी कीमत 75 लाख रुपये थी कम पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी और जांच पर कितना धन व्यय हुआ था;

(ग) क्या किसी को इस हानि के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) हानि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और अब तक कितना धन वसूल किया जा चुका है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) स्टाक की प्रत्यक्ष जांच किये जाने के पश्चात् लगभग 1.16 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क जिसकी 28-6-1964 को कीमत 47 लाख से कुछ अधिक रुपये थी, की वास्तविक कमी निश्चित की गई थी ;

(ख) निरीक्षण/दौरा करने वाले अधिकारियों को दिया गया सामान्य यात्रा भत्ता आदि तथा स्टाक की जांच करने वालों को दी गई फीस पर लगभग 13,000 रुपये खर्च किये गये ।

(ग) और (घ). एम० एम० टी० सी० के निदेशक द्वारा की गई ब्योरेवार जांच में यह बताया गया है कि यह कमी माल देने वालों द्वारा कम माल लदाये जाने के फलस्वरूप हुई थी। माल देने वालों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वे नैतिक रूप से कुछ हद तक जिम्मेवार हैं। माल देने वालों ने कम पाये गये लौह-अयस्क की लागत को निगम के साथ हुए ठेके के अन्तर्गत बाद में दिये जाने वाले माल के लिये देय बिलों से कटौती करना स्वीकार कर लिया था। अक्तूबर, 1967 के अन्त तक 9,44,682 रुपये वसूल किये जा चुके थे और आगे वसूली की जा रही थी।

एम० एम० टी० सी० के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से आयोग के अधीन विभागीय जांच के लिये एक आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच में प्रगति हो रही है।

**Shri Prem Chand Verma:** The Hon. Minister has just stated that the suppliers have agreed to make good the value of shortages. According to my information the number of suppliers was 73, but as a result of the enquiry only 39 suppliers have been found and nothing is known about the remaining 34 suppliers. It has also come to my notice that they have agreed to make good the loss at the rate of 25 paise per tonne, whereas they have increased the price by Rs. two per tonne. In 1964, when the contract had been entered into, the price was Rs. 8.67. In 1965, they raised it to Rs. 10.67. They have increased the price from Rs. 8.75 to Rs. 10 and from Rs. 11.75 to Rs. 13.25 and from Rs. 7 to Rs. 8.50. May I know whether all this is correct?

**Shri Dinesh Singh:** There has been some increase in the prices. But so far as this contention is concerned that the prices have been increased to make good the loss, it may be stated that the C. B. I. has fully inquired into the matter and action is being taken against those who have been found responsible. As regards the other thing, I will enquire into it also.

**Shri Prem Chand Verma:** Along with this case, there has been another case of pig iron at the Madras Port. 1476 tonnes of pig iron worth Rs. 4 lakhs and 74 thousands or about Rs. 5 lakhs in foreign exchange was found short. Have you got this matter enquired into and got the shortages made good by the company? According to my information, this amount of Rs. 5 lakhs was pocketed by our officers in that country from where this pig iron was sent. What is the real position in regard?

**Shri Dinesh Singh:** The Hon. Member has already mentioned this matter to my colleague. I will have to get it enquired into.

## हल्दिया में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

*843. **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री महराज सिंह भारती :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला में हाल ही में स्थापित निर्बाध व्यापार क्षेत्र के परिणामों की प्रतीक्षा किये

बिना क्या हल्दिया में एक निर्बाध-व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है, क्योंकि कांडला की तुलना में हल्दिया का पश्च-प्रदेश अत्याधिक औद्योगीकृत क्षेत्र है, जिससे निर्यात के लिये इंजीनियरी माल का निर्माण करने के लिये कच्चा माल, निर्माण का अनुभव और कौशल प्राप्त हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री स० चं० सामन्त** : कांडला को निर्बाध व्यापार क्षेत्र घोषित करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा गया था और क्या उस समय इसका यह कह कर विरोध किया गया था कि पहले कांडला को रेलवे द्वारा जोड़ा जाये और यदि हां, तो इस मामले के बारे में क्या किया गया है ?

**श्री दिनेश सिंह** : इस सभा में इस मामले पर कई बार विचार किया जा चुका है । जब यह निर्णय किया गया था उस समय सरकार के समक्ष विभिन्न बातें थीं । प्रश्न-काल में अभी यह सब कुछ बताना तो सम्भव नहीं है । यदि वह चाहें तो मैं उन्हें इस सम्बन्ध में एक छोटा नोट भेज दूंगा ।

**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि वाणिज्य मंडल और अन्य कारोबार वालों ने हल्दिया पर निर्बाध-व्यापार क्षेत्र की मांग की थी क्योंकि हल्दिया से काफी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ?

**श्री दिनेश सिंह** : जी, हां । हमें इस बारे में कुछ निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे और उन सभी पर विचार किया गया था ।

**श्री तु० मू० सेठ** : क्या कांडला पर निर्बाध व्यापार क्षेत्र के लिये कोई विधान बनाने का विचार है ?

**श्री दिनेश सिंह** : जहां तक मुझे पता है, नहीं ।

**Shri Maharaj Singh Bharati:** In view of the difficult foreign exchange position and the experience of the world in respect of having free ports where taxes are not imposed and thus there is increase in the exports of goods as these are available at low rates, may I know whether any plan has been prepared in this regard ?

**Shri Dinesh Singh:** Yes Sir, the plan is ready and the work has already been started.

## दूध से बने खाद्य पदार्थों तथा विशुद्ध प्रोटीन वाले पदार्थों का उत्पादन

*844. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए दूध से बनने

वाले खाद्य पदार्थों तथा विशुद्ध प्रोटीन पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ विदेशी कम्पनियों से खली से विशुद्ध प्रोटीन वाले पदार्थों का उत्पादन कराने के लिए सरकार का कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । देश में दुग्ध-खाद्य तथा अधिक प्रोटीन वाले अन्य खाद्य पदार्थों का विकास करने के लिये सभी सम्भव सहायता दी जा रही है ।

**Shri Kanwar Lal Gupta:** There are as many as 10 crores of our people who are unable to get two square meals and about 30 crores are under-nourished. Has any survey been made to ascertain the deficiency of nutritious diet and may I know the action taken by Government to see that rich diet in the requisite quantity or diet which is necessary to maintain the health of our people, is made available to them?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** According to our survey, there is much deficiency of nutritious diet and particularly of proteins. Our poor people cannot afford to have balanced diet which consists of leafy vegetables, eggs and meat. Besides food habits of some people are such that they do not take meat etc. and thus there is deficiency of proteins in their diet.

**Shri Ram Sewak Yadav:** There is the question of habit or of price because meat is very dear?

**Shri F. A. Ahmed:** Both the factors are there. It is, therefore, being considered as to how protein can be made available for cheap balanced diet.

**Shri Kanwar Lal Gupta:** I wanted to know the specific steps taken or going to be taken by Government in this regard?

**Shri F. A. Ahmed:** The steps have been taken to see that more milk at cheap rates is made available to the people and that factories are set up to produce cheap proteins which can be mixed in milk and made available to the people.

**Shri Kanwar Lal Gupta:** The baby foods which are being prepared here are very dear. Our poor people cannot afford to purchase them. May I know the quantity of baby foods being manufactured in our country at present **vis a vis,** our requirements and the progress made in this direction in collaboration with the foreign investors?

**Shri F. A. Ahmed:** M/s Protein and Chemicals, Bombay propose to set up a plant at Bhavnagar in Gujarat State in collaboration with an American Company to manufacture 4,800 tonnes isolates from groundnut. Their request is under our consideration. M/s Tata Oil Mills have also sought permission for the manufacture of 3,000 tonnes of groundnut *atta* and 1,500 tonnes of protein isolates. M/s Food and Allied Products Private Ltd., Bombay are

manufacturing 6,000 tonnes of protein food. M/s Soyapax propose to manufacture high protein food from soyabeans in collaboration with an American Company. This proposal has been approved by Government. Besides an industrial licence has been given to M/s Jeewanlal and Sons and Ratnam, Bombay for the manufacture of Soya vegetable products.

**Shri Kanwar Lal Gupta :** I am not interested in these companies and firms. I wanted to know the quantity of baby food being manufactured in India **vis-a-vis**. Our requirements and the steps being taken by Government to bring down the price of this type of food.

**Shri F. A. Ahmed :** My Ministry is not concerned with the quantity of baby food being manufactured in the country. We simply give licences.

**Shri Ram Sewak Yadav :** The Hon. Minister has just pointed out that protein is available in meat and leafy vegetables. What to speak of meat and vegetables, we are unable to make grains available to our people.

In view of the fact that baby foods being prepared in our country are very dear so much so that our common people cannot afford to purchase them, may I know whether any plan is under the consideration of the Government to make subsidised baby foods available to the common man?

**Shri F. A. Ahmed :** We are doing whatever is possible. We are trying to increase milk production and making arrangement for milk mixed with protein. Each State Government, is trying to make milk available to school children.

**Shri Ram Gopal Shalwale :** In view of the fact that most of the people in India are vegetarians and thus they do not take meat and eggs, may I, therefore, know the steps taken by Government to ban cow-slaughter in order to ensure more production of milk so that it is, available to our people in sufficient quantity.

**Shri F. A. Ahmed :** At present, the production of milk in our country comes to 12 million litres and we are trying to enhance it by 5 million litres.

**श्री पाशाभाई पटेल :** हमारे देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी हैं परन्तु जो बालाहार तैयार किया जाता है उसमें मांसयुक्त पदार्थ होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है और हो सकता है हमारे बच्चे यह बिना जाने कि उसमें मांसयुक्त पदार्थ हैं, उनका सेवन कर रहे हों । क्या इस पहलू की ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं ।

**श्री पाशाभाई पटेल :** प्रश्न यह है कि जब सरकार बालाहार तैयार करना आरम्भ कर रही है तो ऐसा करते समय मांसयुक्त और शाक-युक्त पदार्थों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ दुग्ध पदार्थों में मीन प्रोटीन मिलाया जाता है । क्या यह सच है अथवा नहीं ? चूंकि हमारे देश में बहुत से लोग शाकाहारी हैं और अनभिज्ञता के कारण वे ऐसे अहारों का सेवन करके मांसाहारी बन सकते हैं । क्या सरकार इस बारे में कुछ कर रही है ?

**अध्यक्ष महोदय :** बालाहार में केवल शाकयुक्त पदार्थ होने चाहिये ।

**श्री फख्रुद्दीन अली अहमद** : जहां तक प्रोटीन तैयार करने की बात है यह सोयाबीन तथा कई अन्य तेल के बीजों से तैयार किया जाता है ।

**श्री अमृत नाहाटा** : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि उत्तर-पश्चिम राजस्थान में थार रेगिस्तान नाम का हमारे देश का एक भाग है जहां दूध जल से भी सस्ता है, परन्तु चूंकि क्षेत्र बाकी देश से अलग-थलग है, क्या मंत्री महोदय बालाहार और दुग्ध-पदार्थ तैयार करने के लिये एक आधुनिक डेरी स्थापित करने की बात पर विचार करेंगे जिससे उनकी देश के अन्य भागों में सप्लाई की जा सके ?

**श्री फख्रुद्दीन अली अहमद** : मैं माननीय सदस्य का यह सुझाव खाद्य मंत्री को भेज दूंगा ।

**Shri Ram Charan**: Khurja has been famous for Ghee throughout India. But since the establishment of a plant by Glaxo Laboratories there which prepares baby food and milk products, we are experiencing great shortage of pure milk and Ghee because the entire milk from this area is purchased by the said company. I want to know whether Government would prevent such companies from establishing such plants and collecting milk so that pure milk and ghee could be made available to the people of that area?

**Shri F. A. Ahmed**: On one hand it has been demanded that the production of such type of food should be increased but on the other hand it is being said that private companies which are preparing milk products should be prevented from doing so.

## समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान

+

*845. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने, जो इस प्रस्ताव की जांच कर रहे थे कि राजनैतिक दलों को समवायों द्वारा अंशदान दिया जाना पूर्णतया बन्द किया जाये अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**Shri Yajna Datt Sharma** (Amritsar) : The Hon'ble Minister is aware that because of the contributions made by companies to political parties and especially ruling party, the economic policies of the Government are influenced and that results in the problems of vested interests of monopolists in our economy and economic disparities etc. in our country. Whether

Government is contemplating to adopt any such policy or any legislation by means of which the irregularities and fovouritism with regard to quota and permit etc. could be curbed ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** यह प्रश्न इस सभा में तथा दूसरी सभा में भी कई बार उठाया गया। श्री मधुलिमये ने एक विधेयक भी प्रस्तुत किया है और उस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा जिससे कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके। चालू सत्र में यह विधेयक पुरःस्थापित करने में देरी का केवल यही कारण है। इस प्रयोजन के लिये केवल समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को ही सम्मिलित नहीं किया जाना है बल्कि इस प्रयोजन के लिये गैर-सरकारी फर्मों; साझेदारियों और न्यासों को भी सम्मिलित किया जाना है जो समवाय विधि के अन्तर्गत नहीं आते। इसलिये इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, इस बात पर विचार किया जाना है कि किस रूप में कानून बनाया जाये। इस सम्बन्ध में हमें उन सभी कानूनों का अध्ययन करना है जो पहले पारित हो चुके हैं और सभी बातों पर विचार करने के बाद हमें विधेयक बनाना है और पुरःस्थापित करना है।

**Shri Yajna Datt Sharma :** The answer to my question is quite vague. My next question is whether Government is prepared to impose legal ban on the contributions being made to political parties by the companies under the company Law ; if so, by when ?

**Shri F. A. Ahmed :** This has already been replied to. I had given assurance to the House on the other day that we shall introduce a Bill in the ensuing session with a view to prevent private companies from making contributions to the political parties.

**Shri Rabi Ray :** Whether it is a fact that the proprietors of sugar mills have given huge sum to Congress party and as a result thereof they got the permission of selling 40 per cent of sugar in the open market ?

**Shri F. A. Ahmed :** The amount of contributions made by the companies to various political parties can be ascertained from their account Books. In case the Hon'ble Member wants to know these accounts we can give the same.

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि राजनीतिक दलों को जो धन कम्पनियां देती हैं वह छिपाये हुए धन में से देती हैं और इस प्रकार इस धन का उनके खातों में उल्लेख नहीं होगा ?

**श्री फख़रुद्दीन अली अहमद :** जहां तक कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को धन देने का सम्बन्ध है, वे कम्पनियां उन्हें अपने खातों से अतिरिक्त कितना धन देती हैं, मुझे उसका कोई पता नहीं है।

**Shri Sarjoo Pandey :** Pending the passing of legislation for preventing the companies from giving contributions to political parties, whether Government is contemplating to take certain steps to impose some restrictions so that Government policies are not influenced by giving money in this manner ?

**Shri F. A. Ahmed** : The existing rules allow the companies to give contribution to the political parties. Till these rules are amended, this practice cannot be stopped. We are trying to amend them as soon as possible.

**श्री कृष्णमूर्ति** : क्या सरकार कोई ऐसा प्रतिबन्ध राजनैतिक दलों पर लगाने जा रही है जिससे वे काले धन को स्वीकार न करें ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : ऐसा तभी सम्भव होगा जबकि स्वयं राजनीतिक दल मिलकर यह निश्चय करें कि वे इन कम्पनियों से धन नहीं लेंगी। केवल कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाने से यह बुराई दूर न होगी। यदि दल चुनावों पर कम खर्च करें तो यह बुराई दूर हो सकती है।

**श्री हिम्मतसिंहका** : क्या प्रस्तावित विधेयक में ऐसी भी व्यवस्था है जिससे बाहर से भारत में धन न आ सके ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या यह सच नहीं है कि यह प्रश्न 1957 में उठा था और अब तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है ? राज्य-मंत्रीजी कहते हैं कि इस सम्बन्ध में विधान बनाया जायेगा। स्वयं मंत्री महोदय कहते हैं कि ऐसे विधान से कोई लाभ नहीं होगा। क्या सरकार वास्तव में कम्पनियों पर कोई प्रतिबन्ध लगाने जा रही है या इस बात को ज्यों का त्यों छोड़ना चाहती है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार ऐसा संशोधन कम्पनी कानून में करने जा रही है जिससे कम्पनियों पर राजनैतिक दलों को चंदा देने पर प्रतिबन्ध लग जायेगा।

**Shri Prakash Vir Shastri** : May I know whether Government are aware of the fact that the sons of Ministers are appointed in private companies and companies pay them more than that they are capable to get according to their qualifications and in this way companies try to influence the policy of the Government ?

**Shri F. A. Ahmed** : As far as I know no company employees anybody because he is a son of any Minister. If he is employed on account of his qualifications nobody should grudge against it.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : I can quote the instances. There are 11 sons of Ministers, who are employed in Birla and Tata companies.

**Shri F. A. Ahmed** : At least this much I can say that my son or any son of my friend or relative is not there in Birla or Tata firms.

**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या विधेयक में ऐसी भी व्यवस्था की जायेगी जिससे राजनीतिक दलों पर गुप्त रूप से धन लेने पर पाबन्दी लग जाये।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है ।

**Shri Shri Chand Goel :** May I know the figures of such funds partywise; whether Government propose to put a limit on expenditure to be done by different political parties in elections ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** कम्पनी रजिस्ट्रार के यहां से उपलब्ध आंकड़ों का ब्यौरा निम्न प्रकार है : कांग्रेस को 2466150·17 रुपये, स्वतंत्र पार्टी को 460074.31 रुपये, जनसंघ को 33659 रुपये, कम्युनिस्ट पार्टी को 2336 रुपये, श्रीमणी अकाली दल को 550 रुपये, प्रजा समाजवादी पार्टी को 723 रुपये आदि आदि ।

**Shai Ramavtar Shastri :** May I know the amount of funds given by Tatas, Birlas and Dalmias seperately to Bihar Congress Committee ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** यह बताना तो कठिन है ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह तो मैं नहीं कह सकता कि उपरोक्त आंकड़े ठीक हैं या गलत हैं । परन्तु यह बात सच है कि राजनैतिक दलों को कम्पनियों ने धन दिया है । यह समस्या केवल वाद-विवाद से हल नहीं होगी । अगला प्रश्न ।

## विदेशी मुद्रा की आय

*846. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी चार वर्षों में भारत की विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण ने एक संचालन योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). संचालन कार्य योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण द्वारा तैयार की गई संचालन कार्य योजना में भावी चार वर्षों में निर्यात में वृद्धि करने के लिये अनेक प्रकार के कार्यों/परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है । यह योजना तभी लागू हो सकेगी जब उसे दोनों सरकारों का समर्थन प्राप्त होगा ।

संचालन कार्य योजना के अधीन निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :

(क) **वस्तु सम्बन्धी सर्वेक्षण**

उपरोक्त अभिकरण के माध्यम से भारत सरकार देश की निर्यात की जाने वाली निम्न-लिखित मुख्य वस्तुओं के बारे में वस्तु सम्बन्धी सर्वेक्षण देश और विदेशों में करवायेगी, जिससे

विशिष्ट समस्याओं का पता चलेगा और उनका समाधान भी सुझाया जायेगा :

(एक) सूती वस्त्र और तैयार पोशाक

(दो) मशीनी उपकरण

(तीन) चमड़ा और उससे बना सामान

(चार) समुद्रीय उत्पाद

(पांच) मसाले

(छः) लौह-मैंगनीज

(सात) ताजे और तैयार किये हुए फल और सब्जियां

(आठ) खल तथा अन्य सम्बद्ध उत्पाद। उक्त अमरीकी अभिकरण भारत सरकार की सलाह से इन सर्वेक्षणों का काम उपयुक्त भारतीय अनुसंधान संस्था को ठेके के आधार पर सौंप देगी और उसे ऐसे सलाहकारों की सहायता देगी जो समुद्रपारीय देशों के बाजारों के बारे में विशेषज्ञ होंगे।

(ख) **कार्यात्मक सर्वे**

उन क्षेत्रों के बारे में कई कार्यात्मक अध्ययन किये जा चुके हैं जहां ऐसी समस्या सामने आती है जिससे भारत के निर्यात में बाधा आती है। इसी प्रकार के एक अध्ययन से यह पता लगाया गया है कि भारत अपने पड़ोसी देशों में किस हद तक निर्यात बढ़ा सकता है।

(ग) **निर्यात सम्बन्धी आंकड़े और व्यापार संबंधी आंकड़े**

इस क्षेत्र में, जो सहायता दी जानी चाहिये, उस पर विचार किया जा रहा है। भारत सरकार के चार वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की भी व्यवस्था है।

(घ) **उपयुक्त बाजार खोजने के लिये यात्राएं**

यह अमरीकी अभिकरण भारतीय उद्योगों से छांटे गये 60 मध्य स्तरीय कार्यकारी अधिकारियों को प्रतिवर्ष विदेश यात्रा पर भेजेगी जो विदेशी मंडियों की वास्तविक स्थितियों का पता लगायेंगे और वे इस बात का पता लगायेंगे कि किस देश में किस भारतीय वस्तु की मांग अधिक है। प्रत्येक उद्योग से आठ-दस अधिकारियों का एक समूह ऐसी यात्रा पर भेजा जायेगा। प्रत्येक समूह विदेश में 13 सप्ताह तक ठहरेगा। जिस कम्पनी के अधिकारी विदेश यात्रा पर जायेंगे, वे कम्पनियां यात्रा का खर्च रुपयों में देंगी तथा यात्रा में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा का खर्च अमरीकी अभिकरण वहन करेगी।

(ङ) **हारवर्ड अन्तर्राष्ट्रीय विपणन गोष्ठी**

यह गोष्ठी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में होगी जिसमें मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी भाग लेंगे। हमारे यहां से जून, 1968 में होने वाली उक्त गोष्ठी में दो प्रतिनिधि भाग लेंगे।

**श्री धीरेश्वर कलिता :** विवरण के सामने होते हुए भी मैं इसके सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। हमारे देश से कुछ सर्वेक्षण-दल अन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु अमरीकी ऐजेन्सी के माध्यम से विदेशों के दौरे पर जायेंगे। उनका खर्च भारत सरकार वहन करेगी या उक्त ऐजेन्सी ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** आपरेशनल वर्क प्लान के अधीन कई प्रकार के सर्वेक्षणों की योजना है जैसे वस्तुओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण, बाजार सम्बन्धी सर्वेक्षण आदि। इस योजना की कुछ शिफारिशें मान ली गई हैं। प्रशिक्षणार्थियों पर जो खर्च आयेगा उसको उपरोक्त ऐजेन्सी वहन करेगी।

**श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या उपरोक्त ऐजेन्सी को इस खर्च का भुगतान भारत सरकार को करना होगा ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** बात यह है कि इस ऐजेन्सी के दल विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में जाते हैं। भारत के विशेषज्ञों को वह ऐजेन्सी इन दलों पर नियुक्त करके विदेशों में भेजेगी। ये विशेषज्ञ ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, अमरीका, लेटिन अमरीकी देशों में जायेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, कुछ दल दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में जायेंगे। इन पर आने वाले खर्च का कुछ भाग भारत को देना होगा।

**श्री धीरेश्वर कलिता :** किन-किन देशों को सर्वेक्षण के लिये चुना गया है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** देशों के नाम निम्नलिखित हैं : फलों और सब्जियों के लिये ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, लेटिन अमरीका, अमरीका, इटली और जापान ; खल आदि के लिये ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा ; मशीनी औजारों के लिये अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेन्टाइना ; सूती वस्त्र के लिये अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जूते तथा चमड़े के सामान के लिए ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा, त्रिनिदाद, तोबेगो, कीनिया और सऊदी अरब।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** इस योजना में वार्णित आठ प्रकार के दलों पर विदेशी मुद्रा सहित कितना खर्च आयेगा।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** सरकार ने अब तक केवल एक प्रस्ताव को माना है जो वस्तु सम्बन्धी सर्वेक्षण के बारे में है। ये अध्ययन दल अभी भेजे जायेंगे। मामला विचाराधीन है। उन पर होने वाले खर्च का हिसाब लगाया जा रहा है।

**श्री दामानी :** इन अध्ययन दलों का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो सकेगा ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** ये प्रतिवेदन भिन्न-भिन्न दलों तक प्राप्त किये जायेंगे। वस्तु सम्बन्धी सर्वेक्षण को पूरा करने का लक्ष्य 30 मई, 1968 रखा गया है।

**श्री बलराज मधोक** : विवरण से पता चलता है कि विभिन्न निर्यातक फर्मों के अधिकारियों को बाजार सम्बन्धी सर्वेक्षण के लिये विदेशों को भेजा जायेगा । अब तक का अनुभव यह है कि जब भी हमारे देश के विक्रेता विदेशों में अपना माल बेचने जाते हैं तो वे माल की किस्म तथा उसकी ठीक समय पर सप्लाई आदि का ठीक वचन नहीं दे पाते हैं । यही कारण है कि उन्हें क्रया-देश नहीं मिल पाते हैं । क्या इस स्थिति में इस बार कुछ सुधार होगा ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : सरकार इस बात पर निरन्तर विचार कर रही है । विभिन्न निर्यात संबर्धन परिषदों से इस बारे में परामर्श लिया जा रहा है । ये परिषदें ही उन लोगों का चुनाव करेंगी जो इन दलों में नियुक्त होकर विदेश जाएंगे और उन बाजारों का पता लगायेंगे जहां भारतीय माल का निर्यात किया जा सकेगा ।

**श्री स० कुण्डू** : निर्यात संबर्धन के लिए आवश्यक है कि माल की अच्छी किस्म हो तथा माल समय पर दिया जायेगा । ये बाहर जाने वाले अधिकारी इन बातों पर कैसे नियंत्रण रखेंगे ।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : माननीय सदस्य ने केवल दो बातों का जिक्र किया है माल की अच्छी किस्म तथा माल की ठीक समय पर सप्लाई । वस्तुत: निर्यात की वृद्धि के लिए केवल ये दो बातें ही नहीं, अन्य कई बातें भी आवश्यक हैं । सबसे पहले माल की कीमत ऐसी होनी चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता जीत सके । साथ ही माल की किस्म भी अच्छी हो और वह दिया भी ठीक समय पर जाये । हमारे माल के लिए विदेशों में मांग इन्हीं बातों के आधार पर बढ़ सकती है ।

### [Role of D. G. T. D. in Industrial Development

*850. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the names of industries for the development of which the Director-General of Technical Development is responsible;

(b) whether it is a fact that industrial development is hampered due to separate control exercised by various Ministries; and

(c) if so, the measures proposed to be adopted to remove this handicap?

**Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh)**: (a) The Directorate General of Technical Development which functions as Chief Technical Adviser to the Government of India on all industrial matters, is responsible for tendering advice on the development of industries in India outside the Small Scale Sector, with the exception of mining and quarrying, sugar, vanaspati, tea, coffee, cotton, jute, cotton and woollen textiles, iron and steel, electricity and petroleum products. A list of the broad group of industries the development of which is looked after by the D. G. T. D. is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2162/67].**

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**Shri Maharaj Singh Bharati:** I asked in part (a) of my question that whether it is a fact that industrial development is hampered due to separate control exercised by various Ministries. I want to know the measures proposed to be adopted to remove this handicap.

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** हम इस आरोप का खण्डन करते हैं कि तकनीकी विकास महानिदेशक एकक के विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित होने की बजाय एक स्थान पर केन्द्रित होने के कारण औद्योगिक विकास में बाधा हुई है। वास्तव में विभिन्न मंत्रालय ही प्रस्ताव का सूत्रपात करते हैं। जब मंत्रालय प्रस्ताव को आरम्भ करते हैं तो प्रस्ताव का सूत्रपात करने वाला मंत्रालय उसके सब पहलुओं के सम्बन्ध में अध्ययन करता है और उसके पश्चात तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा उसकी तकनीकी शक्यता पर विचार किया जाता है और फिर उस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाता है। हमारे सामने ऐसे कोई भी मामले नहीं आये हैं जिनमें इस संगठन के विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित नहीं होने के कारण औद्योगिक विकास में बाधा आई हो।

**Shri Maharaj Singh Bharati:** In case of any differences between the Ministry and the Directorate General, whose views are given preference.

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि जब भी कभी लाइसेंस का प्रश्न उठता है या किसी परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय किए जाने का प्रश्न आता है तो इस सम्बन्ध में न केवल तकनीकी विकास महानिदेशक और प्रस्ताव आरम्भ करने वाले सम्बन्धित होते हैं बल्कि विभिन्न वैज्ञानिक संस्थायें जैसे सी. एस. आई. आर. की भी सलाह ली जाती है। उनकी राय जानने के पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। अतः जब कभी भी हम वैज्ञानिक सम्बन्धी मामलों पर विचार करते हैं तो इन संस्थाओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर जोर दिया जाता है। तब मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है।

**श्री बेदव्रत बरुआ :** तकनीकी विकास को इतना महत्व देने के बावजूद अविकसित क्षेत्रों में लागत और अन्य कारणों से उद्योगों में विकास नहीं हुआ है। क्षेत्रीय असंतुलनों को ध्यान में रखते हुए और आसाम जैसे क्षेत्रों में विकास की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय सभा को सूचित करेंगे कि क्या तकनीकी विकास महानिदेशक को न केवल तकनीकी बल्कि दूसरे पहलू जैसे करों इत्यादि के सम्बन्ध में सलाह देने का अधिकार है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में बाधा आती है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** हमें आसाम और देश के दूसरे अविकसित देशों के साथ पूरी सहानुभूति है। मंत्रालय निश्चय ही इन मामलों की ओर ध्यान देगा और प्राकृतिक सुविधाओं और उद्योग में तकनीकी प्रश्न को ध्यान देकर ही, निर्णय किए जायेंगे।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** तकनीकी विकास महानिदेशक की अर्हता क्या है और वे उद्योग क्या हैं जिनमें इसके पथ-प्रदर्शन के कारण या इस विभाग के प्रयास के कारण उन्नति हुई है ? क्या कोई ऐसा उद्योग है जिसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** जहां तक इसकी तकनीकी अर्हता का प्रश्न है मैं इस प्रश्न का शीघ्र

उत्तर नहीं दे सकता। वह तकनीकी व्यक्ति है और उसे टेक्नोलोजी में डाक्टोरेट से अधिक अर्हता नहीं हो सकती।

जहां तक क्षेत्र कार्य का सम्बन्ध है वह ऑटोमोबाइल, निर्माण उपकरण, ऑटोमोबाइल सहायक, कृषि उद्योगों, हैवी मेकैनिकल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, लाइट मेकैनिकल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, वैज्ञानिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, हैवी इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, लाइट इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीज मशीनरी तथा अन्य पटसन और सूती कपड़े की मशीनों का सम्बन्ध है वह इसके तकनीकी पहलू पर भी ध्यान देंगे।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या इस सूची में मिश्र धातु भी शामिल हैं ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : इस विभाग द्वारा 39 मदों के सम्बन्ध में कार्य किया जाता है।

**राजकीय व्यापार निगम द्वारा नायलोन का आयात**

*851. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम ने नायलोन का आयात करने के सम्बन्ध में जो नवीनतम सौदा विदेशों के साथ किया है, उसके बारे में उस निगम की कड़ी आलोचना की गई है ;

(ख) क्या इस सौदे के सम्बन्ध में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) से (ग). शायद माननीय सदस्य का संकेत भारतीय व्यापार निगम के सम्बन्ध में साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित लेख की ओर है जिसमें उसके द्वारा किये गये नायलोन के व्यापार और उसमें हुई हानि की चर्चा की गई है। रिपोर्ट में भारतीय व्यापार निगम द्वारा जापान और इटली से किये गये नायलोन के आयात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय व्यापार निगम ने इस सम्बन्ध में फिर से जांच की है और उसने कहा है कि इसकी आलोचना किये जाने में कोई सार नहीं है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : इस लेख में जो उल्लेख किया गया है उसके अतिरिक्त क्या यह भी सच है कि कुछ पत्र भारतीय व्यापार निगम के अध्यक्ष को भी लिखे गये थे जिसमें यह सूचित किया गया था कि जिन मूल्यों पर नायलोन खरीदा गया था वह उस वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक था जिस मूल्य पर दूसरी विदेशी फर्में सप्लाई करने को तैयार थीं।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : ऊन का मूल्य प्रति दिनार पर भिन्न है। इसका मूल्य 15 दिनार से आरम्भ होकर 100 दिनार प्रति पौण्ड तक है। ऊन के सप्लाई करने वालों ने इसका मूल्य 100 रुपये प्रति 15 पौण्ड के दिनार का प्रस्ताव किया था। भारतीय व्यापार निगम ने इसे तुरन्त घटाकर 85 रुपये कहा। इसी प्रकार दूसरे दिनारों के लिये भी प्रस्तावित मूल्य में भारतीय व्यापार

निगम ने कमी की । हमने मूल्यों के इन आंकड़ों की तुलना की है जिन्हें भारतीय व्यापार निगम ने दिया और वे मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय नायलोन के मूल्यों की तुलना में उचित हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जापान के अलावा क्या और दूसरे देशों से टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे , यदि हां, तो उन लोगों ने क्या मूल्य दिये थे तथा उनमें क्या अन्तर था ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : नायलोन को सहायता व्यवस्था के अनुसार भी सप्लाई किया जा रहा है । हमें जापान, अमरीका, इटली और पश्चिम जर्मनी से नायलोन प्राप्त होता है । जो मूल्य हमने दिये हैं वे दूसरे देशों द्वारा प्रस्तावित मूल्यों की तुलना में कम हैं ।

**Shri Baswant :** I want to know the reasons of importing nylon in such a huge quantity. I also want to know the purchase and the selling price of the nylon-imported.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** There is a great shortage of nylon-yarn and that is why it will be necessary to import for some more time.

**Shri Hardayal Devgun :** You issued licences for import of nylon worth 7 crores last year. Out of that 25 per cent may be used for preparing nylon fibre and synthetic fibre. Whether it is a fact that an appropriate distribution of nylon worth 1¼ crore rupees was not done and all of it was taken by some big mills.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** This matter has been referred to the Estimates Committee and would not be appropriate to say anything in this regard.

**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितनी मात्रा में नायलोन का आयात किया गया तथा क्या यह आयात हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : हमने विभिन्न देशों से 9 करोड़ रुपए के नायलोन के आयात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । पश्चिमी जर्मनी से 571 टन, जापान से 298 टन, अमरीका से 1,077 टन और इटली से 1,071 टन की मात्रा में नायलोन का आयात किया गया है ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** I want to know exact shortage of nylon in our country and the quantity of nylon being imported. Whether the construction of some factory is under consideration for the manufacturing of nylon. I also want to know the purchase and the selling price of the nylon.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** At that time the synthetic production was 72 million Kilogram and now it has become, 86 million Kilogram.

**Shri P. G. Sen :** Whether it is a fact that nylon is imported at the rate of Six rupees per Kilogram where as it is being sold at the rate of 56 per Kilogram.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** All the nylon is imported through S. T. C. and it is the authority which fixes the prices. The selling prices are also fixed by the S. T. C.

**Shri Onkar Lal Berwa :** There is a nylon factory in Kota also. I want to know the measures taken by the Government to increase the nylon production.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** Arrangements have been made to open new factories to improve the nylon production. Several other steps are being taken to improve the production.

**Shri M. A. Khan :** Whether the Hon. Minister is aware that the nylon imported from outside was supposed to be supplied to Bombay, but instead of it was sent to Madras and the Madras Custom authorities have seized it. I want to know whether some excise officers have also been involved in it.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** It is true and the matter has been referred to the S. T. C.

**श्री दामानी :** क्या इस नायलोन का आयात औद्योगिक प्रयोग के लिए किया गया है अथवा असैनिक उपभोग के लिए । यदि प्रयोग उद्योगों के लिए किया गया है तो वे उद्योग कौन से हैं जिनमें इसका प्रयोग किया जा रहा है और क्या उसके स्थान पर कोई और चीज अधिक मात्रा में उत्पादित की जा रही है ।

## इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स, कलकत्ता

* 852. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स, लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध कब अपने हाथ में लिया था;

(ख) जब से इस कम्पनी का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया है, क्या तब से वर्षवार इसका हिसाब-किताब रखा जाता है और यदि हां, तो इस उपक्रम में वर्षवार कितना मुनाफा अथवा हानि हुई है ;

(ग) यदि हिसाब-किताब नहीं रखा गया है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसमें प्रतिवर्ष कितने मूल्य का तथा और कितना उत्पादन किया जाता है और इसमें नियुक्त मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनको कितनी मजूरी तथा कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :** (क) से (घ) . एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2163/67]

**Shri Beni Shanker Sharma :** It appears from the statement placed below that this company manufactures fans and other electrical equipments. From the statement it appears that the company earned a profit of 7 lakhs and 22 thousand in the first year and after that it suffered a loss. In 1962 it suffered a loss of 16 lakhs, in 1963 11 lakhs, in 1964 8 lakhs 14 thousand, in 1965 14 lakhs and 55 thousand and in 1966, 35 lakhs. There is a great demand of fans in India and abroad. Usha Company pays good salaries and bonus to its workers and even then it earns a good profit. I want to know the reasons of loss incurred by this company.

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : यह सच है कि इस कम्पनी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मैं यह बता रहा हूं कि जब कम्पनी की स्थिति खराब थी तो सरकार ने औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 11 जुलाई, 1960 से इसका कार्यभार सम्भाल लिया था और अब वह अवधि 10 जनवरी, 1968 तक बढ़ गयी है। उद्योग का काम चलाने और समझने के लिए भारत सरकार ने एक तकनीकी समिति की नियुक्ति की थी जिसने यह अनुमान लगाया था कि नई मशीन लाने के लिए तथा कारखाने को उचित उत्पादन करने के लिए कम से कम 2.5 करोड़ रुपए व्यय करने की आवश्यकता होगी। भारत सरकार ने इसकी जांच की है परन्तु अभी इस बात का निर्णय करना बाकी है कि क्या उन्हें इसके लिए धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कारखाने पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया का काफी रुपया बकाया है। अतः जैसा मैंने उल्लेख किया कम्पनी की स्थिति अच्छी नहीं है।

---

## अल्प सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION

### औद्योगिक लाइसेंस नीति समिति

**अ० सू० प्र० सं० 17. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति समिति की, जिसे बिड़ला बन्धुओं को जारी किए गए लाइसेंसों के सम्बन्ध में जांच करने के लिए कहा गया था, अब तक कोई बैठक नहीं हुई है, यद्यपि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि छै महीने के अन्दर जांच पूरी हो जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) समिति की वास्तव में पांच औपचारिक बैठकें हो चुकी हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Shri Sarjoo Pandey** : The members of the Thacker Committee have complained that Government officials are not co-operating with them. How can enquiry be conducted in such conditions. When was this committee constituted and when its report is expected ?

**Shri F. A. Ahmed** : This Committee was formed on 22nd July, 1967 and it started its work in September. It has held four or five meetings. The officers were appointed by October, 1967. They are working. If they feel any difficulty, it is removed by me or by my colleagues.

**Shri Sarjoo Pandey** : My information is that no office was allotted to the committee for many days and officers are not co-operating even now with them. How far this report is correct that Government propose to appoint another committee.

**Shri F. A. Ahmed** : This committee will complete the work assigned to it. I do not know if they have any difficulty in regard to office etc.

**Shri Prem Chand Verma :** Whether it is a fact that some pressure is being exercised and another committee is being appointed, so that previous committee may become useless ?

**Shri F. A. Ahmed :** I have already said that no other committee will take up the work, already assigned to this committee.

**Shri Rabi Ray :** What are the terms of reference of Thacker Committee ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** निदेश पद इस प्रकार है : (1) यह जांच की जाये कि क्या बड़े औद्योगिक गृहों ने औद्योगिक लाइसेंसों को प्राप्त करने के बारे में अधिक लाइसेंस प्राप्त किये हैं और इनके लिये औचित्य था, (2) यह पता लगाया जाये कि बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों को कार्यान्वित किया गया है और क्या इसमें असफलता के कारण दूसरे उद्योगों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और (3) क्या अप्रैल, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुरूप किस सीमा तक लाइसेंस जारी किये गये हैं, विशेषत: क्षेत्रीय उद्योगों, छोटे और मध्यम उद्योगों और आयात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या जुलाई में समिति की नियुक्ति के बाद बिड़लाओं को कोई नया लाइसेंस दिया गया है; यदि हां, तो समिति के बैठाने के कारण यह क्यों किया गया है ?

दूसरे क्या एक और समिति किन्ही विशेष मामलों के बारे में नियुक्त करने का प्रस्ताव है और वित्त मंत्रालय इस बारे में हस्तक्षेप कर रही है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** मैंने पहले भी कहा है कि इस समिति के काम को किसी और समिति को नहीं सौंपा जायेगा । वित्त मंत्रालय हस्तक्षेप नहीं कर रहा है । मेरे मंत्रालय द्वारा कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, हां पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ने उरर्वक के बारे में लाइसेंस दिया है ?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** जो कुछ डा० हजारी की रिपोर्ट में आया है क्या यह समिति उस कार्य को आगे तक करेगी या यह समिति पूरी जांच पुनः करेगी ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** इस विषय पर संसद् में चर्चा हुई थी और यह निश्चय किया गया था कि एक समिति गठित की जाये । उसके निदेश पद मैंने पढ़ दिये हैं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इस सदन में चर्चा नहीं हुई । हमें अवसर नहीं मिला है ।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** निदेश पद मैंने पहले ही रख दिये हैं ।

**Shri M. L. Sondhi :** This matter has been discussed here and outside also. This type of matters will come in future with the economic progress of the country. I want to know whether a permanent decision would be taken in this regard ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** समिति ने इस बारे में मश्विरा किया है और वह अपनी सिफारिश देगी ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : डा० हजारी की अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति को एक कमरा तक नहीं दिया गया है और जब मंत्री महोदय दौरे पर जाते थे उन्हें उनका कमरा दे दिया जाता था। क्या उसे अब कोई कमरा दे दिया गया है ? क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मंत्रि-परिषद एक और समिति की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : इस बारे में मैंने पहले भी कहा है कि उन्हें कार्यालय के लिये पर्याप्त स्थान दे दिया गया है। यह स्थान शास्त्री भवन में है। इस समिति के कार्य को अब किसी और समिति को नहीं सौंपा जायेगा ?

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : मंत्री महोदय ने कहा है कि समिति की नियुक्ति के बाद उनके मंत्रालय ने कोई नया लाइसेंस नहीं दिया है, हां अन्य मन्त्रालयों ने ये जारी किये हैं। इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ? क्या यह एक मंत्रालय के बारे में ही है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : यह निर्णय मामले को ध्यान में रखकर किया गया है।

**Shri Kanwar Lal Gupta** : I want to know whether the terms of references of the committee would be expanded to include the word of political backing that they had during all these years. I want to know whether it would be included in the terms of reference of the committee, because many ministers and high officials were showing favouritism to them.

**Shri F. A. Ahmed** : No, Sir. There would be no further inclusion in the terms of reference of the committee. We would see when the report of the committee is received.

**Shri Chandrajeet Yadav** : Now the Hon. Minister has said that the Ministry of Petroleum and Chemicals have issued a licence after the appointment of committee and it was issued on basis of merit. This is very ridiculous, particularly when a committee is enquiring into this matter. I want to know whether a circular would be issued to all ministries and State Governments asking them not to do like that ?

**Shri F. A. Ahmed** : The question before us at the moment is that whether all facilities have been provided to this committee ?

**श्री स० कुण्डू** : इस समिति का गठन हजारी रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि आर्थिक शक्ति एकत्रित हो गई है और बिड़ला समूह ने लोकतन्त्र के विरुद्ध कार्य किया है। इस बात का उल्लेख समिति के निदेश पदों में होना चाहिये। ये निदेश पद हजारी रिपोर्ट के अनुसार जांच के लिये कैसे पर्याप्त है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : समिति के निदेश पद मैंने बता दिये हैं। अब यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है। प्रश्न यह था कि क्या समिति ने कार्य आरंभ कर दिया है और क्या सरकार उसे सहयोग नहीं दे रही है ?

**Shri Bhogendra Jha** : The Hazari Report had **prima facie** established that licences were issued in an irregular manner and this was done particularly in regard to Birlas. Now this committee has been asked to go into the whole question. I want to know whether all officers

connected with the issue of licences would be suspended or transferred, so that the work of committee is not tempered with by these officers and the enquiry is conducted without any hinderance ?

**Shri F. A. Ahmed :** Government has given all rights to the committee. It can send for all documents and investigate into matters. Entirely different staff has been provided to the committee.

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग

*847. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री केदार परवान :**
**श्री गयूर अली खां :** **श्री जि० ब० सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 30 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 848 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में उपभोक्त वस्तुओं का निर्माण आरम्भ करने के लिए इस बीच पर्याप्त उपाय किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (ग). यद्यपि चौथी पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की व्यवस्था तथा सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित की जाने वाली योजानाओं का अन्तिम स्वरूप अभी प्रगट होने को है फिर भी चालू योजनाओं को अमल में लाने में प्रगति हो रही है। सनतनगर में संश्लिष्ट औषधि संयंत्र और ऋषिकेश में प्रतिजैविक औषधियां बनाने वाले संयन्त्र में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। चश्मों के शीशे बनाने वाली परियोजना तथा सिक्योरिटी पेपर मिल में काम पूरा होने की अवस्था में पहुंच चुका है। सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने सीमेंट के दो यंत्रों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है। ऊटकमन्ड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ने जनवरी, 1967 से चलचित्र फिल्मों के पाजिटिव (ब्लैक ऐण्ड ह्वाइट) तथा एक्सरे की फिल्मों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। सरकारी क्षेत्र में सीमेन्ट, कागज तथा अखबारी कागज की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।

### कृत्रिम धागे का आयात

*848. **डा० रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव निर्मित्त रेशा उद्योग संघ ने कृत्रिम धागे के आयात के बारे में सरकार की नीति की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो किन बातों की आलोचना की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) मानव निर्मित रेशा उद्योग संघ ने बताया है कि सरकार को मानव निर्मित रेशा बुनाई उद्योग के लिये कृत्रिम(नाइलोन) धागे की आवश्यकता का उचित और वास्तविक निर्धारण किसी समय की अवधि में वास्तव में कार्य कर रहे विद्युत-चालित करघों के आधार पर करना चाहिये था और 33 करोड़ रुपये के इतने अधिक नाइलोन के धागे के आयात से रेशे और धागे का निर्माण करने वाले उद्योग की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ जायेगी ।

(ग) यह आलोचना उचित नहीं है क्योंकि अनुमानतः कुल मांग 100 लाख किलोग्राम की है जबकि उत्पादन देश में लगभग 24 लाख किलोग्राम होता है ।

**राजस्थान में नये कारखाने**

*849. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने उस राज्य में एक स्कूटर कारखाना, एक हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना और दो उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ था ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). सरकार को राजस्थान सरकार से उस राज्य में उर्वरक कारखानों के लिए भारी बिजली संयंत्र की स्थापना करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है । राजस्थान में स्कूटरों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने हेतु राजस्थान सरकार (सरकारी उपक्रम विभाग) जयपुर से एक आवेदन 30 अगस्त, 1965 को प्राप्त हुआ था ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) स्कूटर बनाने के सभी अनिर्णीति आवेदन-पत्रों, जिनमें राजस्थान सरकार का आवेदन भी सम्मिलित है, पर अन्तिम निर्णय मार्च, 1968 के मध्य में किए जाने की सम्भावना है ।

## रेलवे बोर्ड

*853. **श्री रवि राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जनता की इस मांग की जानकारी है कि रेलवे बोर्ड को तोड़ देना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिये हैं कि रेलवे बोर्ड को समाप्त कर दिया जाना चाहिये । जैसा कि रेलवे बजट 1967-68 की अनुदान की मांगों पर की गई चर्चा के समय कहा गया था कि रेलवे बोर्ड का वर्तमान प्रबन्ध और तकनीकी ढांचा रेलवे के कार्य को चलाने के लिये पर्याप्त है । प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक अध्ययन टीम की नियुक्ति की है जो रेलवे के कार्य के सम्बन्ध में प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करेगा ।

## कारों के बनाने में आयातित पुर्जों का प्रयोग

*854. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कारों के बनाने में अभी भी आयातित पुर्जों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कार बनाने में कितनी संख्या में आयातित पुर्जों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या आयातित पुर्जों के स्थान पर देश में बने पुर्जों के प्रयोग किये जाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) तीनों में से प्रत्येक मेक की कार में आयातित एवं देशी पुर्जों का अंश निम्न प्रकार है :

| कार का मेक | प्रत्येक कार में आयातित पुर्जों का मूल्य | देशी अंश |
|---|---|---|
| अम्बासेडर | 350 रु० | 97 प्रतिशत |
| फिएट | 185 रु० | 98.1 प्रतिशत |
| स्टैंडर्ड हैरल्ड | 1,150 रु० | 91.2 प्रतिशत |

(ग) और (घ). कार निर्माताओं अथवा सहायक निर्माताओं के संयंत्रों में कार के पुर्जों का निर्माण बढ़ाकर आयातित पुर्जों के स्थान पर देशी पुर्जे डालने के लिए सम्मिलित प्रयत्न किये जा रहे हैं।

**बोकारो इस्पात परियोजना के लिये भवन निर्माण की सामग्री**

*855. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात परियोजना के लिए अपेक्षित भवन निर्माण की सामग्री तथा उपकरणों के लिए क्रयादेश देश में ढांचे बनाने वाली बड़ी-बड़ी फर्मों को दे दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की किसी भी ऐसी फर्म को यह क्रयादेश नहीं दिए गए हैं जिन पर मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद बोकारो इस्पात प्लान्ट के निर्माण के लिये सामग्री के क्रयादेश से है। इसके लिये आवश्यक मुख्य सामग्री के आदेश हाल ही में दे दिये गये हैं और इसमें से अधिकतर कार्य पश्चिमी बंगाल की फर्मों को दिये गये हैं।

**किर्पिंग ऋण का उपयोग**

*856. **श्री दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है ब्रिटेन से मिले किर्पिंग ऋण का उपयोग धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका उपयोग शीघ्रता से करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**फाइव स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल**

*857. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार भारत के लिए यूराल में एक फाइव स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) उक्त कारखाने में इस्पात की चादरें बनाने की वार्षिक क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या इससे रूस की वोल्गा किस्म की दस लाख मोटर कारें बनाने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ;

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है ।

**धनराज मिल**

*858. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-व्ययक सत्र में मधुसूदन गोर्धन दास के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि जिन मिलों ने अपने लाइसेंस कपड़ा आयुक्त की मंजूरी से धनराज मिल्स के नाम में तबदील किये थे उनका नाम काली सूची में लिखा गया है; और

(ख) क्या वास्तव में उनका नाम काली सूची में लिखा गया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). वाणिज्य मंत्री ने यह उल्लेख किया था कि जिन फर्मों का नाम काली सूची में लिखा गया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । यह कार्यवाही की गई थी परन्तु बाद में यह पता लगा कि चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था अतः उनका नाम काली सूची में नहीं रखा जा सका ।

**गैर-सरकारी कम्पनियों में अंशधारियों के संघों की स्थापना को प्रोत्साहन**

*859. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कम्पनी के निदेशकों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबन्ध को रोकने के लिए सरकार का विचार अंशधारियों के संघों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो प्रबन्ध निदेशकों द्वारा किये गए कदाचारों को रोकने के लिए अब तक और क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). कम्पनी अधिनियम, 1956 में अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का एक ढांचा संग्रहीत है, जो प्रबन्धकों की अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी, तथा उनके द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकना, प्रदान करता है । सरकार अंशधारियों के संघों का, जहां तक कि उनका मुख्य उद्देश्य, अंशधारियों के मध्य रुचि उत्पन्न करना, तथा उन्हें अपने अधिकारों तथा उक्तरदायित्वों को ठीक ढंग से प्रयोग

करना सिखाना है, स्वागत करती है, सरकार के पास अंशधारियों के संघों को जो एच्छिक संगठन है, प्रोत्साहन देने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कम्पनी अधिनियम में ऐसे बहुत से उपबन्धों का समावेश है, जो प्रबन्ध निदेशकों द्वारा अतिसेवन किए गए अनाचार को रोकने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं ।

**Charge-sheets on S. Ms. and A. S. Ms**

*860 **Shri A. B. Vajpayee**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Departmental Enquiry has been instituted and charge-sheets have been served on the Station Masters and Assistant Station Masters for taking part in the "Work to Rule" agitation launched by the All-India Station Masters and Assistant Station Masters Union ;

(b) whether it is also a fact that at the time this agitation was suspended, an assurance was given to the Union of Station Masters and Assistant Station Masters that no action would be taken against those Station Masters and Assistant Station Masters who took part in the said agitation ; and

(c) if so, the reasons for not fulfilling the above assurance ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) No action was taken for 'Working to rule', however, action has been taken against certain staff for obstructive working and adopting dilatory tactics.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**पश्चिम जर्मनी से आयातित डीजल इंजन**

*861. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी से आयातित ब्राडगेज के डब्ल्यू० डी० एस० 3 तथा नैरोगेज के जैड० डी० एम० 3 बहुत से डीजल इंजन जबसे भारत में आए हैं तब से खराब पड़े हुए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और डीजल इंजनों के सामान्य लक्ष्य की तुलना में वे कहां तक बेकार हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि आर० डी० एस० ओ० द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणाम-स्वरूप वर्तमान सूरी ट्रांसमिशन की कार्य कुशलता के बारे में भारी सन्देह को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड वर्तमान हाइड्रालिक ट्रांसमिशन तथा एक आयातित जर्मन ट्रांसमिशन की सहायता से डब्ल्यू० डी० एस० 3 इंजनों के कई तुलनात्मक परीक्षण करने का विचार कर रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि पहले इंजनों का कार्य खराब होने के बावजूद भी रेलवे बोर्ड ने एक और जर्मन फर्म को 82,600 अश्वशक्ति के इंजनों का क्रियादेश दिया है जिनका ट्रांसमिशन तथा इंजन उसी किस्म के हैं जिसकी इंजन की कार्यकुशलता अभी निर्माताओं द्वारा अपने ही देश में सिद्ध नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) **डब्ल्यू ० डी० एस०—3 इंजन ।**

जी, नहीं, ये इंजन संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। उन्हें केवल कुछ अवधि के लिए क्रैंक शाफ्ट के खराब हो जाने के कारण सेवा से हटाया गया था। क्रैंक-शाफ्ट को फिर से लगाए जाने के बाद ये इंजन संतोषजनक कार्य कर रहे हैं और जनवरी से अक्तूबर, 1967 तक उनकी क्षमता औसतन 14.1 प्रतिशत है जो निर्धारित 15 प्रतिशत की औसत में आती है ।

**जैड० डी० एम०—3** : भारतीय रेलवे ने कोई भी जैड० डी० एम०—3 इंजनों का आयात नहीं किया है ।

(ख) जी, नहीं। सूरी ट्रांसमिशन का कार्य सन्तोषजनक रहा है और इसकी क्षमता के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं की जा सकती। फिर भी इसी प्रकार के सूरी ट्रांसमिशन और बोथ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन का प्रतियोगात्मक परीक्षण किए जाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि इन ट्रांसमिशन की मितव्ययता का अनुमान लगाया जा सके ।

(ग) जी, नहीं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है इंजनों में लगाए गए सूरी ट्रांसमिशन सामान्यतया संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं अतः सूरी ट्रांसमिशन को अधिक अश्व-शक्ति वाले इंजनों में लगाकर उसकी शक्ति का विकास किया जा रहा है। पश्चिमी जर्मनी की फर्म मैसर्स रिहिन्सथाल को 8 बड़ी लाइन के 2500 अश्व शक्ति के इंजन का आदेश दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना

*862. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी क्षेत्र में कताई मिल स्थापित करने का कार्यक्रम अत्यन्त अव्यवस्थित हो गया है, क्योंकि पिछले दो वर्षों से बड़ी राशि उपलब्ध नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कताई मिल स्थापित करने के लिए सहकारी क्षेत्र के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान श्री शिवचन्द्र झा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4335 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसका उत्तर उप-प्रधान मंत्री ने 14 दिसम्बर, 1967 को दिया था और जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई है ।

## Trade with Czechoslovakia

*863. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has entered into a trade agreement with Czechoslovakia ; and

(b) if so, the main features of the agreement and the nature of goods to be imported and exported under the said agreement ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh)**: (a) and (b). The Trade Agreement between India and Czechoslovakia signed on 7th November, 1963 is valid upto the end of 1968. The broad pattern of commodities to be exchanged between the two countries during 1968 has been finalised on 28th November, 1967. Indian exports to Czechoslovakia mainly consist of various engineering goods like M. S. pipes and pipe fittings, Diamond Tools, Cutting tools, hand and small tools, Auto ancillaries, locks and pad locks, wagon ancillaries, wire ropes, industrial plant and machinery, storage batteries, switchgears, refrigerators, flash lights, paints and pigments, linoleum, tyres and tubes, ready-made garments, sports goods, cigarettes, ilmenite and ferro manganese etc. in addition to traditional goods like tea, coffee, tobacco, de-oiled cakes, iron ore, manganese ore, jute manufactures, etc. Main commodities to be imported from Czechoslovakia into India during 1968 are machine tools, capital goods, iron and steel products, chemicals and components and raw materials for various Czechoslovak assisted projects, laboratory and scientific equipment, tractors etc.

## ब्रिटेन से आयात की जाने वाली पुस्तकें

*863-क. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौण्ड का अवमूल्यन हो जाने के कारण ब्रिटेन से आयात की जाने वाली पुस्तकों का रुपए में मूल्य कम होता है परन्तु पुस्तक विक्रेता अब भी पुस्तकें पुरानी विनिमय दर पर बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) बम्बई स्थित भारत पुस्तक तथा प्रकाशक संघ को सलाह दी गई है कि वह इस बात पर ध्यान दे कि पुस्तकों का आयात करने वाले व्यक्ति पौण्ड अवमूल्यन के बाद आयातित पुस्तकों को पुरानी विनिमय दर पर न बेंचे। इस सम्बन्ध में उसने आश्वासन दिया है।

(ख) जो पुस्तकों के आयात करने वाले इस शर्त का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध आयात व्यापार नियंत्रण विनियमन के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

## Khetri Copper Project

*864 **Shri Onkar Lal Bohra**: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the date by which the work in respect of Copper Plant being installed near Khetri in Rajasthan is likely to be completed ;

(b) the amount of foreign exchange likely to be saved by the completion of this plant ; and

(c) the reasons for delay in completion of this project ?

**The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy)**. (a) the Khetri Copper Project is now expected to be commissioned by 1970.

(b) Assuming a landed cost of Rs. 7,500 per tonne of imported copper (against the present ruling London Metal Exchange price of £.590 per tonne), the Project, when in full production, will save foreign exchange to the tune of Rs. 23 crores per annum.

(c) The delay in commissioning the project was caused by non-availability of foreign credit to meet the foreign exchange requirement of the Project. Another contributory factor was that after the decision to implement the Project was taken, there was re-thinking about the scope of the Project which was, enlarged by making a specific provision for the recovery and utilisation of by-products with a view to improving the economics of the Project. Further, the delay in procurement of equipment and finalisation of contracts for imported equipment, has also contributed to the delay.

## संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार

*865. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों के मशीनों के पुर्जों का निर्यात करने के बारे में संयुक्त अरब गणराज्य के साथ कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या औद्योगिक सामान तथा उपकरणों को संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात करने के लिए अन्य सम्भावनाओं का पता लगाया गया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). जी, नहीं। कपड़ा मशीनों के पुर्जे सप्लाई किए जाने के सम्बन्ध में की गई उचित जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उनको आर्डर दे दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। नई सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

## बढ़िया किस्म के लौह अयस्क की कुडेर मुख खानें

*866. **श्री मु० न० नाघनूर : क्या इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़िया किस्म के लौह अयस्क की कुडेर मुख खानों में कितना लौह अयस्क मिलने की सम्भावना है, इसकी विस्तृत जांच की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन खानों में लाखों टन बढ़िया किस्म के लौह अयस्क का भण्डार है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन खानों में लौह अयस्क के भण्डार का उपयोग करने के लिए उपयुक्त सहयोग की व्यवस्था करके इस भण्डार का उपयोग करने के लिए कोई अग्रिम (पायलट) परियोजना बनाई ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) नवम्बर, 1965 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा कुदरमुख निक्षेपों का विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य किया गया और यह कार्य प्रगति कर रहा है। निक्षेप निम्न श्रेणी के अयस्क के हैं।

(ख) कुदरमुख की अरोली श्रृंखला में पूर्वेक्षण करने से 600 मिलियन टन सिद्ध अयस्क का पता चला है।

(ग) इन निषेधों के वाणिज्य विदोहन से पहले आवश्यक धातुकार्मिक जांचे और पाइलट प्लांट अनुसंधान करने के कार्य में अमरीका की एक फर्म से तकनीकी और वित्तीय सहयोग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

**केबलों का निर्माण**

*867. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबलों, जिनका इस समय प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये के मूल्य का आयात होता है, की निर्माण क्षमता तथा तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध है ;

(ख) यदि वर्तमान कारखानों को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा अपेक्षित केबल बनाने दिये जायें, तो केवलों का आयात, कितना कम किया जा सकता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान कारखानों को केबल बनाने की अनुमति देने का है जो इस समय आयात किये जाते हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) विभिन्न प्रकार के केबल बनाने के लिए देश में पर्याप्त क्षमता तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध है। फिर भी गत वर्ष 6 करोड़ रुपए के मूल्य का आयात किये जाने के निम्नलिखित कारण थे :

(1) आयात दो या तीन वर्ष पूर्व जारी किये गये लाइसेंसों के आधार पर किया गया जबकि देश में कई प्रकार के केवलों का उत्पादन या तो नहीं किया जा रहा और या फिर देशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था ;

(2) पावर केबलों के आयात की अनुमति परियोजना या ट्रांसमिशन ऋणों पर दी गई थी जबकि तांबा, अल्युमीनियम तथा जस्ते के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं थी और जहां यह ऋण कच्चे माल के आयात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।

(3) केबलों का आयात सरकारी क्षेत्र में आधारभूत कामों के लिए किया गया था। चूंकि देश में केबलों का उत्पादन काफी विकसित हो चुका है अब केबलों के आयात की सरकारी क्षेत्र में आधारभूत कामों के लिए भी अनुमति नहीं दी जाती और अनुमति केवल वहीं दी जाती है जहां आयात के सिवा कोई चारा न हो। अथवा विशिष्ट प्रकार के केबल जिनका उत्पादन देश में नहीं होता के आयात की अनुमति दी जाती है। यहां यह भी कहा जा सकता है कि

पिछले वर्ष 6 करोड़ रुपये के मूल्य का जो आयात किया गया वह देश के कुल उत्पादन का केवल 6 प्रतिशत है।

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र में इन केबलों के उत्पादन के लिए आवश्यक संतुलन संयंत्र तथा उपकरणों के लगाए बिना गैर-सरकारी क्षेत्र में वर्तमान एकक दूर-संचार व्यवस्था के लिये केबलों के उत्पादन में अपर्याप्त है। केबलों के सभी उत्पादकों की संतुलन उपकरणों की कुल इस प्रकार के केबलों का निर्माण करने के लिए आवश्यकता काफी होगी।

(ग) विविधता की सरकार द्वारा घोषित विद्यमान नीति के अन्तर्गत वर्तमान एककों को अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिए उत्पादकों को अपने विद्यमान उपकरणों का प्रयोग करके किसी भी प्रकार के केबलों का कुल क्षमता का 25 प्रतिशत तक उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है।

## हावड़ा रेलवे यार्ड

*868. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा रेलवे यार्ड माल डिब्बों से भर गया है और सम्बन्धित व्यापारी लोग उनसे माल नहीं उतार रहे हैं ;

(ख) क्या इन माल डिब्बों से माल के न उतारे जाने के कारण कई वस्तुएं, जिन्हें विभिन्न स्थानों को ले जाने के लिए वहां रखा गया है, एक महीने से अधिक समय से अभी तक हावड़ा में पड़ी हैं ;

(ग) क्या इससे प्रभावित हुए कई व्यापारियों ने पूर्व रेलवे प्रशासन तथा रेलवे बोर्ड को वस्तुओं के मूल्य तथा भाड़ा देने के सम्बन्ध में लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) कुछ समय पूर्व हावड़ा रेलवे यार्ड माल डिब्बों से भर गया था क्योंकि उतारे गये माल को वहां से नहीं हटाया गया था और इसके परिणाम स्वरूप माल डिब्बों को हटाया नहीं जा सका। अब वहां माल डिब्बे जमा नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

## नेरल-माथेरान रेलवे लाइन को उखाड़ना

*869. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेरल-माथेरान रेलवे लाइन को उखाड़ने और/अथवा नेरल-माथेरान ट्रेन सर्विस को बन्द करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध स्थानीय जनता से कोई विरोध-पत्र मिला है ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि यदि इस रेलवे लाइन को समाप्त कर दिया गया, तो माथेरान की जनता को कठिनाई हो जायेगी ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है क्योंकि यह लाइन हानि में चल रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) कोई भी निर्णय लेते समय इसके सब पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

**पटसन तथा रुई का निर्यात**

*870. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप पटसन तथा रुई पर 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत से पटसन तथा रुई का निर्यात कम न होने पाये, इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). पाकिस्तान ने पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप पटसन तथा रुई पर 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है ।

स्थिति पर काबू पाने के लिए रा-कॉटन पर निर्यात शुल्क में कमी करने का कोई विचार नहीं है । कच्चे पटसन पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है ।

**दुर्बल सूती कपड़ा मिलें**

5413. **श्री बाबूराव पटेल :**
**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री द० रा० परमार :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार कितनी दुर्बल सूती कपड़ा मिलें हैं तथा उनकी आस्तियां तथा दायित्व कितने हैं और प्रत्येक मिल की श्रम क्षमता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक दुर्बल सूती कपड़ा मिल को कब तक सहायता दी जाने की सम्भावना है और इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या ऋण का भुगतान किये जाने के पश्चात मिलों को यथासमय इसके वास्तविक मालिकों को वापिस कर दिया जायेगा ;

(घ) इस सहायता के बदले में सरकार का दुर्बल मिलों से क्या ब्याज या अंश लेने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ दुर्बल मिलों के मामले में, जहां आवश्यक होगा, नई सूती कपड़े की मशीनों के आयात की अनुमति देने का है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) दुर्बल सूती मिलों से माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद उन सूती मिलों से है जो वित्तीय और प्रबन्ध की कमी के कारण कठिनाई में हैं। ऐसी कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि 100 से अधिक मिलों को दुर्बल समझना चाहिए उन मिलों के नाम की जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से उनका कार्य भविष्य में अब से भी ज्यादा कठिनाई में पड़ जायेगा।

(ख) से (घ). उन मिलों के मामले की जांच जिनके प्रबन्ध में दोष हैं या जिन्हें वित्त की कठिनाई है सूती कपड़ा मिलों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए (प्रबन्धक उपक्रमों तथा विघटन या गठन) अधिनियम जिसे हाल ही में संसद् ने पास किया है, की जायेगी और प्रत्येक मिल की परिस्थिति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इसका प्रबन्ध करने के लिये उपर्युक्त विधान के अन्तर्गत एक सूती कपड़ा निगम की स्थापना किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। वह इनका प्रबन्ध करेगा और जहां तक ठीक समझेगा इन मिलों की सहायता करेगा। निगम और मिलों की भी सहायता करेगा, जिन्हें इसकी आवश्यकता होगी। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि या ब्याज की दर और इस सम्बन्ध में आवश्यक अन्य बातें विचाराधीन हैं।

(ङ) देश में उपलब्ध न होने वाली सूती कपड़े की मशीनों के आयात किये जाने पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं है। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार, प्रत्येक मामले के उपयुक्तता के अनुसार ऐसी मशीनों के आयात किये जाने को लाइसेंस दिये जाते हैं।

## सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में सहायक उद्योगों का विकास

5414. **श्री दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों/उपक्रमों में सहायक उद्योगों का तेजी से विकास करने वाले मार्गोपायों का अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) सरकारी उपक्रमों में सहायक उद्योगों का विकास करने पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी ।

(ख) उस समिति ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक उपक्रम में इसकी देखभाल करने के लिए एक पूर्ण कालिक एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए ; अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेश के आधीन एक समिति स्थापित की जाय जो ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में विचार करे तथा इसके विकास के लिए कदम उठाए ; इस उद्देश्य से ऐसी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करे जिसमें विकसित भूमि बिजली तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्था हो ; स्थापित किये जाने वाले सहायक एककों, तकनीकी सहायता, औजारों और परीक्षण यन्त्रों की व्यवस्था की जाय ; जहां तक सम्भव हो दुर्लभ अथवा आयातित कच्चे माल तथा अनिवार्य पुर्जों का सम्भरण करे तथा सहायक एककों के उत्पादों के मूल्य निर्धारित करे और अन्य ऐसे कदम उठाए जो कि उनके विकास को बढ़ावा दे सकें ।

## कम्पनियों द्वारा लाइसेंसों की वापसी

5415. **श्री दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप बहुत-सी कम्पनियों ने जिन्हें लाइसेंस दिये गये थे, उद्योग की स्थापना पर लागत में वृद्धि के कारण लाइसेंस वापस कर दिये हैं ;

(ख) यदि, हां, तो उसका ब्योरा क्या है और परियोजनाएं किस अवस्था में छोड़ दी गई हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप किन-किन वस्तुओं के निर्माण पर प्रभाव पड़ा है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## तांबे की खानें

5416. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तांबे की कुल कितनी खाने हैं, वे कहां-कहां पर हैं और उनके मालिकों के क्या नाम हैं तथा पिछले तीन वर्षों में तांबे की प्रत्येक खान से प्रतिवर्ष कितना तांबा निकाला गया ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में तांबे के उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने के लिये कितनी धन-राशि का नियतन किया गया है ; और

(ग) तांबे सहित अलौह धातुओं के आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) इस समय देश में तांबे की तीन खानें हैं (मुसावानी, सूरदा तथा पाथरघोड़ा—सब बिहार में) यह सब इंडियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड की खाने हैं। इन खानों से तांबे का उत्पादन निम्न प्रकार था :

| | | |
|---|---|---|
| 1964 | 9475 | टन |
| 1965 | 9360 | टन |
| 1966 | 9333 | टन |

(ख) चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) तांबे को मिलाकर कुप्य धातुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा की निम्नलिखित राशि व्यय की गई :

| | |
|---|---|
| 1965-66 | 68.75 करोड़ रुपये |
| 1966-67 | 81.96 करोड़ रूपये |
| 1967-68 (अगस्त 1967 तक) | 48.08 करोड़ रुपये |

**ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन**

5417. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के बारे में भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री के० सी० रेड्डी के नाम भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का 2 सितम्बर, 1962 का पत्र, जिस रूप में वह पत्र 14 नवम्बर, 1967 के समाचार पत्र 'ब्लिट्स' में प्रकाशित हुआ है, सही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सरकारी पत्र का समाचार पत्र को कैसे पता लगा ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) स्वर्गीय प्रधान मंत्री के पत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1962 के उद्धरण के शब्द तथा 14 नवम्बर, 1967 के 'ब्लिट्स' में तथाकथित किये गये भाग के उपक्रम में प्रधान मंत्री के पत्र से अन्तर है ; जिसकी एक प्रति अतारांकित प्रश्न संख्या 3677-ट के उत्तर में सदन के पटल पर रखी गई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2164/67]**

(ख) मामला दृष्टिगत है।

**रेलवे कर्मचारियों को यात्रा पत्र (पास)**

5418. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में 100 रु० से नीचे, 100 रु० और उससे अधिक 300 रु० तक,

300 रु० और उससे अधिक 1000 रु० तक और 1,000 रुपये तथा उससे अधिक 3,000 रु० तक तथा इससे अधिक वाले वेतन खण्डों में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में इन कर्मचारियों को तथा उनके आश्रितों को श्रेणीवार कितने निःशुल्क यात्रा पत्र (फ्री पास) जारी किये गये और इन निःशुल्क यात्रा पत्रों (फ्री पासों) के जारी करने पर रेलवे को अनुमानतः कितना व्यय करना पड़ा ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि रेलवे कर्मचारी निःशुल्क यात्रा पत्रों की इस सुविधा का बहुत दुरुपयोग करते हैं और ये कर्मचारी इन पासों को उन व्यक्तियों को बेच देते हैं जो इनके आश्रित नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है और 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में दोषी पाये गये व्यक्तियों को क्या दंड दिया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन**

5419. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (मैसर्ज) बजोरिया के 20 प्रतिशत शेयर कई बैंकों के पास गिरवी रखे हुए हैं जिनसे वे ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रबन्ध पर नियंत्रण रखने के लिये प्रति पत्र (प्राक्सी) प्राप्त कर लेते हैं यद्यपि इन बैंकों का अधीक्षण रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान प्रबन्धक कारपोरेशन की पांच चीनी-मिलों को बजोरियों के बेनामी व्यक्तियों को बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं ; और

(ग) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की मुनाफे की रकम जो 1961 में 1, 17, 66,191रु० थी उससे कम होकर 1966 में 11, 13, 382, रुपये रह जाने के क्या विशिष्ट कारण है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) सरकार के पास सूचना प्राप्य नहीं है ।

(ख) और (ग). माननीय सदस्य का ध्यान, अतारांकित प्रश्न संख्या 3677-ढ के दिये गये उत्तर के भाग (क) से (घ) तक, आकर्षित किया जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०**-2165/67]

**S. Ms., A. S. Ms. and Ticket Collectors on Western Railway**

5420. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Station Masters, Assistant Station Masters and Ticket Collectors working on the Western Railway and the number of persons separately, holding the above stated posts on permanent and temporary basis;

(b) the period after which the persons working on these posts are confirmed and the number of employees who have been confirmed during the last two years ; and

(c) the number of persons recruited to these posts on the Western Railway from June, 1967 to November, 1967 and the number of Ex-servicemen amongst them ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a)

| | Permanent | Temporary | Total |
|---|---|---|---|
| Station Masters | 942 | 29 | 971 |
| Assistant Station Masters | 2510 | 586 | 3096 |
| Ticket Collectors | 689 | 421 | 1110 |

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) Station Masters Nil
Assistant Station Masters Nil
Ticket Collectors 8
There were no ex-Servicemen amongst them.

**Export of Utensils**

5421. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian exports of Moradabadi utensils have fallen down due to competition from Pakistan in this field ;

(b) whether it is also a fact that High Commissioner of Pakistan in India has sent a large number of Muslim experts engaged in this industry at Moradabad to Pakistan ; and

(c) if so, Government's reation thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) Exports of utensils (copper and brass utensils and EPNS wares mostly manufactured and exported from Moradabad) have not declined as may be seen from the fiures given below. However, exports of brass and copper utensils have registered a decline in 1966-67 as compared with 1965-66.

**Value in Rs. lakhs**

| Commodity | 1965-66 | 1966-67 | April-Sept., '67 |
|---|---|---|---|
| Brass utensils | 11.38 | 9.85 | 4.32 |
| Copper utensils | 2.75 | 0.62 | 0.36 |
| EPNS Wares | 16.99 | 28.17 | 10.20 |
| Total :— | 31.12 | 38.64 | 14.88 |

It is true that Indian exports of utensils are facing some competition from Pakistan in the Middle East countries.

(b) The State Government is being requested to enquire in the matter.

(c) Does not arise.

**Export of Cotton Textiles**

5422. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the countries to which the cotton textiles were exported from January, 1967 to November, 1967 and the extent thereof exported by the public sector and private sector, separately; and

(b) the names of the countries where there is more demand for Indian cotton textiles and the total export of cotton textiles likely to be made by the end of 1967-68 and the estimated foreign exchange expected to be earned therefrom?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)**: (a) and (b). The names of countries/areas to which cotton textiles have been exported during January-October, 1967 with an indication of exports of cotton piece-goods country-wise and value of total exports of cotton textiles in a descending order of their importance, are indicated in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-2166/67]**. Since there is a large number of exporters, it is difficult to say how much of these exports, have been effected by producers in the public sector. Bulk of the export, however, has been effected by private parties.

On the basis of present trends cotton textiles worth about Rs 95 crores are likely to be exported during 1967-68.

**Export of Jute**

5423. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the tonnage of jute exported from January, 1967 to November, 1967 and the tonnage of jute exported during 1966-67 and the foreign exchange earned thereby; and

(b) the total exports of jute likely to be made during 1967-68 and the likely earnings of foreign exchange thereby?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)**: (a) The reference presumably is to jute goods. Statistics are available only upto Angust, 1967. Exports during the period January-August, 1967 amounted to 522,200 tonnes valued at Rs. 168 06 crores (equivalent to 224 million dollars). Exports during 1966-67 were 734,200 tonnes valued at Rs. 235.2 crores (equivalent to 334.4 million dollars).

(b) It is not possible to give any estimate at this stage, except that exports are expected to show some improvement over the 1966-67 exports.

## गुजरात में नये औद्योगिक कारखाने

5424. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में गुजरात राज्य में कितने नये औद्योगिक कारखाने स्थापित किये गये तथा वे किस सीमा तक सफल सिद्ध हुए हैं ; और

(ख) उक्त अवधि में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि दी गई ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

## गुजरात में उद्योग

5425. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली योजना की अवधि में गुजरात में उद्योग स्थापित करने के लिये कितने लाईसेंस दिये गये ;

(ख) पिछली योजना की अवधि में गुजरात में इन उद्योगों को चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया ; और

(ग) पिछली योजना की अवधि में गुजरात में उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये तथा कितना धन खर्च किया गया ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन दिए गए सभी लाइसेंसों का ब्योरा समय-समय पर नीचे लिखे प्रकाशनों में प्रकाशित किया जाता है :

1. आयात एवं निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा निकाला गया बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्टलाइसेंसेज नामक साप्ताहिक पत्र अक्तूबर, 1961 से लेकर उसके बाद की अवधि के बारे में)

2. वाणिज्यिक जानकारी व आंकड़ों के महानिदेशक कलकत्ता द्वारा निकाला गया इण्डियन ट्रैड जनरल" नामक सप्ताहिक पत्र (1 जनवरी, 1958 से लेकर उसके बाद की अवधि के बारे में)

3. वाणिज्यिक प्रचार निदेशक वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निकाला गया जरनल आफ इण्डस्ट्रीज एंड ट्रेड नामक मासिक पत्र (अक्तूबर, 1961 से लेकर उसके बाद की अवधि बारे में)

उपर्युक्त सभी प्रकाशनों की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

किसी भी राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों की स्थापना करने या इन्हें चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा न तो कोई धनराशि दी जाती हैं और न कोई व्यय ही किया जाता है ।

**गुजरात में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें**

5426. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या 1967-68 और 1968-69 में गुजरात में ग्रामीण उद्योगों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार द्वारा इस प्रश्न को निकट भविष्य में उठाये जाने की सम्भावना है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद)** : (क) कोई भी नई ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं स्थापित करने का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम सम्बन्धी मल्यांकन रिपोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जिसके शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है, विस्तार कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जायगा ।

**गुजरात का खनिज सर्वेक्षण**

5427. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में खनिज सर्वेक्षण करने और खनिज निकालने की कोई योजना अन्तिम रूप से तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या गुजरात के लिये एक ऐसी योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) और (ख). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने 1967-68 के दौरान गुजरात में खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण की जो योजना बनाई है, उसमें ये शामिल हैं-कच, सबरकांथा, पंचमहल, जूनागढ़ और बनसकांथा जिलों में भूवैज्ञानिक मान-चित्रण तथा प्रारम्भिक खनिज सर्वेक्षण ; गुजरात में फास्फेट के सांरैखिक मापन, अम्बापाता और

खाण्डिया में कुप्य धातुओं के लिये तथा नूरकूट में एपाटाइट के लिये विस्तृत अनुसंधान ; बड़ौदा और पंचमहल जिलों में कुप्य धातुओं के, बड़ौच जिले में फ्लोरस्पर के, और सबरकांथा जिले में चीनी मिट्टी और स्टीएटाइट के प्रारम्भिक अनुसंधान और बड़ौदा में कुप्य धातुओं के भूवैज्ञानिक अनुसंधान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**चारा तैयार करना**

5428. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पैमाने पर चारा तैयार करने वाले राज्यवार कितने उद्योग हैं और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे 12 बड़े उद्योगों के नाम और पते क्या हैं ;

(ख) चारा तैयार करने के लिये इन उद्योगों में मुख्यतया क्या कच्चा माल प्रयोग किया जाता है ;

(ग) क्या हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को आन्तरिक उत्पादन द्वारा पूरा किया जा सकता है ; और

(घ) क्या पोषक तत्व और दूसरे अपेक्षित तत्वों का पता लगाने के लिये सरकार नियमित और पूर्ण, भौतिक या रासायनिक या अन्य उपयुक्त परीक्षण कर रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री(श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2167/67]**

**Setting up of Industries in Maharashtra**

5429. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the parties to whom licences to set up industries in Maharashtra were issued during the last three Five Year Plans giving details of the Industries and the amount allocated for the purpose and utilised ; and

(b) the amounts allocated by the Central Government for the setting up of these industries and the number of new factories set up in that State during 1966-67 ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A.Ahmed):** (a) Detailed particulars of all licences (including names of parties and industries) are published from time to time in the following publications :

(i) List of Industrial Undertakings licensed by the Central Government under the Industries (Development and Regulation)Act, 1951, during the period up to 31st December,1957.

(ii) List of Industrial Undertakings licensed by the Central Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, during the year 1958 ;

(iii) The Weekly, "Indian Trade Journal", issued by the Director-General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta (in respect of the period from 1st January, 1958, onwards).

(iv) The Weekly, "Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", issued by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, (in respect of the period from October 1961) ; and

(v) The Monthly, "Journal of Industry and Trade", issued by the Director of Commercial Publicity, Ministry of Commerce (in respect of the period from October 1961, onwards).

Copies of all the aforesaid publications are available in the Library of the Parliament House.

(b) No expenditure is incurred by the Central Government for setting up industrial units in the private sector in any of the States. As regards the number of new factories set up during 1966-67, the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## आसाम में रेलवे लाइन

5430. **श्री रूपनाथ ब्रह्म** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव आसाम में वर्तमान रेलवे लाइनों को बढ़ाने का है

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## आसाम में औद्योगिक विकास

5431. **श्री रूपनाथ ब्रह्म** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आसाम में औद्योगिक विकास के लिये अब तक क्या परियोजनाएं आरम्भ की हैं ; और

(ख) क्या आसाम में विभिन्न उद्योगों के लिये कच्चे माल की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

## विश्व में काजू की गिरी का निर्यात

5432. **श्री अदिचन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विश्व में काजू की गिरी का कुल कितना निर्यात होता है ;

(ख) इसमें से काजू गिरी का कितना निर्यात भारत द्वारा किया जाता है ; और

(ग) 1956 की तुलना में आज की क्या स्थिति है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (ग) . एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2168/67]

## काजू की गिरी का निर्यात

5433. **श्री अदिचन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के काजू की गिरी के निर्यात व्यापार में दूसरे देशों की प्रतियोगिता का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के कुछ निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) दूसरे देशों से प्रतियोगिता का सामना करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :

(1) कच्चे काजू का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा प्रायोजक योजना चलाई गई है।

(2) काजू उत्पादक क्षेत्रों से कच्चे काजू को इकट्ठा करने के तरीकों में उन्नति करने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इस सम्बन्ध में एक समिति का विशेष रूप से गठन किया गया था जिसने काजू इकट्ठा करने की समस्या का अध्ययन किया है । इसकी रिपोर्ट विचाराधीन है ।

(3) काजू एककों की क्षमता में विस्तार करने तथा इसके निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से कच्चे काजू का निर्यात लाइसेंस को सामान्य निर्यात लाइसेंस की श्रेणी में रख दिया गया है । पैकिंग के लिये उचित माल की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, टिनप्लेट, पत्तीदार कब्जेटंकाई का सामान इत्यादि को काजू की निर्यात की गई गिरी के 5 प्रतिशत जहाज तक बिना शुल्क की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) और (ग). इन प्रयासों के परिणामस्वरूप हमारा निर्यात 1957-58 में जो 15.65 करोड़ था बढ़कर 1966-67 में 44.75 करोड़ का हो गया है ।

(घ) भाग (क) में उल्लेख की कई बातों के अतिरिक्त सरकार देश में काजू एकक के तरीकों में सुधार करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है । इसके परिणामस्वरूप उत्पादन व्यय में कमी हो जायेगी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद को अधिक प्रतियोगिता हो सकेगी । इस उत्पाद के लिये नये बाजारों का पता लगाने के लिये खोज की जा रही है । इस प्रयोजन के लिये बाजार सर्वेक्षण तथा माल का अध्ययन किया जा रहा है ।

## काजू से बनी वस्तुओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

5434. **श्री अदिचन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956 और 1967 के दौरान काजू से बनी वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ख) डालर के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2169/67**]

## Firms of Chartered Accountants

5436. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state : :

(a) whether it is a fact that the Chartered Accountants Firms have been permitted to appoint Article Clerks without paying any salary to them ;

(b) if so, the period for which such appointments can be made and the terms and conditions in regard thereto ;

(c) whether Government are aware that almost all Chartered Accountant Firms appoint youngmen one or two years before the period fixed for the training without making any payment to them ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to remove this mal-practice ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A, Ahmed)** : (a) Regulations framed under the Chartered Accountants Act, 1949 which govern these matters do not cast any obligation on the Chartered Accountants to pay any salary to their apprentice Article Clerks.

(b) Apprentice-ship is governed by a Covenant and the period varies from 3 to 4 years according to the aforesaid regulations.

(c) Government is not aware of any such case.

(d) Does not arise.

## अचलपुर तथा यवतमाल के बीच गाड़ी

5437. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुर्तजापुर से होकर छोटी लाइन पर अचलपुर से यवतमाल के बीच चलने वाली गाड़ी में बिजली तथा पंखे नहीं होते ;

(ख) क्या यह सच है कि इस लाइन पर जिला तथा तहसीलों के रेलवे स्टेशनों तथा गोदामों में भी बिजली नहीं लगी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) प्रथम श्रेणी के सब डिब्बों तथा तीसरी श्रेणी के 13 डिब्बों में से 6 डिब्बों में बिजली और पंखे की व्यवस्था है। बाकी तीसरी श्रेणी के आठ डिब्बों में केवल बिजली का प्रबन्ध है।

(ख) जी, हां।

(ग) सेन्ट्रल प्रोवेन्सिज रेलवे का कार्य मध्य रेलवे द्वारा केन्द्रीय सरकार करती है। इसका अधिपत्य सेन्ट्रल प्रोवेन्सिस रेलवे कम्पनी लि० में है। सी० पी० रेलवे और उस समय की भारत राज्य के सचिव के हुए करार के अनुसार कम्पनी को आवश्यक पूंजीगत खर्च के लिये कोष की व्यवस्था करनी होती है। धनराशि की व्यवस्था किये जाने के लिये पहले सी० पी० रेलवे कम्पनी को कहा गया था, परन्तु उसने इनका प्रबन्ध करने से इन्कार कर दिया।

**Sheds on Stations on Ellichpur-Yeotmal Section**

5438. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of stations on the Ellichpur-Yeotmal section where sheds have been provided on platforms ;

(b) the arrangements made for prevention from sun and rain at those Stations where sheds have not been provided ;

(c) since when this line is functioning ;

(d) the stations which are district and Tehsil towns, where sheds do not exist ; and

(e) when sheds are proposed to be provided there ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) At no stations on Murtizapur-Achalpur (Ellichpur) and Murtizapur-Yeotmal narrow gauge branch lines sheds have been provided over platforms.

(b) Most of the stations on the section have been provided with small waiting halls where passengers can wait. On a few stations, I and II class combined waiting rooms have also been provided.

(c) Since 1914.

(d) Yeotmal (District town)

Murtizapur, Darwha-Motibag, Banosa (Daryapur) and Achalpur (Tahsil towns).

(e) There is no proposal at present, to provide sheds over platform at stations of this section, as it is owned by C. P. Railway Company, who have expressed inability to provide funds for such improvements.

**सरस्वती नदी पर रेलवे पुल**

5437. **श्री द० रा० परमार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे में पाटन-काकोसी मेतराना रोड सेक्शन पर सरस्वती नदी पर रेलवे का पुल काफी समय से बहुत बुरी स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुल के पुनर्निर्माण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) सरस्वती नदी पर, महसाना-पाटन सैक्शन से 23/14-15 मील दूर स्थित रेलवे पुल नं० 46 बहुत बुरी स्थिति में नहीं है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**काडी दुर्गा काटन मिल्स**

5440. **श्री द० रा० परमार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काडी दुर्गा काटन मिल्स के मामले में शीघ्र निर्णय किये जाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में मामला ले जाने का सरकार का विचार है ;

(ख) मिल द्वारा देय 9,23,000 रुपये की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए क्या मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का सरकार का विचार है ; और

(ग) श्रमिकों तथा मिल के बेकार मजदूरों को राहत देने के लिये सरकार का और क्या उपाय करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) गुजरात सरकार ने पहले ही अपने निषेधादेश वापिस ले लिये हैं ।

(ख) और (ग). जी, नहीं मिल को आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं समझा गया है ।

**राजस्थान में छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग**

5441. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में छोटे और मध्यम प्रकार के उद्योगों के स्थापित किये जाने को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ख) चौथी योजना में इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि नियत करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस समय इस कार्यक्रम को तैयार करने का कार्य किस स्थिति में है ।

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). संबंधित प्राधिकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## राजस्थान में औद्योगिक परियोजनायें

5442. **श्री नन्दकुमार सोमानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान औद्योगिक विकास प्रति व्यक्ति आय और रोजगार की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक पिछड़ा हुआ है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान का शीघ्रता से औद्योगिक विकास करने के लिये वहां कुछ औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाली ऐसी परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से देश के अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में से एक है। प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक रोजगार को ध्यान में रखते हुए यह 16 बड़े राज्यों में नीचे के आधे राज्यों में बीच में रखा जा सकता है।

(ख) जी हां।

(ग) जैसा कि चौथी योजना की रूपरेखा के आरम्भ में बताया गया है, केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनायें इस समय राजस्थान में क्रियान्वित की जा रही हैं :

1. हिन्दुस्तान जिंक लि०, उदयपुर ;
2. उदयपुर की जवार खानों का विस्तार ;
3. मशीनी औजार संयंत्र, अजमेर ;
4. प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री, कोटा ;
5. खेतरी तांबा परियोजना, खेतरी ;
6. राखा और अन्य तांबा परियोजनाएं, राखा।

## Price of Nylon Yarn

5443. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that monopoly of a particular firm is responsible for very high price of nylon in Gujarat ;

(b) whether it is also a fact that foreign yarn of nylon is selling at cheaper rates in the open market in Gujarat because of smuggling ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this behalf ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) No, Sir. Government have fixed the prices at which nylon yarn, both imported and

indigenous, should be sold to the consumers in the country. Certain arrangements for ensuring equitable distribution have also been made.

(b) and (c) . There have been reports recently of foreign nylon yarn being smuggled into the country and sold at a price lower than the ruling market prices for such yarn. Government are taking all practicable measures to prevent smuggling.

## रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड एक के क्लर्क

5444. **श्री सूरजभान :** **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री शारदानन्द :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री ना० स्व० शर्मा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब रेलवे लेखा विभाग में 130-300 रुपये के वेतनक्रम में कार्य कर रहे ग्रेड एक के क्लर्कों के वेतनक्रम में आरम्भिक वेतन बढ़ाकर 150 रुपये किया गया था तो उस समय उन्हें चार अग्रिम वृद्धियां दी गई थीं और उनका वेतन तदनुसार निश्चित किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 130-300 रुपये के वेतनक्रम में कार्य कर रहे स्टेनोग्राफरों की श्रेणी के लिये 1—12—1964 से न्यूनतम आरम्भिक वेतन 150 रुपये निश्चित किया गया था तो उन्हें इस प्रकार अग्रिम वृद्धियां नहीं दी गई थीं और इस प्रकार 4 वर्ष की सेवा वाले स्टेनोग्राफरों को नये स्टेनोग्राफरों जितना ही वेतन मिलने लगा ;

(ग) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इन दो मामलों का मुकाबला नहीं किया जा सकता । पहले मामले में उच्च वेतन-मान में पदोन्नति किये जाने पर अग्रिम वृद्धि की गई है जब कि दूसरे मामले में यह लाभ इस वेतनमान नियुक्ति किये जाने के समय से ही 1 दिसम्बर, 64 से दिया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## हिन्दुस्तान व्हीकल्स लिमिटेड, फुलवारी शरीफ

5445. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सितम्बर, 1965 में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दुस्तान व्हीकल्स लिमिटेड, फुलवारी शरीफ (पटना) का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने दिसम्बर, 1965 में इस कारखाने को चलाने के लिये 5 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में दिये थे ;

(ग) क्या प्राधिकृत नियंत्रक की सलाह पर राज्य के उद्योग विभाग ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय को यह लिखा था कि इस कारखाने को इसके पूर्व प्रबन्धकों को सौंप दिया जाय और केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय इसके लिए सहमत हो गया था ;

(घ) क्या बिहार की नयी गैर-कांग्रेसी सरकार ने राज्य के उद्योग विभाग के औद्योगिक इंजीनियर द्वारा एक जांच कराई थी जिसने यह सिफारिश की है कि कारखाना मुनाफे पर चल सकता है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारें इस कारखाने को पुनः खोलने के बारे में बातचीत कर रही हैं ; और

(च) यदि हां, तो सरकार अन्तिम निर्णय कब तक कर लेगी ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (च). बिहार सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान व्हीकल्स लिमिटेड, पटना को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत 24 सितम्बर, 1965 को अपने अधिकार में ले लिया था। उसका प्रबन्ध तथा कार्य-संचालन बिहार सरकार को सौंपा गया था जिसे उसके एकक के पुनर्वास के लिए आर्थिक व्यवस्था करनी थी। बिहार सरकार के मनोनीत व्यक्ति को एकक का अधिकृत नियत्रंक नियुक्त किया गया था। इस उपक्रम के प्रबन्ध में नियन्त्रक की सहायता करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति स्थापित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए 13 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया था और उसमें से 5 लाख रुपये की पहली किश्त दे दी गई थी। फर्म की बड़ी देनदारियां थीं और राज्य सरकार ने सूचित किया था कि वह उसके पिछले ऋण की अदायगी के लिए धन की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है केन्द्रीय सरकार ने जैसा कि पहले बिहार सरकार ने प्रस्ताव किया था, राज्य सरकार को इसे कम्पनी के मालिकों को पुनः लौटा देने में सुझाव पर विचार करने के लिए कहा था। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उसके औद्योगिक सलाहकार ने कारखाने को राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने के विरुद्ध सलाह दी थी। अधिकृत नियन्त्रक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दी है कि वह अंशधारियों को निदेश दे कि वे निदेशक बोर्ड का चुनाव करें जो कम्पनी के काम को सम्भाल सके और सरकार द्वारा इस कार्य को सम्भालने सम्बन्धी जारी किया गया आदेश रद्द किया जाय।

**Railway Officers in Ajmer Division**

5446. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Gazetted Officers posted in Ajmer Division have continued there for the last four years :

(b) whether it is not contrary to the existing rules in the matter ; and

(c) if so, the number of such officials and the reasons for not transferring them ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) Only a few officers have been working in Ajmer Division for the last four years.

(b) No.

(c) Does not arise.

### खेत्री में उर्वरक कारखाना

5447. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में खेत्री तांबा परियोजना के साथ-साथ खेत्री (राजस्थान) में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां एक उपोत्पाद के रूप में गन्धक का तेजाब उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) हां, महोदय ।

(ख) उर्वरक प्लांट प्रद्रावक तथा तांबा परियोजना की परिष्करणी के साथ चालू किया जाएगा । उपकरण प्राप्त करने में तथा आयातित उपकरणों के ठेकों को अन्तिम रूप देने में देरी होने के कारण तथा इसका प्रभाव दूसरे कामों पर पड़ने से जो परियोजना 1969 में चालू होनी थी वह अब 1970 में चालू हो सकेगी ।

### बिड़ला कम्पनियों के शेयर

5448. **श्री कामेश्वर सिंह** :

**श्री श्रीधरन** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन दर्जनों बिड़ला कम्पनियों की ओर दिलाया गया है जिनके शेयरों के मूल्य बाजार में नहीं बताए जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी फर्म हैं और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). एकाधिकार जांच आयोग रिपोर्ट में दिखाई गई, बिड़ला समूह से संबंधित 151 कम्पनियों में से, 102 कम्पनियों के शेयर, शेयर बाजार में उद्धृत नहीं किए गए । उनमें से 15 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां हैं । साधारणतया, यह कम्पनी प्रबन्धकों के निर्णय पर है कि कम्पनी के शेयर, शेयर बाजारों में उद्धृत किए जायें या नहीं ।

### Talks between Aga Khan and Minister of Commerce

5449. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the topics on which talks were recently held in the capital between him and the Aga Khan ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh)** : The Aga Khan called on the Minister of Commerce on 17th November, 1967. Among other things, they discussed the possibility of the Aga Khan taking greater interest in the developmental activities in India in the industrial and the agricultural fields. No specific proposals were discussed.

**Madhu Breweries, Madhya Pradesh**

5450. **Shri Shiv Kumar Shastri** : **Shri Ram Avtar Sharma** :
**Shri Prakash Vir Shastri** **Dr. Surya Prakash Puri** :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that licence for manufacturing beer in Madhya Pradesh was given to a certain lady in the name of Madhu Breweries ;

(b) whether it is also a fact that the lady in whose name this licence was issued is an employee in Jawahar Lal Nehru Therapy Institute ;

(c) whether her financial status was also ascertained before issuing the licence ;

(d) whether it is also a fact that she has sold off this licence to somebody else at a heavy price ; and

(e) if so, whether Government have enquired into the whole case ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) No such licence under the Industry (Development and Regulation) Act, 1951 has been granted.

(b) to (e). Do not arise.

**रूरकेला इस्पात कारखाने में काम करने वाले पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति**

5451. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये बहुत से व्यक्तियों को उनके पूर्व इतिहास की ठीक प्रकार से जांच करे बिना ही रूरकेला इस्पात कारखाने में नौकरी पर लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को नौकरी दी गई है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है।

**भारत से लौह अयस्क का निर्यात**

5452. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से वर्ष 1966-67 में, देशवार, कितने मूल्य के लौह-अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या गोआ से लौह-अयस्क का निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो वर्ष 1966-67 में कितना निर्यात किया गया था और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में बिहार में लौह-अयस्क का उत्पादन कितना हुआ और इसमें से यदि भारत से बाहर निर्यात किया गया है तो कितना तथा किन-किन देशों को और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी)** : (क) भारत से प्रतिवर्ष 1966-67 में देशवार किये गये लौह-अयस्क का मूल्य सभा-पटल पर रख दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2170/67]**

(ख) जी, हां। 7.22 करोड़ टन लौह-अयस्क जिसका मूल्य लगभग 294.0 करोड़ है निर्यात किया गया है।

(ग) वर्ष 1966–67 के दौरान बिहार राज्य में लौह-अयस्क का कुल उत्पादन 5.44 करोड़ टन हुआ। चूंकि माइन-हैड और रेल-हैड का स्टाक प्रतिवर्ष बदलता रहता है और खानों से लौह-अयस्क स्थानीय कारखानों और पत्तनों को निर्यात के लिए सप्लाई किया जाता है। अतः इस्पात कारखानों को दिए गए लौह-अयस्क को घटाकर इसके आंकड़े देना सम्भव नहीं। एम० एम० टी० सी० द्वारा निर्यात के लिए क्रय 'लदान रेलवे स्टेशन तक बिना शुल्क' के आधार पर किया जाता है। और बड़ाजामदा क्षेत्र में स्थिति सात स्टेशनों में से बहुत से स्टेशन बिहार और उड़ीसा में स्थित खानों के लिये कार्य करते हैं, क्योंकि लौह-अयस्क निक्षेप अन्तरराज्य के सीमा-क्षेत्र के दोनों ओर स्थिति हैं। अतः लदान स्टेशनों द्वारा भेजे गये आंकड़ों का ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

## पश्चिम यूरोप के देशों को भारतीय चलचित्रों का निर्यात

5454. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम यूरोप के देशों को भारतीय चलचित्रों का निर्यात करने के लिए बाजारों की संभावना का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी)** : (क) और (ख). भारतीय चलचित्रों का पहले ही पश्चिमी यूरोप के विभिन्न देशों में निर्यात किया जा रहा है उनमें से मुख्य देशों के नाम इस प्रकार हैं : ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फांस, इटली, नैदरलैंड, स्वीटजरलैंड और स्पेन। भाषा की कठिनाई के कारण पश्चिमी जर्मनी में भारतीय चलचित्रों का निर्यात सीमित है। इनमें से अधिकतर देश स्वयं ही अच्छी फिल्मों के उत्पादक हैं और फिल्मी तकनीकी में बहुत आगे बढ़े हुए हैं।

**Khadi Promotion Organisations**

5455. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a major portion of the amount being spent to encourage Khadi industry through Khadi Promotion Organisations, is finding its way into the pockets of some persons instead of being spent on the industry itself and that these organisations have become the centres of corruption and malpractices ;

(b) if so, whether Government propose to appoint a commission to look into the misappropriation of Government money ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) to (c). Whenever any case of misappropriation of funds comes to notice of the Government, necessary action is taken for recovery of the money and punishment of the offender.

**पी० एल० 480 के अन्तर्गत तम्बाकू का आयात**

5456. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत तम्बाकू को भी शामिल किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितनी कीमत के तम्बाकू का आयात किया गया ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) जी, हां ।

(ख) पी० एल० 480 के अन्तर्गत 1962–63 से 1967-68 के दौरान अनिमित तम्बाकू का मुख्यत: निम्नलिखित कीमत का आयात किया गया था :

| वर्ष | कीमत लाखों रुपयों में |
|---|---|
| 1962-63 | 137.23 |
| 1963-64 | 82.64 |
| 1964-65 | 39.34 |
| 1965-66 | 2.27 |
| 1966-67 | 23.67 |
| 1967-68 (अगस्त 1967 तक) | 131.42 |

**दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मशीनों को क्षति**

5457. **श्री गयूर अली खां :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में करोड़ों रुपये की मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) से (ग). शायद सदस्य महोदय का अभिप्राय दुर्गापुर में क्षतिग्रस्त हुई कोयले की भट्टी से है। इस सम्बन्ध में ब्योरा पाण्डेय आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में दिया गया है, जिसे पहले ही सभा-पटल पर रखा जा चुका है और रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय का उल्लेख 19 जुलाई, 1967 के संकल्प में किया जा चुका है, जिसकी एक प्रति पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है।

## पाण्डे समिति का प्रतिवेदन

5458. **श्री केदार पस्वान** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डे समिति के प्रतिवेदन को पूर्णरूपेण प्रकाशित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## Investment in Import and Export Trade

5459. **Shri Bhogendra Jha :**
**Shri Chandra Shekhar Singh :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total capital invested in the import-export trade and the total annual profit being earned on it ;

(b) whether the amount of foreign exchange misappropriated by under-invoicing and over-invoicing every year in the said trade has been estimated by Government ; and

(c) if so, the result thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi)** : (a) There are a large number of registered exporters as well as established exporters who are engaged in export of different commodities in India. Besides, many people are handling import export trade as indenting agents, or on commission basis, and as such an assessment of total capital invested or profit earned cannot be made.

(b) It is not possible to estimate the amount of foreign exchange misappropriated by over-invoicing and under-invoicing in the import-export trade.

(c) Does not arise.

## मीट्रिक प्रणाली आरम्भ करने पर व्यय

5460. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तौल के लिये मन सेर के स्थान पर क्विंटल और किलोग्राम का प्रयोग किस वर्ष

से आरम्भ हुआ था तथा इस प्रणाली को आरम्भ करने पर, जिसमें प्रशासन तथा पर्यवेक्षक कर्मचारियों पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है, कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) इस परिवर्तन से क्या लाभ हुये हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) नागालैंड के मैकोकचुंग और कोहिमा जिलों को छोड़कर देश के सभी भागों में मैट्रिक प्रणाली का आरम्भ 1 अक्तूबर, 1958 से 1 अप्रैल, 1960 के बीच हुआ था। इसके प्रयोग किये जाने के लिये 2 वर्ष की संक्रमण कालीन अवधि नियत की गई थी जो 31 मार्च, 1962 को समाप्त हुई। मैकोकचुंग और कोहिमा जिले भी, संसद् द्वारा माप-तौल और परिमापन अधिनियम 29 अगस्त, 1967 से इन जिलों में लागू किये जाने के बाद, उसी श्रेणी में आ गये हैं। इस मामले में भी 2 वर्ष की संक्रमणकाल अवधि निर्धारित की गई थी।

केन्द्रीय सरकार ने इसके ऊपर निम्नलिखित व्यय किया जिसमें संस्थापन तथा परीवीक्षण कर्मचारियों का खर्चा भी शामिल है :

(1) राज्य सरकारों को 4 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें 50 प्रतिशत ऋण था और 50 प्रतिशत अनुदान।

(2) 17 लाख रुपये भारत सरकार के माप-तौल निदेशक तथा सम्पर्क संगठन पर व्यय किये गये।

(ख) इस तरह के परिवर्तन के निम्नलिखित लाभ हैं :

(1) देश में सब स्थानों पर समान माप-तौल के प्रसाधन हैं। पहले के समान विभिन्न तरह के माप-तौल के प्रसाधन नहीं हैं।

(2) चूंकि मैट्रिक प्रणाली दशमलव पर आधारित है अतः इससे खरीदने, बेचने, खाता बनाने, आंकड़ा बनाने तथा इसमें शिक्षा देना भी सरल है;

(3) नई माप-तौल प्रणाली परिशुद्धता की गारन्टी है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार में बेईमानी में कमी हुई है और इससे सामान्य जनता को सुविधा हुई है।

(4) समान माप-तौल के पैमाने के परिणामस्वरूप देश के सब भागों में मूल्य निर्धारित करने में आसानी है।

## पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करार

5461. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1960 के बाद से अब तक पूर्वी यरोप के देशों के साथ हुए समस्त व्यापार करारों की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सत्र में इन करारों की प्रतियां सभा-पटल पर रखेगी; और

(ग) इन करारों की प्रतियां संसद् सदस्यों और जनता को किन स्थानों पर उपलब्ध हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). जैसे ही पूर्वी देशों के साथ करार सम्पन्न हुए उन करारों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में संसद् सदस्यों की जानकारी और प्रयोग के लिये भेज दी गई थीं ।

इन करारों का सार सार्वजनिक जानकारी के लिये 'इण्डियन जनरल' में भी प्रकाशित किया गया है ।

**दुर्गापुर में पहिये और एक्सेल बनाने के कारखाने में बनी वस्तुएं**

5462. **श्री श्रीधरन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में पहिये और एक्सेल बनाने के कारखाने में बनी वस्तुएं खराब पाई गईं ;

(ख) क्या रेलवे ने ऐसी बहुत सी वस्तुओं को अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**उर्वरक कारखानों की स्थापना**

5463. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में उर्वरक बनाने के कारखाने लगाने के बारे में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). देश में ही उर्वरक उद्योग के लिए उपकरणों के उत्पादन हेतु सरकारी एवं गैर-सरकारी कुछ वर्तमान उपक्रमों में उपलब्ध फालतू क्षमता का उपयोग करने के संबंध में प्रगति हुई है । बहुत सी ऐसी चीजें अब देश में ही बनायी जा रही हैं जिनका पहले आयात किया जाता था । हां, उर्वरक उद्योग के लिए उपकरण बनाने हेतु वर्तमान उपक्रमों में जितनी फालतू क्षमता उपयोग में लायी जा सकती है, वह इस उद्योग की वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

इस कमी को पूरा करने की दृष्टि से सरकार विशाखापत्तनम में हैवी प्लेट और वेसल की एक परियोजना स्थापित कर रही है । इस कारखाने का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है । मुख्य संयंत्र एवं सहायक भवनों के ढांचे बनाने का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है । अधिकांश

उपकरणों के लिये अधिकतर आर्डर दिये जा चुके हैं और वर्ष 1969 के अन्त तक कारखाना बनकर तैयार हो जायेगा। यद्यपि सम्पूर्ण कारखाना तो वर्ष 1969-70 के उत्तरार्ध तक ही बनकर तैयार हो सकेगा किन्तु ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे कुछ सादे ढंग के उपकरणों का निर्माण वर्ष 1968-69 के अन्त तक आरम्भ किया जा सके।

सरकार पम्प और कम्प्रेसर संयंत्र स्थापित करने का भी प्रबन्ध कर रही है जहा उर्वरक उद्योग के लिये इस प्रकार के विशेष उपकरण बनाए जायेंगे। उर्वरक उद्योग के लिए बहुत ही विशेष किस्म के सेन्ट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर बनाने का सुझाव भी विचाराधीन है। गैर-सरकारी क्षेत्र के कई कारखानों सहित कोटा का इंस्ट्रूमेंटेशन संयंत्र इस उद्योग के लिए यंत्रों की आवश्यकता की पूर्ति काफी प्रतिशत मात्रा में करेगा।

## लोहा और इस्पात नियंत्रण के कार्यालय का पुनर्गठन

5464. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय का पुनर्गठन करने के लिये अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (ग). इस्पात तथा लोहा नियंत्रण के पुनर्गठित कार्यालय की शक्ति का ब्योरा और कार्यालय में रखे गये पदों के वेतनमान इत्यादि के सम्बन्ध में अध्ययन जारी है।

## Mail/Express trains from Delhi and Lucknow to Bombay

5465. **Shri A. B. Vajpayee :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a proposal to introduce Mail/Express passenger trains from Delhi to Bombay and from Lucknow to Bombay is under consideration ;

(b) if so, since when and the time by which the said trains are likely to be introduced ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) and (b). Presumably, the reference is to introduction of an additional train from Delhi and Lucknow to Bombay. This is not at present feasible for want of the requisite coaches, spare line capacity enroute and inadequate terminal facilities at Bombay VT, Delhi and Lucknow.

(c) Does not arise.

**विवियन बोस आयोग का प्रतिवेदन**

5466. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री गयूर अली खां :**
**श्री श्रीधरन :** **श्री केदार पस्वान :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को क्रियान्वित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, सरकार ने श्री सी० के० दफ्तरी, तत्कालीन सालीसिटर जनरल, तथा मद्रास उच्चन्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश तथा वरिष्ठ एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय, स्वर्गीय श्री ए० बी० विश्वनाथन शास्त्री, जिनसे जनता के हितार्थ कानूनी दृष्टिकोण से तथा वृहत्तर दृष्टिकोण से, विचार करने की प्रार्थना की गई थी; की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुये, कम्पनी अधिनियम के संशोधन पर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया। कम्पनी अधिनियम में 1963 तथा 1965 में, आयोग तथा दफ्तरी-शास्त्री कमेटी की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिये, किसी पब्लिक कम्पनी के इक्विटी हिस्सा पूंजी में 5 प्रतिशत से अधिक लाभदायक भाग रखने का प्रकटीकरण, तथा किसी कम्पनी के समापन की दशा में अधिमान्य करों पर प्रतिपादन संबंधी दो सिफारिशों को छोड़कर, संशोधन किये गये। लाभदायक भाग रखने संबंधी सिफारिशों के बारे में, कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1964 की संयुक्त समिति ने महसूस किया कि हिस्सा पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक भाग रखने वालों को कम्पनी के लिये सूचना रखना, जब तक ऐसे अंशधारी स्वयं ही इसकी सूचना न दें, कठिन होगा। इसलिये समिति ने संगत खंडों को विधेयक से हटा दिया। दूसरी सिफारिश के बारे में यह महसूस किया गया, कि आयकर अधिनियम की धारा 178 के उपबन्धों की अधिभावी प्रकृति को दृष्टि में रखते हुये, सिफारिशों पर अमल करने का ठीक स्थान, कम्पनी (संशोधन) विधेयक नहीं, आयकर अधिनियम होगा।

विशेष पुलिस संस्थापन ने डालमिया जैन एयरवेग केस की जांच 15-6-1963 को पुनः प्रारंभ की, तथा जांच के पूर्ण होने पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी/409, 465, 467 तथा 477 के अधीन अपराधों के लिये सर्वश्री एस० पी० जैन, आर० डालमियां तथा अन्यों के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आरोप पत्र मिसिल कर दिये। आरोपों पर बहस की सुनवाई के लिये दूसरी तिथि 2-2-1968 है।

**मेसर्स नानक चंद शादी राम**

5467. **श्री कामेश्वर सिंह :**

**श्री श्रीधरन :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 30 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेसर्स नानक चन्द शादी राम के मामले में इस बीच कार्यवाही कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). हाल ही में प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय ने मैसर्स नानक चंद शादी राम द्वारा फाइल के गई अपील को स्वीकार कर लिया है और उसको दोषमुक्त कर दिया है। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए आगे कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

**हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में काम**

5468. **श्री कामेश्वर सिंह :**

**श्री श्रीधरन :**

**श्री गयूर अली खां :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश से स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को नौकरियों में वरीयता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कर्मचारियों की भर्ती के विषय में यह समझ लिया गया है कि अपेक्षाकृत छोटे स्थानों पर यदि परियोजना केन्द्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाय तो लाभप्रद रहेगा। वर्तमान नीति के अनुसार तृतीय एवम् चतुर्थ श्रेणियों अथवा समान ग्रेडों के स्थानों व अतिरिक्त पदों पर भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन द्वारा तथा योग्यता के आधार पर चुनाव करके की जाती है।

**हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना**

5469. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज

कारखाना स्थापित करने के बारे में काने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और यह प्रस्ताव अन्तिम स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). प्रश्न में उल्लिखित डा० काणे समिति की सिफारिशें हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सरकार को परामर्श के लिए भेज दी गई थीं। केन्द्रीय सरकार ने अब उस पर अपने विचार हिमाचल प्रदेश के प्राधिकारियों को भेज दिए हैं।

**उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षु**

5470. **श्री सरजू पाण्डेय :**
**श्री कं० हाल्दर :**
**श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षुओं ने अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए 2 अक्तूबर, 1967 को उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मुख्य मांगे ये हैं : स्थायी किये जाने के आदेश जारी किये जाना, अधीक्षक और उच्च वर्ग में उनके लिये स्थानों को सुरक्षित रखना, सब रेलवे के आधार पर वरिष्ठता की सूची बनाये रखना। उच्च श्रेणी के कुछ पदों पर समस्त रेलवे कर्मचारियों को प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति दी जाना। उन पदों पर हुए रिक्त स्थानों को उन्हीं में से भरा जाना।

(ग) इन मांगों पर उचित प्राधिकार द्वारा विचार किया जा रहा है और जो कार्यवाही उचित समझी जायेगी वह की जायेगी।

**पूर्व रेलवे के क्लर्कों को युद्ध के दौरान की गई सेवा का लाभ**

5471. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री राममूर्ति :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के बहुत से क्लर्कों को, जो सेना से मुक्त होने के

पश्चात् रेलवे में पुनः नियुक्त किये गये थे, गृह-कार्य मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 6/16/49-ओ० एस०, दिनांक 25-8-1949 के अनुसार युद्ध के दौरान की गई सेवा का लाभ नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने क्लर्क हैं जिन्हें युद्ध के दौरान की गई सेवा का लाभ नहीं दिया गया ; और

(ग) उसके क्या कारण है ;

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय में लिपिकों की पदोन्नति**

5472. **श्री विश्वनाथ मेनन** : **श्री अब्राहम** :
**श्री चक्रपाणि** : **श्री उमानाथ** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय, की दावा शाखा (क्लेम्ज ब्रांच) के निम्न श्रेणी के लिपिकों की पदोन्नति के सभी द्वार बन्द कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के मुख्यालय के निम्न श्रेणी के लिपिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्राप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**ऐलगिन मिल्स लिमिटेड का ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन में विलय**

5473. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐलगिन मिल्स लिमिटेड, कानपुर का ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में विलय किये जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम ने जो ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के बाद इस कम्पनी की अंश पूंजी में दूसरा बड़ा अंशधारी है; इसकी स्वीकृति दे दी थी;

(ग) क्या समवाय विधि बोर्ड ने इसे स्थगित करने का सुझाव दिया था और जीवन बीमा निगम ने उसका समर्थन किया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एलगिन मिल्स लिमिटेड को तीन वर्ग बैठकों तथा 11 जुलाई, 1967 को हुई साधारण बैठक में, जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधियों को मिलाकर, सभी उपस्थित सदस्यों ने, एलगिन मिल्स के ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में एकीकरण का अनुमोदन किया ।

(ग) और (घ). 6 अक्तूबर, 1967 को इलाहाबाद उच्चन्यायालय द्वारा, दिये गये आदेश को अनुसरण करते हुये, 20 नवम्बर, 1967 को हुई बैठक में, भारत सरकार के प्रतिनिधि के सुझाव पर, योजना पर, उस समय तक विचार करना स्थगित कर दिया, जब तक कि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का पूर्ण विधिसम्मत निदेशक-मंडल, कार्यालय में न आ जाय । इस संकल्प का जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि द्वारा दूसरों के साथ, समर्थन किया गया ।

**स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों का तबादला**

5474. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री नम्बियार :**
**श्री भगवान दास :** **श्री उमानाथ :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी हिदायतें जारी की हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्टेशन मास्टरों और सहयक स्टेशन मास्टरों का तबादला करते समय उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बातों को ध्यान में रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन हिदायतों का पालन किया जा रहा है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । इन सब पहलुओं पर उचित रूप से विचार किया जा रहा है ।

**दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे में प्रशिक्षु (अप्रैंटिस) ड्राफ्ट्समैन और एस्टीमेटर्स**

5475. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री एस्थोस :**
**श्री राममूर्ति :** **श्री गणेश घोष :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के 25 अप्रैल, 1956 के पत्र संख्या ई/56/ई० सी० आई०/4/55/3 के अनुसार 1956 में दक्षिण-पूर्व और पूर्व रेलवे में कुल कितने प्रशिक्षु (अप्रैंटिस) ड्राफ्ट्समैन और एस्टीमेटर्स भर्ती किये गये थे ;

(ख) उनकी सेवा की शर्तें क्या थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त शर्तों पर भर्ती किये गये कुछ प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने से पहले रेलवे सेवा आयोग में इन्टरव्यू की अनुमति दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सीधे भर्ती किये गये प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता के लिये नियम बनाने का है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति**

5476. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **श्री राममूर्ति** :
**श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री प० गोपालन** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नतियों के बारे में कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). परिवहन कर्मचारियों के लिये सब वर्गों में जिसमें सहायक स्टेशन मास्टर और स्टेशन मास्टर भी शामिल हैं, के पदों में समान रूप से पदोन्नति करने के प्रश्न रेलवे के विचाराधीन हैं ।

**पूर्व रेलवे पर दावा शाखा के लिपिक वर्ग**

5477. **श्री भगवान दास** : **श्री अब्राहम** :
**श्री नम्बियार** : **श्री रमानी** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई, 1967 में पूर्व रेलवे कलकत्ता के चीफ कमर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट की दावा शाखा के लिपिक वर्ग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस अभ्यावेदन पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ). पूर्वी रेलवे से इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**मलकागंज, दिल्ली के निकट कबरिस्तान**

5478. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्फ बोर्ड के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि दिल्ली में मलकागंज स्थित पुराने कबरिस्तान को किसी परिवहन कम्पनी को किराये पर दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे खाली कराने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि यह घनी आबादी वाला इलाका है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रबन्ध समिति राइयां, सब्जीमंडी, दिल्ली के सचिव के विरुद्ध भूमि पट्टे पर दिये जाने के बारे में जांच कर रहा है और उसने कानूनी नोटिस दिया है । जांच पूरी हो जाने के बाद ही वक्फ अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा और आगे कार्रवाई की जायेगी ।

**दिल्ली में साफ्ट कोक की कमी**

5479. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में साफ्ट कोयले की अत्यन्त कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए अन्य क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) सरकार को दिल्ली में साफ्ट कोक की अत्यन्त कमी के विषय में कोई ज्ञान नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**अखबारी कागज का मूल्य**

5480. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखबारी कागज का मूल्य बढ़ाने का विचार कर रही है ताकि उद्योगपतियों को इस उद्योग में आने को प्रोत्साहन मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय की घोषणा कब की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद)** : (क) अखबारी कागज की कीमतें बढ़ाये जाने के प्रश्न (न कि लागत) के सभी पहलुओं पर इस समय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस पर सरकार द्वारा निकट भविष्य में ही निर्णय किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सीमेंट नियतन तथा समन्वय संस्था द्वारा दिया गया दान**

5481. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सीमेंट नियतन तथा समन्वय संस्था के चेयरमैन से इस बारे में और विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा है कि सीमेंट नियतन तथा समन्वय संस्था ने सीमेंट पर से नियंत्रण हटाये जाने के बाद सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य वृद्धि से उसको मिलने वाले धन में से व्यक्तियों को तथा राजनैतिक दलों को कितना दान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको उत्तर मिल गया है ; और

(ग) क्या यह सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सीमेंट नियतन तथा समन्वय संस्था द्वारा दिये गये दान तथा उसके द्वारा किये गये अन्य खर्चे का ब्योरा (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2171/67]**

**रेलवे विद्युतीकरण परियोजना**

5482. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाने द्वारा घटिया उपकरण दिये जाने के कारण रेलवे विद्युतीकरण कार्यक्रम पिछड़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**मद्रास विधान सभा के सदस्यों को मुफ्त रेलवे पास**

5483. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य विधान सभा के सदस्यों को राज्य में यात्रा करने के लिये मुफ्त पास जारी करने के लिये रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने में एकीकृत मजदूर संघ**

5484. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों में एकीकृत मजदूर संघ स्थापित करने का किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस्पात कारखानों के वर्तमान मजदूर संघों से इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) से (घ). शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय ऐसे प्रबन्ध से है जिससे प्रत्येक कारखाने में मजदूर संघ के सच्चे प्रतिनिधि को पहचाना जा सके चूंकि ऐसे प्रतिनिधि को अधिकार है कि वह सबकी कठिनाइयों या सामान्य मामलों में शासक और संयुक्त स्थायी समिति के सदस्यों से औद्योगिक विवाद के प्रश्न को हल करने के लिये बातचीत कर सके । यदि हां, तो इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार किया गया है और हाल ही में उस पर कुछ व्याख्यात्मक और प्रारम्भिक चर्चा सम्बद्ध मजदूर संघों से की गई है ।

**ढांचों वाला इस्पात बनाने के उद्योग में बेकार पड़ी क्षमता**

5485. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढांचों वाला इस्पात बनाने के उद्योग की बहुत बड़ी क्षमता बेकार पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उद्योग की वर्तमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ग). माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा के 30 जून, 1967 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 841 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ख) आमतौर पर सभी इन्जीनियरी उद्योग के उत्पादन क्षमता के कम उपयोग की समस्या का सामना कर रहे हैं और इसका प्रभाव इस्पात के ढांचे बनाने के उद्योग में भी दिखाई देता है।

**लोहा ढलाई घरों की काम में न लाई जाने वाली क्षमता**

5486. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में, लोहा ढलाई घरों की क्षमता के एक बड़े अंश का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पूर्वी क्षेत्र के लोहा ढलाई घरों की वर्तमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) देश के पूर्वी भाग में स्थित तथा तकनीकी विकास का महानिदेशालय में पंजीबद्ध अधिकांश लोहा ढलाई घर मुख्य रूप से ढले लोहे के स्लीपर जैसी रेल की पटरियों का सामान बनाने में लगे हुए हैं। रेलवे विभाग द्वारा अपने रेल पथ विकास कार्यक्रम की अत्यधिक कटौती किये जाने के कारण, जिसमें ढले लोहे के स्लीपर जैसा रेल पथ का सामान इस्तेमाल किया जाता था, इन ढलाई घरों को अपनी उत्पादन-क्षमता बनाये रखने के लिये पर्याप्त आर्डर नहीं मिल रहे हैं।

(ग) चूंकि स्लीपर बनाने वाले इन कारखानों की अन्य वस्तुएं बनाने की क्षमता सीमित है, अत: वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूरी तरह उपयोग तभी सम्भव है जबकि रेलवे मंत्रालय अपने रेल पथ विकास कार्यक्रम को यथासम्भव अधिक से अधिक बढ़ाये।

**Organisation to give Loans to Small Scale Industries**

5487. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Small Scale Industries Board has sent a proposal to Government to set up a separate organisation for giving loans to small scale industries ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision taken by Government in regard thereto ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)**: (a) to (c). The All India Small Scale Industries Board has recommended that a separate financial institution should be established for financing small scale industries. No final decision has been taken by Government on this recommendation.

**Reservation Quotas for Intermediate Stations**

5488. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to allot adequate quota in the matter of reservation of seats in all classes to intermediate small stations also and not junction stations only; and

(b) if so, the details thereof?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) and (b). No. A specific quota of reserved accommodation by trains is exclusively allotted to such intermediate stations where passenger traffic is heavy and there is regular demand. Demands for reservation from other intermediate stations are met by the train starting stations.

**Role of Planning Cell and D. G. T. D.**

5489. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the powers and functions of the Planning Cell in each Ministry and the Director General of Technical Development are different; and

(b) if so, the details thereof?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)**: (a) By and large the functions of the Planning Cell and the D. G. T. D. are different.

(b) While the Planning Cell are established primarily for the purposes of formulation of Five Year and Annual Plans of the concerned Ministries, both in physical and financial terms and to make specific plans and proposals for projects in Public Sector, the D. G. T. D. has a much wider role to play. The D. G. T. D. keeps an up-to-date record of the capacities and production trends of the Projects in Private Sector. It furnishes all the data on capacities, productions and trends in the Industrial Development to the Planning Cells in the concerned Ministries to facilitate the formulation of Development Plans. Besides, it advises Government on the formulation of Import and Export Policies, tariff protection and training of technical personnel overseas, etc. D. G. T. D., taking into account the equipment, raw materials and components available in the country, allocates foreign exchange for the import of necessary commodities for the establishment of industries and their successful functioning. It conducts studies from time to time to find out substitutes for imported and scarce raw materials and finished products, D. G. T. D. guides the work of the Development Councils constituted under the Industries (Development and Regulation) Act, and performs the work of Secretariat of the various Development Councils.

**Loss Due to Agitation in West Bengal**

5490. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the estimated loss suffered by the Railways due to agitations in West Bengal during November, 1967;

(b) the number of trains whose departure was delayed from Howrah and Sealdah Stations during the above mentioned period; and

(c) the number of trains bound for Howrah which had to be stopped on the way?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a)* Rs. 2.21 lakhs (approximately):

(b) Seven

(c) 26 trains were affected on South Eastern Railway.

**नायलोन के धागे का मूल्य**

5491. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नायलोन के धागे का औसत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव क्या है ;

(ख) राजकीय व्यापार निगम नायलोन के धागे किस मूल्य पर खरीदता है ; और

(ग) राजकीय व्यापार निगम आयातित नायलोन के धागे किस मूल्य पर बेचता रहा है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) नायलोन के धागे का मूल्य प्रत्येक देश में किस्म के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। अत: नायलोन का औसत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव नहीं है

(ख) नायलोन के धागे की खरीद का मूल्य भी उसके प्रकार, किस्म, उम्दापन और आयातित देश के अनुसार भिन्न होता है। भारतीय व्यापार निगम ने प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर इसका क्रय किया है।

(ग) भारतीय व्यापार निगम ने 15 और 20 दिनायर की उत्तम किस्म के नायलोन के धागे का मूल्य 123 और 108 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। द्वितीय श्रेणी और जोबलेट्स पर क्रमश: $6\frac{1}{4}$ और $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट दी जाती है

**"ब्लीडिंग मद्रास" के निर्यात में कदाचार**

5492. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागावेदु लुंकी कम्पनी, मद्रास के विरुद्ध उनके द्वारा 1965 में "ब्लीडिंग मद्रास"

*This does not include railway earnings.

के निर्यात में किये गये कदाचारों संबंधी विशेष पुलिस संस्थान द्वारा की गई जांच का परिणाम क्या निकला ;

(ख) विशेष पुलिस संस्थान ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या नागावेदु लुंकी कम्पनी अब भी "ब्लीडिंग मद्रास" अथवा किसी अन्य कपड़े का निर्यात कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) नागावेदु लुंकी कम्पनी, मद्रास के मालिक और 4 फर्मों के विरुद्ध व्यवहार प्रक्रिया की धारा 120-बी, 420, 467, 471 और 484 और सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है ।

(ख) 2 मई, 1967 को मद्रास में, द्वितीय श्रेणी के प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग लगाया गया था ।

(ग) मामला मुकदमे के लिये रुका है

(घ) पता चला है कि नागावेदु लुंकी कम्पनी इस समय कोई भी हाथ से बने कपड़े का निर्यात नहीं कर रही है ।

**Exports and Imports**

5493. **Shri Bhogendra Jha:**
**Shri Chandra Shekhar Singh :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of countries with which trade has increased during the last five years and the difference in the said trade in regard to exports and imports ;

(b) the steps being taken to increase the exports to such countries in regard to which the import is more than export ; and

(c) whether Government propose to adopt a policy to decrease the import from such countries in regard to which the import is more than export and to increase the trade mainly with those countries in regard to which import and export is more or less equal ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) Trade has increased with 24 countries. The difference in the said trade is as under :—

| | (value in US $ Million) |
|---|---|
| (i) Increase in exports | 313.521 |
| (ii) Increase in imports | 768.845 |
| **Difference** | 455.324 |

(b) The following steps are being taken to increase the exports to the countries with which the import is more than export :—

(1) Negotiating of trade agreements/arrangements.

(2) Periodical discussions with the representatives of the concerned countries for exploring ways and means to develop trade with such countries.

(3) Bilateral discussions for the removal of tariff and non-tariff barriers to our exports coupled with efforts in international forum towards the same end.

(4) Preparation of surveys and studies in respect of products of potential interest.

(5) Participation in Trade Fairs and Exhibitions abroad.

(6) Opening of the offices of (i) the State Trading Corporation which deal in a large number of exportable items in U.S.S.R., Czechoslovakia, Hungary, East Germany and New York ; and (ii) Engineering Export Promotion Council in Montreal and Chicago respectively.

(7) Visits of Trade Delegations to and from abroad.

(8) Organisation of Seminars and India's weeks with the active co-operation of the trade associations in the countries concerned, for providing to the importers and consumers an idea of India's export potentialities and for identifying the fields in which Export Promotion activities can yield maximum results within the shortest possible time.

(9) Visits by businessmen to explore the possibilities of increasing our exports in particular fields and to secure orders from the foreign firms.

(10) Indian industrialists are encouraged to set up industries in these countries in collaboration with their industrialists or on their own, with a view to pushing up exports of machinery from India.

(c) In view of our developmental requirements India will have to import more than what she can export for some time more. Trade between countries is motivated more by each others demands which can be met by them than by the balancing of the trade. However, every effort is being made to balance our trade with the countries with which we have unfavourable balance.

## Ashoka Paper Mills, Bihar

5494. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ashoka Paper Mills, Darbhanga district of Bihar has been lying idle for the past four years for want of funds and that Bihar Government have decided to take over the Mills ; and

(b) whether the Central Government propose to grant four crores of rupees for the purpose ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) and (b). M/s Ashoka Paper Mills ran into financial difficulties at the very erection stage and there is no progress for about the last three years to complete the plant.

It is understood that the Government of Bihar is contemplating to help this mill to come up but no concrete proposals have so far been submitted to the Central Government.

**इस्पात की लागत**

5495. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में निर्मित इस्पात की लागत कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित इस्पात के मूल्य से कितना कम है;

(ग) क्या यह सच है कि इस्पात के कुछ कारखाने पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इनमें कोई विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो किन कारखानों में ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** (क) और (ख). सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में निर्मित इस्पात के मूल्य में वृद्धि हो रही है। 1966-67 के दौरान इस्पात मिल का उत्पादन शुल्क का ब्योरा इस प्रकार है :

| रूड़केला | भिलाई | दुर्गापुर | टिस्को | इस्को |
|---|---|---|---|---|
| 279.75 (ओ० एच०) 272.99 (एल० डी०) | 245.10 | 281.54 | 267.46 | 294.58 |

(ग) जी, हां। कारखानों का पूरी क्षमता से काम न करने के लिये बहुत से कारण हैं जिसमें देश में मंदी के कारण इस्पात के उत्पादन में कमी, कुछ कारखानों में गम्भीर श्रम संकट और देश में सामान्यतया श्रम संकट आदि।

(घ) तीनों इस्पात कारखानों में प्रसार हो रहा है। भिलाई में 1 करोड़ के स्थान पर उत्पादन 2.5 करोड़ टन हो गया है। रूरकेला में 1.8 करोड़ टन और दुर्गापुर में 1.6 करोड़ टन भिलाई इस्पात की क्षमता में 2.5 करोड़ टन से वृद्धि करने के लिए नये संयंत्र को लगाया जा रहा है।

**बैरल और ड्रमों का निर्माण**

5496. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का तेल बैरलों की नई क्षमता के लिये पंजीयन करने से पहले निम्न जानकारी प्राप्त कर ली गयी थी :

(एक) क्या देश में तेल बैरल बनाने की क्षमता बेकार पड़ी थी क्योंकि लाइसेंस वाली क्षमता की एक पारी की आवश्यकता के लिये भी सरकार इस्पात चादरें देने में असमर्थ थी;

(दो) हिन्द गैलवेनाइजिंग ने तेल बैरल बनाने के लिए मशीनरी प्राप्त की और इसे स्थापित किया क्योंकि इंडियन गैलवेनाइजिंग कम्पनी ने उनको तेल बैरल प्लांट नहीं बेचा था और क्या हिन्द गैलवेनाइजिंग कम्पनी ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मशीनें लेने और स्थापित करने के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त की थी ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (एक) और (दो). मेसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं० (प्रा०) लि० की आयल बैरल बनाने की क्षमता का पंजीयन करने से पूर्व कच्चे माल की उपलब्धि सहित संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा गया था। जांच करने पर यह पाया गया कि वर्तमान मशीनें चलाने से उनके लिए आयल बैरल बनाना संभव है। एक पुराने आयातक से अतिरिक्त मशीनें खरीदी गईं। फर्म द्वारा बताई गई स्थिर आस्तियों के मूल्य को देखते हुए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस का प्रश्न ही नहीं उठता।

**Hindi Instructors in Railway Department**

5497. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the pay scale of Hindi instructors in the Ministry of Home Affairs is Rs. 250-475 and in the Railway Department it is Rs. 170-380, while the Syllabii prescribed qualifications of both are identical and they work under the same examining body; and

(b) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

**Investment House for the Development of Small Scale Industries in Uttar Pradesh**

5498. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7250 on the 28th July, 1967 and state:

(a) the reasons for not setting up an Investment House in Utter Pradesh; and

(b) the names of other States in whieh Investment Houses have been set up ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) The Small Scale Indsutries Board in their 24th meeting held at Bangalore in July, 1966 discussed this question in detail and finally recommended the establishment of a National Investment House at the Centre to meet the financial needs of the small scale industries. It has also been provided in the proposal that National Investment House will have their Regional Offices each covering one or more States. The proposal is still under the consideration of the Standing Committee on Credit Facility of the Small Scale Industries Board. The Sub-Committee met 3 times and their report will be finalised shortly. The State of Uttar Pradesh will be covered under the appropriate Regional Office if and when the proposal for setting up a National Investment House is finally accepted.

(b) Does not arise.

**नारियल जटा बोर्ड का अनुसन्धान उप-केन्द्र**

5499. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 9 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2005 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उलुबेरिया में नारियल जटा बोर्ड का अनुसन्धान सम्बन्धी उप-केन्द्र कब स्थापित किया गया था;

(ख) उसके हाल ही में बन्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ट्रीडल काटने की मशीन पर नारियल जटा कातने में कितने व्यक्तियों को स्थानीय रूप से प्रशिक्षित किया गया है; और

(घ) वहां अनुसन्धान केन्द्र चलाने पर कितना धन व्यय किया गया और यह व्यय का संस्थापन व्यय का कितने प्रतिशत है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) दिसम्बर, 1961 के मध्य तक ।

(ख) उसके बन्द किए जाने के मुख्य कारण यह हैं कि नारियल की जटा में कताई का प्रशिक्षण देने के लिए नारियल जटा का सप्लाई न किया जाना और वर्तमान प्रयोगशाला का अनुसन्धान परियोजना में कमी का होना ।

(ग) 14

(घ) इस स्टेशन पर 31 मार्च, 1967 तक 3,15,805 रुपये खर्च हुए जिसमें 16.6 प्रतिशत संस्थापन व्यय है ।

**खादी का बिना बिका भण्डार**

5500. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाए गए खादी तथा ग्रामोद्योग भवन तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के पास इस समय खादी का कितना स्टाक है;

(ख) पिछले दो वर्षों में उन्हीं तारीखों को कितना-कितना स्टाक था;

(ग) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में खादी की बिक्री कम होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो खादी की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, जिससे खादी कातने वालों और बुनकरों को, जो खादी तैयार कर रहे हैं, बेरोजगार न हो जायें ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**चत्तरपुर गांव, दिल्ली में कबरिस्तान**

5501. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चत्तरपुर गांव स्थित कबरिस्तान मुर्गीपालन के लिये किराये पर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मुर्गीपालन केन्द्र का मालिक कौन है;

(ग) जब इस मुर्गीपालन केन्द्र के मालिक को यह कबरिस्तान किराये पर दिया गया था उस समय वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन था ; और

(घ) इस स्थान को खाली कराने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**वक्फ बोर्ड, दिल्ली**

5502. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा नियुक्त वक्फ बोर्ड की अवधि सितम्बर, 1967 को समाप्त हो चुकी थी और यदि हां, तो नये वक्फ बोर्ड को मनोनीत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विषय को किसी और को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां । इस मामले पर विचार करने में कुछ समय लग गया ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह नीति संबंधी मामला है ।

**दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों और इमामबाड़ों का किराये पर दिया जाना**

5503. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा कुछ मस्जिदों और इमामबाड़ों

को अथवा उनके कुछ भागों को किराये पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मस्जिदों और इमामबाड़ों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसा करना वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के विरुद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**लघु उद्योगों पर मन्दी का प्रभाव**

5504 **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों पर मन्दी के प्रभाव के सम्बन्ध में जांच करने वाले अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**फरक्का का औद्योगिक विकास**

5505. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषतया मोटरगाड़ियों तथा नदी परिवहन की नौकाओं के निर्माण के लिए फरक्का का एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास किया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो इससे पश्चिम बंगाल में आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार की कितनी अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध होंगी ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) फरक्का के औद्योगिक विकास के लिए इस समय सरकार के विचाराधीन कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## फरक्का का औद्योगिक विकास

5506. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को परामर्श दिया है कि फरक्का में औद्योगिक क्षेत्र परियोजना चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ न की जाये;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

## Export of Iron Ore

5507. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of iron ores and other minerals exported to foreign countries during 1966-67 about which the foreign buyers have complained of being sub-standard and the amount of loss suffered by the Government of India on this account ; and

(b) the action taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) and (b). In addition to iron ore, there are more than a score of other types of ores which are also exported in large or small quantities from India. Besides M. M. T. C., private firms also export various types of ores except those canalised for export through the Corporation. It is considered that the time and effort spent in the collection of information from all the exporters will not be commensurate with the result achieved.

## Train Drivers sent Abroad

5508. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of train drivers so far sent abroad ;

(b) the names of the countries in which they are working ; and

(c) the names of the countries which are sending their demands for Indian drivers ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) 68.

(b) 46 in Zambia and 22 in Nigeria.

(c) Zambia and Nigeria only have sent demands for Indian Drivers so far.

**Export of Rails and Wagons**

5509. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the total quantity of rails exported to foreign countries during 1966-67 and the names of the countries to which railway wagons and rails have been exported during the above period ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** Export of rails during 1966-67.—A quantity of 10925 tonnes of rails was exported to Sudan during 1966-67.

Countries to which rails and wagons exported during 1966-67 :—

**Rails :** Sudan

**Wagons :** Kenya

**Companies producing Eatables and Drinks with Foreign Collaboration**

5510. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of companies producing eatables and drinks with foreign collaboration in the country ;

(b) the percentage of profits remitted to foreign countries by companies producing Coca-cola, Glaxo Milk, Ovaltine, Horlicks ; and

(c) the share of profits of the above companies given to the foreign collaborators ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) Seven.

(b) and (c) . The required information is not available with the Government.

**Import of Cotton from U. S. A.**

5511. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of bales of cotton to be imported from U. S. A. during 1967-68 ; and

(b) how this number compares with the number of bales imported during the last year ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shfi Qureshi) :** (a) Approximately 5·50 lakh bales.

(b) In 1966-67, cotton authorised for imports from U. S. A. was 3·905 lakh bales against which actual imports during the first eleven months i. e. September, 1966 to July, 1967 were 2.89 lakh bales.

**Import of Tallow**

5512. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the purpose for which tallow is being imported ;

(b) whether it is a fact that tallow is being used for purposes other than those for which Government allows its import; and

(c) if so, the steps taken by Government to prevent its misuse ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) Tallow is imported for use in the manufacture of soap, metal polishes, fatty acids, lubricating greases, packings and jointings etc.

(b) Government are not aware of tallow being used for any other purpose.

(c) Does not arise.

## औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा स्वायत्तशासी निगमों के लेखों की लेखा-परीक्षा

5514. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन स्थापित किये गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निगमों की संख्या कितनी है ;

(ख) जबसे वे निगम या उपक्रम स्थापित हुए हैं तब से कौन-कौन सी लेखा-परीक्षक फर्म अथवा शासपत्रित लेखापाल उनकी लेखा-परीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) 1966 तक उन्हें कितनी राशि शुल्क के रूप में दी गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 18 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं ।

(ख) और (ग). इन (उपक्रमों) की स्थापना के समय से 31-3-66 तक बनाया हुआ, उनकी लेखा-परीक्षा करने वाली चार्टर प्राप्त लेखाकारों को फर्मों के नाम तथा सरकार द्वारा तय की गई उनके पारिश्रमिक की राशि, बताता हुआ एक विवरण-पत्र, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2172/67]**

## इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के तथा स्वायत्तशासी निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा

5515. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम और स्वायत्तशासी निगम स्थापित किए गए हैं;

(ख) उनकी स्थापना होने के पश्चात् लेखा-परीक्षकों की कौन-कौन सी फर्में और शासपत्रित लेखाकार उनकी लेखापरीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1966 तक उनको शुल्क के रूप में कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के तथा स्वायत्तशासी निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा**

5516. **श्री अर्जुन सिंह भदौदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा स्वायत्तशासी निगम स्थापित किए गए हैं ;

(ख) उनकी स्थापना होने के बाद लेखापरीक्षकों की कौन-कौन सी फर्में और शासपत्रित लेखाकार उनकी लेखापरीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1966 तक उनको शुल्क के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) पांच ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**मयूरभंज लाइट रेलवे लाइन का उखाड़ दिया जाना**

5517. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 114 किलोमीटर लम्बी मयूरभंज लाइट रेलवे लाइन (एम० एल० आर० लाइन) को बन्द करने और उसकी पटरियां उखाड़ने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि मयूरभंज लाइट रेलवे से प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये की आय होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मयूरभंज लाइट रेलवे का निर्माण पूर्णतः उड़ीसा राज्य के राजस्व से किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया है । यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि भंगरीपोसी और तालबन्ध के बीच की रेलवे लाइन के एक भाग को जिसकी लम्बाई 24 किलोमीटर है, यात्री यातायात के लिये 1932 से बन्द कर दिया गया था और 1 अप्रैल, 1967 से इसे सब प्रकार के यातायात के लिये बन्द कर दिया गया था । रूपसा और भंगरीपोसी के बीच बची रेल लाइन की लम्बाई 90 किलोमीटर है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भाग (क) से (ग) के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

## पीपे और ड्रमों का बनाना

5518. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सटैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को निर्धारित क्षमता का लाइसैंस देने के बजाय पीपे और ड्रम बनाने का व्यवसाय चलाने के निमित्त अस्थायी क्षमता का औद्योगिक लाइसेंस देने के क्या कारण हैं;

(ख) 1961 में जबकि इस फर्म की आरम्भिक क्षमता 3700 टन से 6100 टन थी सरकार द्वारा 1964 में इस फर्म की क्षमता का 14538 टन पर पुनः निर्धारण करने के क्या कारण थे और फर्म की क्षमता का यह निर्धारण किस प्रकार किया गया था, जबकि सरकार उस फर्म के वर्तमान एककों की लाइसेंस द्वारा निर्धारित क्षमता की एक शिफ्ट के लिए भी इस्पात की चादरें देने में असमर्थ थी; और

(ग) क्या सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उनको कारखाने का पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति दी थी ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) से (ग). उत्पादन-क्षमता अस्थायी बताई गई थी क्योंकि निरीक्षण के बाद वह फिर से लगाई जानी थी । नवम्बर, 1961 में किये गए निरीक्षण के आधार पर 6100 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता का प्रस्ताव किया गया था । वर्ष 1963-64 में आयल बैरल बनाने वाले सभी कारखानों की उत्पादन क्षमता फिर से आंकी गई थी जिसके आधार पर उसकी उत्पादन-क्षमता बढ़ाकर 14,538 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष कर दी गई । इन सभी कारखानों की उत्पादन क्षमता आंकी गई थी और उनमें समान रूप से संशोधन कर दिया गया था ।

## दिल्ली और हावड़ा के बीच तेज एक्सप्रैस गाड़ी

5519. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर शीघ्र ही एक नयी तेज चलने वाली एक्सप्रैस गाड़ी चलायी जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य रेल किराये से कुछ अधिक किराया देने पर केवल कुछ श्रेणियों के ही यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे ; और

(ग) क्या यह सप्ताह में तीन बार चलने वाली वर्तमान एयरकंडीशण्ड बस्टीब्यूल ऐक्स-प्रेस के स्थान पर चलायी जायेगी या उसके अतिरिक्त होगी ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). प्रस्ताव के सम्बन्ध में तकनीकी और आर्थिक जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचा गया है ।

(ग) इसके अतिरिक्त ।

## राज्यों में कृषि पर आधारित उद्योग

5520. **श्री दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को वे विशिष्ट क्षेत्र बताने को कहा गया है जिनमें कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया जा सकता है ; और

(ख) इस बारे में प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**-2173/67]

## Tyre Factories

5521. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number, names and location of Cycle, Motor and Scooter tyre factories in the country ; and

(b) whether Government have exported tyres and tubes to foreign countries and if so, the details thereof?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) A statement (Annexure I) is laid on the Table **[Placed in Library. See No. LT-2174/67].**

(b) Details of exports of tyres and tubes are given in the statement (Annexure II) which has been laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-2174/67].**

## कागज उद्योग में तकनीशियन

5522. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत पांच वर्षों में कागज उद्योग में कितने विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति की और उनकी किन-किन पदों पर नियुक्ति की गई;

(ख) इन तकनीशियनों को वेतन और भत्ते आदि के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है ; और

(ग) विदेशी तकनीशियनों के स्थान पर भारतीय तकनीशियनों को नियुक्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). सरकार कागज उद्योग के लिये किसी भी विदेशी तकनीशियन को काम में नहीं लगाती। फिर भी नेपा मिल्स जो कि एक सरकारी उपक्रम है अखबारी कागज बना रहा है और उसने 1962-63 में कुछ विदेशी तकनीशियनों को काम में लगाया था। ये तकनीशियन कास्टिक सोडा/क्लोरीन एकक के लिए मशीन सम्भरणकर्ताओं द्वारा कुछ समय के लिए भेजे गए थे। उनके वेतनों और भत्तों के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## उड़ीसा के फूलबानी जिले में उद्योग

5523. **श्री अ० दीपा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के फूलबानी जिले में कोई उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) उड़ीसा के फूलबानी जिले में केन्द्रीय क्षेत्र में कोई नया उद्योग स्थापित करने के लिये कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के तथा स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन

5524. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम तथा स्वायत्तशासी निगम स्थापित किये गये हैं ;

(ख) कौन सी विज्ञापन एजेंसी आधा प्रचार कार्य कर रही है ;

(ग) क्या इसका स्वामित्व पूर्णतया भारतीयों के हाथ में है ; और

(घ) 1966 तक उन्हें कितना कमीशन दिया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद)** : (क) औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र की कुल 19 स्वायत्तशासी कम्पनियां/निगम (हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० की सहायक कम्पनी सांभर साल्ट्स लि० को मिलाकर) हैं।

(ख) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**सहयोग करारों की जांच करने के लिये समिति**

5525. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहयोग सम्बन्धी करारों में यह पता लगाने के लिये कि उनमें कोई गम्भीर गलती तो नहीं हो गई थी केन्द्रीय सरकार ने उच्च शक्ति वाली समिति स्थापित करने सम्बन्धी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां. तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विदेशी सहयोग व्यवस्था में हुई गम्भीर त्रुटियों की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद)** : (क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**छोटी कार**

5526. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से छोटी कार की निर्माण करने के लिए लाइसेंस देने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बम्बई का वस्त्र आयुक्त**

5527. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के वस्त्र आयुक्त के विरुद्ध सरकार को दो आरोप-पत्र

(दिनांक 26 अगस्त, 1967 तथा 6 सितम्बर, 1967) प्राप्त हुए हैं;

(ख) उसमें लगाये गये आरोपों का ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का ये दोनों आरोप-पत्र तथा उनके उत्तर सभा-पटल पर रखने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य का अभिप्राय 26 अगस्त, और 6 सितम्बर, 1967 को उनके लिखे गये पत्रों से है जिनमें भूतपूर्व सूती कपड़ा आयुक्त के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में शिकायतें की गई हैं ;

(1) मधुसूदन गोरधनदास द्वारा नायलोन फिलामेन्ट का आयात किया जाना ।

(2) रुई का वस्तु विनिमय आधार पर आयात ।

(3) इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन को आयातित रूई में सहायता देने की योजना ।

(4) भारतीय रुई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की अनुमति ।

(5) 1962 में आपात् स्थिति घोषित किये जाने के पश्चात् ऊन का आयात और वितरण ।

(6) वरस्टेड के सूत 50,000 पौण्ड सूत को मोडल वूलन मिल्स को अलाट किया जाना और उनके द्वारा रेशम करघों को ऊनी करघों में परिवर्तित किया जाना ।

(7) दिल्ली में हुए सम्मेलन में केन्द्रीय उत्पादन प्राधिकार द्वारा बिरला मिल के मामले के सम्बन्ध में भाग लिया जाना ।

शिकायत की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है । इसके अतिरिक्त ऊनी उद्योगों को ऊन, नायलोन, ऊनी रेशम और ऊनी उत्पादों के अक्टूबर, 1962 से आयात तथा विभिन्न एककों को अलाट किये जाने के प्रश्न की भी प्राक्कलन समिति द्वारा जांच की जायेगी ।

(ग) और (घ). ऊपर उल्लेख की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

**उपकरणों का मूल्य**

5528. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित वस्तुओं के सामने लिखे गये देशों से प्राप्त की गई इन वस्तुओं के लिये कितना मूल्य चुकाना पड़ा :

| वस्तु का नाम | वर्ष | देश का नाम |
|---|---|---|
| 1. व्यावसायिक, वैज्ञानिक और नियंत्रण संबंधी औजार | 1960-61 से 1966-67 तक | पूर्वी जर्मनी/पोलैंड |
| 2. अखबारी कागज | 1960-61 से 1966-67 तक | रूस/पोलैंड |

(ख) इन वस्तुओं की सप्लाई करने वाले अन्य देशों अर्थात् जापान, अमरीका, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन में इनके बाजार भावों की तुलना में ये मूल्य कितने कम या अधिक हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी यूरोप के देशों से आयात की गई मशीनरी और उपकरणों के लिये चुकाये गये मूल्य कई मामलों में अन्य देशों में इनके बाजार भाव से लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक अधिक थे; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में पूर्व योरुप के देशों के साथ व्यापार वार्ता के द्वारा या अन्य देशों से इनको मंगवाकर हानि से बचने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (घ). वर्ष 1960-61 से 1966-67 तक रूस, पोलैंड, जापान, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन से आयातित अखबारी कागज का जो मूल्य दिया गया, उसके ब्योरे का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2175/67]**

इस ब्योरे से यह मालूम होता है कि रूस तथा पोलैंड को आयातित अखबारी कागज का अन्य देशों की अपेक्षा कम मूल्य दिया गया है।

व्यावसायिक वैज्ञानिक और नियंत्रण सम्बन्धी औजारों के आयात मूल्यों का वस्तुवार ब्योरा तैयार करना सम्भव नहीं है। क्योंकि ये वस्तुएं विभिन्न देशों से विभिन्न मूल्यों पर आयात की जाती हैं और उनके मूल्यों में देश-देश में बहुत अधिक अन्तर होता है।

## मशीनरी का मूल्य

5529. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित वस्तुओं के सामने लिखे गये देशों से प्राप्त की गई इन वस्तुओं के लिये कितना मूल्य चुकाना पड़ा :

| वस्तु का नाम | वर्ष | देश का नाम |
|---|---|---|
| (1) बिजली के सामान से भिन्न मशीनरी | 1960-61 से 1966-67 तक | सोवियत रूस/ चैकोस्लोवाकिया |
| (2) बिजली की मशीनरी | 1960-61 से 1966-67 तक | सोवियत रूस/ चैकोस्लोवाकिया |

(ख) इन वस्तुओं की सप्लाई करने वाले अन्य देशों अर्थात् जापान, अमरीका, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन में इनके बाजार भावों की तुलना में ये मूल्य कितने कम या अधिक हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी यूरोप के देशों से आयात की गई मशीनरी और उपकरणों के लिये चुकाये गये मूल्य कई मामलों में अन्य देशों में इनके बाजार भाव से लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक अधिक थे; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार-वार्ता के द्वारा या अन्य देशों से इनको मंगवाकर हानि से बचाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख). रूस और चैकोस्लोवाकिया से बिजली का सामान तथा अन्य सामान बहुत अधिक मात्रा में मंगाया जाता है और विभिन्न प्रकार का मंगाया जाता है। इस स्थिति में यदि वस्तुओं के नाम बता दिये जायें तो उनका मूल्य बताया जा सकता है और तुलना की जा सकती है।

(ग) और (घ). मूल्यों की तुलना तभी की जा सकती है जब कि किसी केन्द्रीय ऐजेन्सी द्वारा खरीदारी की जाये, जैसा कि सरकारी विभागों के बारे में। चूंकि अनेक आयात लाइसेंस गैर-सरकारी व्यापारियों के पास हैं और उनसे जानकारी उपलब्ध करना सम्भव नहीं है। जहां तक सरकार द्वारा की गई खरीदारियों का सम्बन्ध है सौदा करने वाली समितियों द्वारा मूल्यों की जांच की जाती है।

## भारत का खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण

5530. **श्री स० कुण्डू** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं से भारत में खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण करने की सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं तथा उन पर अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ग) क्या यह खनिज सर्वेक्षण विदेशी सहयोग से किया जा रहा है और यदि हां, तो इन परियोजनाओं तथा सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा की सरकारों से संयुक्त राष्ट्र की सहायता से खनिजों तथा भूगर्भ जल सर्वेक्षण की योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन पर विचार किया जा रहा है। तथापि मद्रास सरकार इस समय ऐसी सर्वेक्षण की योजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सहायता से हवाई सर्वेक्षण भी शामिल है।

यू० एस० ए० आई० डी० की सहायता से "आपरेशन हाई राक" के अधीन देश के कुछ चुने हुए खण्डों में खनिज पदार्थों के हवाई सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 120,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण करने का विचार है जिसमें नीचे दिये तीन

क्षेत्रों में एरोमैगनेटिक, सिंटिलोमीट्रिक तथा इलैक्ट्रोमैगनेटिक तरीकों से किये गये 144,000 लाइन किलोमीटर के सर्वेक्षण शामिल हैं।

(1) आंध्र प्रदेश का पूर्वी कुडाणा खण्ड ;

(2) राजस्थान का अरावली खण्ड ;

(3) बिहार की अबरक पट्टी और रांची पठार।

परियोजना की समस्त लागत लगभग 4.5 करोड़ रुपये है जिसमें 2.5 करोड़ रुपये (3.5 मिलियन डालर) विदेशी मुद्रा शामिल है जो कि यू० एस० ए० आई० डी० ऋण की इसी राशि में से पूरी की जायगी।

**रेलवे सलाहकार समितियों और रेलवे प्रयोक्ता समितियों का पुनर्गठन**

5531. **श्री स० कुण्डू :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के विभिन्न सलाहकार तथा रेलवे प्रयोक्ता समितियों का पुनर्गठन करने और उन्हें अधिक व्यापक तथा अधिक लोकतंत्रीय बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) से (ग). वर्तमान रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों में से कुछ की अवधि 31-12-1967 को समाप्त होने तथा कुछ अन्य की अवधि 31-3-1968 को समाप्त हो जाने पर दक्षिण-पूर्व रेलवे सहित सभी रेलवे लाइनों पर ऐसी समितियां दो बर्ष की अवधि के लिये गठित की जायेंगी।

ये समितियां सलाहकार के रूप में होती हैं तथा इसमें यथासम्भव अधिक प्रतिनिधित्व होता है जिसमें रेलवे प्रयोक्ताओं के सभी प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व होता है।

विभिन्न सलाहकार समितियों के वर्तमान गठन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, क्योंकि वह संतोषप्रद है।

**यात्री गाड़ियों का रुकना**

5532. **श्री स० कुण्डू :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्री गाड़ियों को ऐसे स्थानों पर जो पिछले स्टेशन से दूर न हों रोकने की नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2176/67]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**लौह सैकता धातुओं की कमी**

5533. **श्री स० कुण्डू** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में लौह सैकता धातुओं के उत्पादन की कमी है और यदि हां, तो आगामी पाँच वर्षों में इसकी कितनी कमी होने का अनुमान है ;

(ख) क्या किसी फर्म अथवा कुछ फर्मों ने कारखाने स्थापित करने के लिए अथवा वर्तमान कारखानों का विस्तार करने के लिये आवेदन-पत्र दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इन आवेदन-पत्रों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

**उड़ीसा में नये उद्योगों को लाइसेंस दिया जाना**

5534. **श्री स० कुण्डू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1964 से अब तक उड़ीसा में नये उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पक्षों के नाम क्या हैं जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन-पत्र दिये हैं तथा वे कौन-कौन से उद्योग स्थापित करना चाहते हैं ; और

(ग) लाइसेंस प्राप्त करने के कितने आवेदन-पत्रों को मंजूर किया गया तथा कितनों को नामंजूर किया गया और कितनों पर निर्णय लेना अभी बाकी है ।

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2177/67]

| | |
|---|---|
| (ग) स्वीकृत लाइसेंस | 3 |
| जारी किये गये आशय-पत्र | 3 |
| रद्द | 17 |
| अनिर्णीत | 4 |

**Waiting Rooms at Harda Station**

5535. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the First and Second Class waiting rooms at Harda Station on the Central Railway have become inadequate in view of the increased traffic and are no longer fit to be used; and

(b) if so, whether Government propose to renovate them and if so, when?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) No. The existing two upper class waiting rooms are adequate for the upper class traffic handled at this station at present, and are in good condition.

(b) Does not arise in view of answer to (a) above. Only a proposal to replace the existing pan type latrines attached to the waiting rooms by flush type latrines is under consideration.

**Platform at Burhanpur Station**

5536. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no adequate seating arrangement on the other platform at Burhanpur railway station in Madhya Pradesh due to which many passengers have to sit on the ground;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to make some arrangements in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) No. Adequate benches have been provided on Up and Dn. platforms and in the III class waiting hall in accordance with the norms laid down for the purpose.

(b) and (c). Do not arise in view of reply to (a) above.

**Purchase of Handloom Cloth from M. P.**

5537. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government or co-operatives have purchased handloom cloth from the State of Madhya Pradesh in order to encourage the sale of handloom cloth within or outside the country;

(b) if so, the value of cloth purchased from January, 1967 to September, 1967;

(c) the sources from which the cloth has been purchased for sale;

(d) the percentage of the cloth received directly from co-operatives, traders and leading weavers; and

(e) the name of the co-operative which has made the largest supply and the value of the cloth supplied by it?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Industries in Rural Areas**

5538. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the industries during the last 20 years have been set up only in the urban areas ;

(b) whether Government are formulating a scheme not to set up large scale industries in future in the urban areas but to set them up in the rural areas where they do not exist at all ; and

(c) whether it is a fact that Bundelkhand area (Jhansi, Tikamgarh, Chhaturpur, Panna etc.) has been totally ignored in the matter of setting up industries ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) and (b). No, Sir.

(c) The information is being collected from the concerned authorities and will be placed on the Table of the House.

**चण्डीगढ़ स्टेशन**

5539. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिये कोई प्रतीक्षालय नहीं है ;

(ख) क्या सरकार उस स्टेशन में सुधार लाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी नहीं । चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक उच्च श्रेणी का कमरा तथा एक तीसरे दर्जे का प्रतिक्षालय कक्ष है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चंडीगढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ के वर्तमान रेलवे स्टेशन के पास ही स्टेशन के लिये एक नया भवन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें यात्रियों को सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे उच्च श्रेणी के प्रतिक्षालय के कमरे, तीसरे दर्जे का प्रतिक्षालय कक्ष, टिकट तथा आरक्षण की सुविधाएं ।

**चंडीगढ़ स्टेशन के रेलवे कर्मचारी**

5540. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लिये कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या वर्ष 1956 की आवश्यकता के अनुसार है और वर्तमान काम को पूरा करने के लिये, जो पहले से कई गुणा बढ़ गया है, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार चंडीगढ़ में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का भी विचार कर रही है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, नहीं। वहां पर उसके पश्चात् भी वृद्धि की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चंडीगढ़ के लिये अधिक क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव पर 1969-70 के निर्माण कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय विचार किया जायेगा तथा यदि धन उपलब्ध होगा तो वह प्रस्ताव क्रियान्वित किया जायेगा।

**वातानुकूलन मशीनों का निर्यात**

5541. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत वातानुकूलन मशीनों और प्रशीतक मशीनों का निर्यात अन्य देशों को करता है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को और गत पांच वर्षों में ऐसी कितनी मशीनों का निर्यात किया गया था ; और

(ग) उक्त अवधि में इससे कितनी विदेशी मुद्रा की कमाई हुई ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2178/67]

**राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हुआ घाटा**

5543. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हाल के महीनों में भारी वित्तीय घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में इस घाटे से बचने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) नहीं, परन्तु सरकार को पता है कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हानि हुई थी।

(ख) इसका मुख्य कारण है कि कोयले की मांग भली प्रकार तेजी से नहीं बढ़ी, इसलिए क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया।

(ग) बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ाने और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। श्री जी० आर० कामत की अध्यक्षता में बनाई गई परीक्षा समिति इस समय हानि तथा दूसरी कमियों के कारणों की जांच कर रही है और अगले वर्ष के शुरू में कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे आवश्यक उपाय किए जायेंगे।

**खनन उद्योग के लिये वित्तीय सहायता**

5544. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खनिज सलाहकार बोर्ड ने हाल में खनन उद्योग को वित्तीय सहायता देने के बारे में पुनर्विचार किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिये एक पृथक वित्तीय आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या सरकार ने बोर्ड के इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) और (ख). हां, महोदय।

(ग) और (घ). खनन उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने एक वित्तीय संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक सोचा है। सब सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख कर यह निर्णय किया गया है कि अलग से खनन वित्तीय संस्था इस अवस्था पर स्थापित करना आवश्यक नहीं, किन्तु खनन उद्योग की वित्तीय कठिनाइयों को उचित उपायों द्वारा दूर करना चाहिए जैसे कि :

(1) वर्तमान नियमों तथा विनियमों का संशोधन जिससे कि खनन उद्योग खनन पट्टे गिरवी रखकर ऋण हासिल कर सकें।

(2) खनन उद्योग को वित्तीय सहायता देने के लिए पर्याप्त निधि निश्चित करना ; और

(3) खनन उद्योग को पैसा देने के लिए औद्योगिक वित्तीय निगम, राज्य वित्तीय निगमों के अनुसूचित बैंकों आदि सम्बन्धित ऋण देने वाली अभिकरणों के लिये विकास सहायता फंड के संसाधनों को पुनः पैसा देने के लिये सुलभ बनाना।

**आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन**

5545. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के पुनर्गठन के सम्बन्ध

में माथुर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस कार्यालय के पुनर्गठन के फलस्वरूप कौन-कौन से खर्च में कमी की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2179/67**]

## इस्पात की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना

5546. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा मूल्य निर्धारित की जाने वाली वस्तुओं में से इस्पात की कुछ वस्तुओं को निकालने के प्रस्ताव पर उनका मंत्रालय विचार कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा क्रयादेशों की जांच-पड़ताल अब बेकार हो गई है, क्योंकि अब मांग की अपेक्षा सप्लाई अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने कोई निर्णय किया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद की स्थायी समिति की बैठक 22 नवम्बर, 1967 को हुई थी और उसमें एक उपसमिति गठित की गई थी, जो इस्पात के मूल्य निर्धारण एवं वितरण सम्बन्धी सुझाव तथा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्यों पर विचार करेगी।

## चाय का निर्यात

5547. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात योग्य चाय पर अत्यधिक कर होने के कारण वह अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में प्रतियोगिता नहीं कर सकती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टी एसोसिएशन आफ इण्डिया ने चाय पर कर, जो पिछले सात वर्षों में 92 प्रतिशत बढ़े हैं, कम करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है ; और

(घ) विदेशों में चाय की प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) टी एसोसिएशन आफ इण्डिया से कर घटाने के लिये कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) जी, हां ।

(घ) 25-5-1967 से चाय पर लगा निर्यात शुल्क कम कर दिया गया था, डिब्बा-बन्द चाय के निर्यात पर भी कुछ छूट 7-8-1967 से दी गई थी । 22-7-1967 से तत्काल तैयार होने वाली चाय पर से भी निर्यात शुल्क उठा लिया गया था ।

**प्रबंध अभिकरण प्रणाली को प्रबन्ध निदेशक प्रणाली में बदलना**

5548. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली से प्रबन्ध निदेशक प्रणाली के रूप में हुए परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) प्रबन्ध निदेशक प्रणाली प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली से विशेषकर वेतन, आर्थिक शक्तियों तथा उपक्रमियों द्वारा पदोन्नति तथा विकास के बारे में दिखाई गई रुचियों के बारे में किस रूप में भिन्न है ; और

(ग) जहां यह परिवर्तन हुआ है क्या वहां पर इस अन्तर का अनुमान लगाया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) इस विभाग के अनुसंधान एवं सांख्यकी प्रभाग द्वारा, प्रबन्ध अभिकर्त्ता द्वारा प्रबंधित कम्पनियों की आर्थिक स्थिति का, इन कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकरणों के समाप्ति के पहले और बाद का एक सीमित अध्ययन विभाग द्वारा प्रकाशित पाक्षिक पत्र "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" की 1 अक्तूबर, 1965 की प्रति में प्रकाशित हुआ था । प्रबन्ध के प्रबन्ध अभिकरण रूप से, कम्पनियों को प्रबन्ध के अन्य रूपों में बदलने के कुछ अन्य पहलू अध्ययन के अन्तर्गत हैं । जब अध्ययन पूर्ण हो जायेंगे तो उनके परिणाम उपरोक्त पत्र में, उसी प्रकार से प्रकाशित किये जायेंगे ।

(ख) और (ग). कम्पनी अधिनियम की योजना के अनुसार, प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध की सारबान शक्तियां निहित किये, एक व्यक्ति है, तथा उसकी नियुक्ति की अवधि एक समय में पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, जबकि प्रबन्ध अभिकर्त्ता, सम्पूर्ण प्रबन्ध के लिये अथवा कम्पनी के सम्पूर्ण मौलिक कार्यों के लिये जिम्मेदार, एक व्यक्ति, एक फर्म या एक निकाय हो सकती है, तथा प्रबन्ध अभिकर्त्ता की नियुक्ति की अवधि, प्रथम नियुक्ति के मामले में, 15 वर्ष तक के समय के लिये तथा पुनर्नियुक्ति के मामले में, 10 वर्ष तक के समय के लिये हो सकती है । अधिनियम में प्रबन्ध निदेशकों तथा प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के बारे में, कई पृथक-पृथक उपबन्ध हैं। उदाहरण के लिये, एक प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के शुद्ध लाभ में से 5 प्रतिशत से अधिक, या जहां एक कम्पनी में एक से अधिक प्रबन्ध निदेशक हैं, वहां सम्पूर्ण प्रबन्ध निदेशकों के लिये, 10 प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक नहीं लिया जा सकता, जबकि एक प्रबन्ध अभिकर्त्ता शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत तक ले सकता है, एक

प्रबन्ध निदेशक, समय के एक अंश में, दो कम्पनियों से अधिक के लिये प्रबन्ध निदेशक नियुक्त नहीं हो सकता, जबकि प्रबन्ध अभिकर्त्ता के मामले में सीमा 10 है। जबकि एक प्रबन्ध निदेशक, एक समय में दो कम्पनियों से अधिक के प्रबन्ध से बारित हैं, वहां एक प्रबन्ध अभिकर्त्ता, अनिश्चित संख्या की कम्पनियों के सचिव-कोषाध्यक्ष के कार्य सहित, 10 कम्पनियों तक का प्रबन्ध कर सकता है, प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के स्थान पर प्रबन्ध निदेशकों द्वारा कम्पनियों का प्रबन्ध आर्थिक शक्तियों के जमाव को कम बनाने के लिये संभावित है। अधिनियम में, प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध एक कम्पनी से संबंधित प्रवर्तनीय और विकासीय कामों में भाग लेने के बारे में, उस सीमा तक जहां तक प्रबन्ध अभिकर्त्ता ले सकता है, कोई बन्धन नहीं है। विभाग के अनुसंधान तथा सांख्यकी प्रभाग द्वारा किया गया उपरोक्त संदर्भित सीमित अध्ययन, संकेत करता है कि अध्ययन में प्रस्तुत की गई कम्पनियों की आर्थिक स्थिति, इन कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकरणों के समाप्ति के पश्चात्, सुधर गई है।

**प्रबन्ध एजेंसियां**

5549. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने प्रबन्ध अभिकरण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इनको समाप्त करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) 15 दिसम्बर, 1967 तक प्रबन्ध अभिकरणों की संख्या 699 थी।

(ख) और (ग). सरकार ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। इस उन्मूलन की अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

**फरीदाबाद में औद्योगिक संस्थापन**

5550. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद में अधिकतर औद्योगिक संस्थापनों के बन्द होने का भय है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन औद्योगिक संस्थापनों के संकट का कारण जानने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) इसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : बड़े तथा मझोले उद्योगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी । फिर भी लघु उद्योगों के बारे में सूचना निम्न प्रकार है :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

## हरिहर और कोट्टूर के बीच रेलवे लाइन

5551. **श्री मू० न० नाघनूर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-पूना लाइन पर हरिहर को, हास्पेट-कोट्टूर लाइन पर, कोट्टूर से जोड़ने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान वित्तीय परिस्थिति तथा अयस्क के लाने-ले जाने की वर्तमान स्थिति, जिससे, इस प्रकार के रेलवे जोड़ की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

## दक्षिण-मध्य रेलवे जोन में रेलवे स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना

5552. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे जोन में तेलगू और मराठी के कितने स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर मिडिल और हायर सैकेन्डरी स्कूल बना दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार के संकल्प संख्या एस० 68/84 (15) दिनांक 15 फरवरी, 1964 के विपरीत मराठी स्कूलों का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) तेलगू भाषा के माध्यम वाले चार प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्तर के स्कूलों में बदल दिया गया था परन्तु किसी स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं बनाया गया । मराठी भाषा के माध्यम वाला कोई भी स्कूल मिडिल या हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं बनाया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**डालमियापुरम स्टेशन के नाम को बदलना**

5553. **श्री मुरसोली मारन :**

**श्री सेझियान :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें डालमियापुरम स्टेशन, (तिरुचिरापल्लि जिला, तमिलनाड) के नाम को बदल कर कल्लाकुड्डी कर देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हाँ।

(ख) डालमियापुरम स्टेशन के नाम को बदल कर कल्लाकुड्डी करना सम्भव नहीं है क्योंकि दक्षिण रेलवे के मदरै-विरूदनगर क्षेत्र में इस नाम का एक स्टेशन पहले से ही है। एक ही नाम के दो स्टेशन से गड़बड़ी होने की सम्भावना होती है और गड़बड़ी को दूर करने के लिहाज से यह नाम नहीं बदला गया। स्टेशन का नाम न बदलने के लिये भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

**उत्तर रेलवे मुख्यालय में चीफ क्लर्क के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा**

5554. **श्री अर्जुन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1967 में उत्तर रेलवे ने अपने मुख्यालय की प्रवर्तन शाखा में 335—425 रुपए वेतनमान वाले चीफ क्लर्क के पदों के लिए क्लर्कों की विभागीय परीक्षा ली थी ;

(ख) उक्त परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार बैठे थे और उनमें अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवार थे ;

(ग) क्या उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने का क्या कारण है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां।

(ख) परीक्षा में 10 उम्मीदवार थे जिनमें से 4 अनुसूचित जातियों के थे।

(ग) और (घ) चूंकि परीक्षा में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं बैठे थे अतः अधिक कर्मचारियों को बुलाने का निश्चय किया गया। आवश्यक प्रक्रिया पूरा करने के बाद शीघ्र ही परिणाम घोषित किया जायेगा।

**विदेशों में भेजे गये रेलवे अधिकारी**

5555. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 से लेकर अब तक नियुक्ति पर, प्रतिनिधिमण्डलों में, अध्ययन यात्राओं और

प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे के कितने अधिकारी विदेशों में भेजे गये हैं ; उन्होंने क्या विशेषता प्राप्त की है और उन पर अलग-अलग कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) जिन लोगों को एक से अधिक बार विदेशों में भेजा गया है उनके नाम क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है ।

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को पक्षपात की कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये विदेशों में उपलब्ध प्रशिक्षण के अवसरों को गुणों के आधार पर समानरूप से दिया जाये, क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**दिल्ली और नई दिल्ली में रेलवे औषधालय**

5556. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा संचालित डिस्पेन्सरियों की तुलना में दिल्ली/नई दिल्ली में रेलवे डिसपेंसरियों का कार्य/चिकित्सा बहुत ही असन्तोषजनक है ;

(ख) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों की अपने और अपने परिवारों की चिकित्सा के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित होने की इच्छा का पता लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो जहां कहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधायें उपलब्ध हैं उसका लाभ उन रेलवे कर्मचारियों को देने के लिए, जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, नहीं । दिल्ली/नई दिल्ली स्थित रेलवे स्वास्थ्य एककों में, जिनमें रेलवे कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को चिकित्सा-सुविधा दी जाती है, उनमें दी जाने वाली सुविधाएं उन सुविधाओं से किसी भी प्रकार कम नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग). इस बात पर विचार किया गया था कि व्यवस्था हो जाने पर जो रेलवे कर्मचारी नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित रेलवे औषधालयों से दूर रहते हैं, वे अपने पास की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय से लाभ उठायें । जांच करने पर मालूम हुआ कि 1731 रेलवे कर्मचारी इस व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकारी इतने रेलवे कर्मचारियों को अपनी योजना में मिलाने को राजी न हुए ।

**Passenger Amenities on Central Railway**

5557. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amenities provided to the passengers on the Central Railway in regard to the number of trains, refreshment rooms, etc. are less than those on the other Railways ; and

(b) if so, the reasons for this discrimination ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) No.

(b) Does not arise.

**Cottage Industries in M. P.**

5558. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for the promotion of cottage industry in Madhya Pradesh in 1967-68 ; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

**कोयला उद्योग के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशें**

5559. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्ड की सिफारिशें और कोयला उद्योग तथा कोयले के मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था ;

(ख) क्या कोयला खानों के मालिकों ने इनके प्रकाशित किए जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (ग). मजदूरी मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है और मंडल की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय भारत के राज-पत्र में सूचित किए गए। प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय भी भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट सहित सरकार के संकल्प की प्रतियां दोनों संसद् सदनों के समक्ष रखी गईं।

**इस्पात पर से नियन्त्रण हटाना**

5560. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात पर से नियंत्रण हटा लेने से इसके मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 1-5-1967 को घोषित मूल्य उस तिथि से पहले वाले मूल्यों से कुछ अधिक हैं। नियंत्रित तथा कुछ अन्य श्रेणी के लोहे तथा इस्पात का मूल्य 1-3-1964 से बाद में (भाड़े और उत्पादन शुल्क में वृद्धि के अतिरिक्त) नहीं बढ़ाया गया है, फिर भी उनके मूल्य में थोड़ी वृद्धि हुई है। मूल्यों में वृद्धि का कारण विनियंत्रण नहीं है। वस्तुतः संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा मूल्य घोषित किए जाने से पहले ही लोहे तथा इस्पात की अन्य श्रेणियां विनियंत्रित कर दी गई थीं। लघु उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं को दुर्लभ किस्म का लोहा तथा इस्पात निर्धारित मूल्य पर देने की व्यवस्था की जा चुकी है।

**छोटे पैमाने के उद्योगों को इस्पात की सप्लाई**

5561. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात पर विनियंत्रण के पश्चात इस्पात पर आधारित छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए खुले बाजार में उचित दर पर कच्चा माल प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है ;

(ख) उन छोटे पैमाने के उद्योगों को नियंत्रित मूल्य पर इस्पात उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि संयुक्त संयंत्र समिति छोटे उद्योगों की मांग पूर्णतया पूरी करने में समर्थ नहीं है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग) इस्पात की चद्दरों और प्लेटों को छोड़कर लोहे तथा इस्पात के माल की अब देश में कमी नही है। इसलिए लघु उद्योगों को इन्हें प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस्पात की दुर्लभ किस्मों की स्थिति भी अब सुधरती जा रही है। इस्पात प्राथमिकता समिति ने इस प्रकार का इस्पात की किस्मों की कुछ मात्रा उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर नियत कर दी है।

**इस्पात की विभिन्न किस्मों पर से नियन्त्रण हटाना**

5562. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तियों, सरिये, प्लेट, चादरें, रेल की पटरियों आदि सब किस्मों के इस्पात पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में लोहा और इस्पात नियन्त्रक और उसके अधीनस्थ कार्यालयों तथा संयुक्त संयंत्र समिति के कार्य क्या क्या हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : जी, हां ।

(ख) संयुक्त संयंत्र समिति के मुख्य कार्य हैं: मुख्य उत्पादकों का रोलिंग कार्यक्रम निर्धारित करना, उनके क्रयादेशों की जांच करना, इस्पात की कीमत तय करना, मुख्य उत्पादकों की गतिविधियों में तालमेल रखना और ऐसा प्रयास करना कि सम्पूर्ण देश में समान मूल्य पर इस्पात उपलब्ध हो आदि ।

लोहा और इस्पात नियंत्रक तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के कार्य निम्नलिखित हैं :

**मुख्य कार्यालय** :

(1) इस्पात और लोहा के आयात निर्यात लाइसेंसों को जारी करना ।

(2) लोहे तथा इस्पात उद्योग से सम्बन्धित मामले जो उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अधीन आते हैं ।

(3) देशी लोहा और इस्पात के वितरण में प्राथमिकता सम्बन्धी मामले ।

(4) निर्यात संवर्धन सम्बन्धी कार्य ।

(5) लोहे तथा इस्पात सम्बन्धी आंकड़ों को रखना ।

(6) प्राथमिक इस्पात के निर्यात पर विपणन विकास कोष से छूट का भुगतान ।

(7) छूट (सबसिडी) सम्बन्धी मामले तय करना ।

**अधीनस्थ कार्यालय** :

लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के बम्बई, मद्रास और फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में इस्पात के आयात लाइसेंस देते हैं ।

## छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखानों के लिये इस्पात का नियतन

5563. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये जिन गैर-सरकारी पंजीकृत छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखानों को इस्पात की आवश्यकता होती है उनके साथ व्यवहार करने के लिये संयुक्त संयंत्र समिति क्या प्रक्रिया अपनाती है ;

(ख) इस्पात के नियतन के मामले में गैर-सरकारी छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखानों से प्राप्त होने वाले इंडेंटों को निपटाने में लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक क्या करता है ;

(ग) वर्ष 1966 और 1967 में संयुक्त संयंत्र समिति ने कितने इंडैंट लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक को वापिस लौटाये और उनमें से कितने इंडैंट अस्वीकर किए गए हैं ; और

(घ) उनको अस्वीकार करने के क्या कारण हैं और कितने इंडैंट पिछले कई महीनों से विचाराधीन पड़े हुए हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) संयुक्त संयंत्र समिति इस्पात का राज्यवार नियतन करती है जिसमें लघु उद्योग कृषि तथा राज्य पूल भी सम्मिलित होते हैं । जो इंडैंट राज्य के उपयुक्त अधिकारी द्वारा समर्थित होते हैं, उनके बारे में संयुक्त संयंत्र समिति योजना बनाती है ।

(ख) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का सम्बन्ध ऐसे इंडैंटों से नहीं होता । परन्तु वह संयुक्त संयंत्र समिति का अध्यक्ष होता है और इस्पात प्राथमिकता समिति का सचिव होता है जो दुलर्भ श्रेणियों का प्राथमिकता के आधार पर नियतन करती है ।

(ग) और (घ). जो इंडैंट उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप होते हैं उन सबकी योजना संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाई जाती है । दुर्लभ श्रेणियों के लिए कोई इंडैंट इस समिति के विचाराधीन नहीं है ।

**Closing of Akbarpur-Tanda Branch Line**

5564. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Ramji Ram :**
**Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to close down Akbarpur-Tanda Branch line on the Northern Railway and if so, the reasons therefor ;

(b) whether an estimate had been prepared to bring Tanda on the main line by connecting it to Goshainganj Station ; and

(c) the percentage of profit that a particular line must show to be considered profit-worthy lines and the percentages of profit shown by the above line every year for the last three years ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) The question of closing this branch line is under consideration, because it has been running at a loss.

(b) No.

(c) To be termed 'remunerative', a line should yield a return of 6·75% on the capital invested after 1-4-1964 and a return of 5% on the capital invested prior to that date. The Akbarpur-Tanda branch line did not show any profit during the last three years ; on the contrary, this line has been running at a loss since its inception.

**Dismantling of Tankara—Mhorvi N. G. Line**

5565. **Shri Ram Avtar Sharma :**
**Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Tankara—Mhorvi narrow gauge line on the Western Railway is proposed to be dismantled ;

(b) whether it is also a fact that a place of pilgrimage namely Tankara is situated in this area and that visit to this place would again become quite difficult ;

(c) whether it is also a fact that recently a suggestion was given to extend this line from Mhorvi upto Rajkot and its conversion into metre gauge line also ; and

(d) if so, when a final decision is likely to be taken in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) A review of the results of working of Tankara—Morvi narrow gauge line, to see whether it should be retained or not, is in progress.

(b) Yes, Tankara is a place of pilgrimage. While examining the question of closing the line, the need of providing adequate alternative transport facilities will be kept in view.

(c) Yes.

(d) Nothing definite can be said at this stage.

## रद्दी लोहे (फैरस) का निर्यात

5566. **श्री अदिचन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में रद्दी लोहे के निर्यात में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) रद्दी लोहे का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

## आसाम में पाये गये तांबे के निक्षेप

5567. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में तांबे के नए निक्षेप पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों में कितना तांबा मिलने का अनुमान है ; और

(ग) इन निक्षेपों से तांबा निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) से (ग). संयुक्त खासी में उपपिरथा के समीप और जयन्तिया पहाड़ी जिले में खनिज युक्त-तांबा पाया जाता है। बड़े पैमाने पर मानचित्रण से गढ़े खोद कर और खाईयां बनाकर प्रारम्भिक भूस्तल जांच से पता चला है कि यह खण्ड कम से कम 1200 मीटर लम्बा और 5 मीटर चौड़ा है और इसकी विस्तृत गहराई है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने इस प्राप्ति के बारे में व्यधन द्वारा विस्तृत अनुसंधान कार्य शुरू किया है।

**Sale of Raw Material of Zinc by Hindustan Zinc Ltd. Udaipur**

5568. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a few days ago the Hindustan Zinc Limited, Udaipur sold the raw material of Zinc lying in its store to a factory in Kerala at cheap rates and if so, the reasons therefor ;

(b) the loss sustained by Government in this deal and the action taken against officers responsible for it ; and

(c) the reasons for not giving permission asked for by the Metal Corporation for selling it at market rates ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi)** : (a) Hindustan Zinc Limited, Udaipur, in July/August, 1966, agreed to sell to Messrs Cominco Binani Zinc Limited 5,000 tonnes of zinc concentrates at Rs. 640/- per tonne f. o. r. Zawar mines. The concentrates were not sold at concessional rate as the price realised was arrived at in accordance with the standard international practice of price fixation for zinc concentrates.

(b) Does not arise.

(c) The Metal Corporation of India requested the Government in August, 1965, for permission to sell 3,000 tonnes of Zinc concentrates to Messrs Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd., Japan, in order to enable them to earn foreign exchange to pay for the smelting charges for about 7,000 tonnes of zinc concentrates which they proposed to send to Japan for conversion into zinc metal and then its import into India. As the country was dependent on import of zinc metal for meeting its requirements, it was not considered economically advantageous to allow the sale of zinc concentrates to a party outside India.

**Concessions to Mica Industry in Bhilwara, Rajasthan**

5569. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide concessions to the mica industry in Bhilwara, Rajasthan so as to enable the mica mines to run smoothly and so that mica could be sold at remunerative prices ; and

(b) whether Government propose to constitute a committee to study the possibilities of development of mica industry in this region ?

**The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy)** : (a) No proposal is under consideration.

(b) The Government of Rajasthan constituted a Committee to examine the causes of slump and depression in the mica industry in the State. The findings of the Committee are being considered by the State Government.

**Slow Running of Trains in Rajasthan**

5570. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any proposal to increase the speed of slow going trains on the old metre gauge lines in Rajasthan is under consideration ;

(b) if not, whether Government propose to take some effective steps to replace such lines and modernise the slow-running trains ; and

(c) whether Government propose to construct a direct railway line from Delhi to Udaipur like Delhi-Bikaner and Delhi-Jodhpur lines ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) No.

(b) There is no such proposal, but wherever the sectional speed is now restricted on account of the rails being lighter than the present day standard for Metre gauge, the sectional speed is raised as and when these rails are replaced on condition basis with heavier rails.

(c) No.

**बिहार में रेशम का कारखाना**

5571. **श्री मरंडी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सन्थाल परगना जिले में रेशम बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कच्चे माल का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के सन्थाल परगना जिले में रेशम का एक कारखाना स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). बिहार सरकार का भागलपुर में एक 3000 तकुए वाला रेशम कताई मिल स्थापित करने का विचार है । राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए उद्योग (विकास

तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस, प्राप्त कर लिया है और भूमि अर्जित कर ली है तथा उपकरणों के लिए दर सूची भी प्राप्त कर ली गई है।

**पंजाब मेल या टाटा ऐक्सप्रैस के साथ अतिरिक्त बोगी लगाना**

5572. **श्री मरंडी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में यात्री जासीदीह से पटना जंक्शन जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जासीदीह से पटना जाने वाली रेलगाड़ी में कोई बोगी नहीं लगाई जाती, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है और प्रायः ऐसा होता है कि प्रथम श्रेणी के टिकट वाले यात्रियों को भी पंजाब मेल और टाटा ऐक्सप्रैस में स्थान नहीं मिलता ;

(ग) क्या पंजाब मेल या टाटा ऐक्सप्रेस के साथ एक बोगी लगाने या जासीदीह से एक और रेलगाड़ी चलाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) से (घ). जासीदीह से पटना के लिए प्रतिदिन औसतन 55 टिकट दिए जाते हैं। गत तीन महीनों के दौरान जासीदीह स्टेशन पर पटना जाने वाली 5 अप पंजाब मेल या 88 डाउन साऊथ एक्सप्रेस में पहले दर्जे के स्थानों के आरक्षण की मांग नहीं की गई है। यातायात सम्बन्धी औचित्य के प्रश्न को छोड़ कर जासीदीह से पटना के लिए एक पृथक डिब्बा लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों में डिब्बे के लिए स्थान नहीं होता।

**पन्ना हीरे की खानों के भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर**

5573. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस विभाग ने उन गम्भीर आरोपों की जांच की है जो पन्ना हीरे की खानों के भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर के विरुद्ध लगाये गये थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और हीरों का गबन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आरोपों की जांच के दौरान उक्त अधिकारी को वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया था और उन्हें बेलाडिला परियोजना में महा-प्रबन्धक के पद पर नियुक्त कर दिया गया था;

(ग) क्या विशेष पुलिस विभाग का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उनके स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) हां, महोदय ।

(ख) से (घ). मुख्य अभियंता तथा कुछ दूसरे अधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गए थे । एस० पी० ई० ने इसकी पड़ताल की थी । केन्द्रीय गुप्त वार्ता आयोग तथा गृह मंत्रालय की सलाह ली गई । अधिकारी कोई कुछ छोटी-मोटी बातों में दोषी पाया गया अतः गृह मंत्रालय की सलाह से उसे सचेत कर दिया गया । प्रशासन के हित में उसे कुछ समय पहले पटना से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्यालय में लाया गया । बाद में वह विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में बेलादिला लोहा परियोजना में काम करता रहा । पूछताछ समाप्त होने पर उसे कथित परियोजना में महाप्रबन्धक के पद पर लगाया गया ।

**Disciplinary Action Against Railway Employees**

5574. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of railway employees against whom disciplinary action has been taken during 1965, 1966 and 1967 in each Railway Division, District and Zone;

(b) the number of man-days lost in the Railway Department on account of such disciplinary action;

(c) the number of railway employees besides those against whom departmental action has been taken, against whom suits are pending in courts; and

(d) the number of cases in which disciplinary action has been decided within the prescribed time-limit?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**अखिल भारतीय मोटरगाड़ी तथा सहायक उद्योग संघ**

5575. **श्री नन्दकुमार सोमानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय मोटरगाड़ी तथा सहायक उद्योग क्षेत्र में स्कूटर, मोटर साइकिल उद्योग संघ के स्कूटर, मोटर साइकिल तथा श्री व्हीलर पेनल के अध्यक्ष ने उद्योग की समस्याओं पर उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा है;

(ख) क्या उक्त मुलाकात हो चुकी है और यदि नहीं, तो इस पेनल के अध्यक्ष के साथ कब मुलाकात करने का उनका विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि योजना आयोग तथा मोटरगाड़ी सम्बन्धी विकास परिषद् ने यह सिफारिश की है कि वर्तमान कारखानों का विस्तार किया जाये जिससे वे अपनी क्षमता उत्पादन को लाभप्रद स्तर तक बढ़ा सकें और चौथी पंचवर्षीय योजना का 250,000 मोटर गाड़ियों का (अर्थात् स्कूटर मोटर साइकिल, तीन पहिये वाली स्कूटर गाड़ियां आदि) प्रस्तावित लक्ष्य पूरा किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने हाल में एक अथवा अधिक कारखानों को 60,000 स्कूटरों की वार्षिक क्षमता लाइसेंस क्यों दिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). स्कूटर, मोटर साइकिल आदि बनाने के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए लाइसेंस देने हेतु अपनायी जाने वाली नीति पर अपने विचार प्रकट करने के लिए अखिल भारतीय मोटर गाड़ी तथा सहायक उद्योग संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन में यह प्रार्थना भी की गई थी कि उनके स्कूटर, मोटर साइकिल तथा तीन पहिये की गाड़ियों की नामिका के सभापति को दो साथियों सहित औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री से भेंट करने का अवसर दिया जाये ताकि वह इस विषय को अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से समझ सके । संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन की जांच की जा रही है । भेंट की अभी तक स्वीकृत नहीं दी गई है क्योंकि ऐसा ख्याल है कि संबद्ध संघ द्वारा उठायी गई बातों पर सरकार द्वारा जांच कर लिये जाने के बाद भेंट करना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा ।

(ग) और (घ). मोटरगाड़ियों आदि की विकास परिषद् की उपसमिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि स्कूटर, मोटर साइकिल उद्योग के लिए चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति विद्यमान कारखानों का विस्तार करके हो सकती है । तथापि, स्कूटरों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए लाइसेंस देने के प्रश्न पर लाइसेंस समिति द्वारा उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया था । इस लाइसेंस समिति में अन्य सदस्यों के अलावा औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि है । इस समिति ने यह सिफारिश की है कि स्कूटरों की मांग की उसकी मांग करने वालों की लम्बी सूची को देखते हुए एक उपयुक्त लाभप्रद क्षमता वाले स्कूटर बनाने के एक और कारखाने को लाइसेंस देने के बारे में विचार किया जाय । सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है । इस क्षेत्र में एक और कारखाने को लाइसेंस देने की सिफारिश मानने में सरकार ने अन्य कारणों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखा है :

1. एक ऐसे नये कारखाने की स्थापना से, जिसकी योजना आरम्भ से काफी बड़ी मात्रा के उत्पादन के लिए बनाई जा सके ।
2. आशा है कि नया कारखाना वर्तमान स्कूटर निर्माताओं से कम मूल्य पर स्कूटर बना सकेगा तथा उसको बेच सकेगा ।

## रेलवे स्टेशनों पर गन्दगी

5576. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अधिकांश स्टेशनों के अनाकर्षक स्वरूप तथा उनकी गन्दगी का पता है;

(ख) क्या स्थानीय कर्मचारियों का स्वच्छता और सफाई की बातों की ओर ध्यान दिलाने की कोई प्रक्रिया है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड का विचार निरीक्षण अधिकारियों को यह निदेश देने का है कि वे इस पहलू की ओर ध्यान दें ; और

(घ) क्या सबसे सुन्दर और स्वच्छ स्टेशन को पुरस्कार देने की कोई योजना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) सामान्यतः रेलवे स्टेशनों का स्वरूप तथा उनकी स्वच्छता संतोषजनक है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में उपयुक्त अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं । निरीक्षक अधिकारी स्टेशन के सभी पहलुओं पर, जिसमें स्टेशन की सफाई और गन्दगी को दूर करना भी शामिल है, ध्यान देते हैं ।

(घ) जो स्टेशन सब प्रकार से अच्छे पाये जायेंगे उन्हें पुरस्कृत करने की योजना विद्यमान है ।

**अफगानिस्तान से मेवों का आयात**

5577. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

**श्री रा० बरुआ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पुराने आयातकर्ताओं और सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जिन्हें 1966 और 1967 में अफगानिस्तान से मेवों का आयात के लिये लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) 1963 से मार्च, 1967 तक अफगानिस्तान से मेवों के आयात के लिये मैसर्स लेखराज गोविन्दराम, मैसर्स लेखराज बोधराज, मैसर्स लेखराज मामनचन्द और अफगान फ्रूट ट्रेडर्स को कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(ग) इनको इतना अधिक कोटा देने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** (क). अफगानिस्तान से मेवों के आयात के लिये सहकारी समितियों को कोई लाइसेंस नहीं दिये गये हैं। जिन पार्टियों को 1968 के दौरान अफगानिस्तान से मेवा मंगाने के लिए कस्टम्स क्लीएरैंस परिमिट्स दिए गए, उनका ब्योरा नई दिल्ली स्थित मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक के कार्यालय से जारी होने वाले साप्ताहिक समाचार-पत्र में दिया गया है । इन समाचार-पत्रों की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । 1967 के दौरान जारी किए गए कस्टम्स क्लीएरैंस परमिटों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अफगानिस्तान से मेवों के आयात का कोई विशेष कोटा किसी को नियत नहीं किया गया है। परन्तु प्रत्येक आयातक का कोटा उसके द्वारा किये जाने वाले निर्यात को देखते हुए निर्धारित किया जाता है।

**पश्चिम जर्मनी को इन्जीनियरी सामान का निर्यात**

5578. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात बढ़ा है ;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों के वोलरथ दल ने भारतीय विशेषज्ञ दल के साथ निर्यात की सम्भावनाएं बढ़ाने के बारे में बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात 1960-61 से निरन्तर बढ़ रहा है। 1965-66 में 32.84 लाख रुपये का निर्यात हुआ। 1966-67 में यह घटकर 24.85 लाख रुपये का रह गया था।

(ख) और (ग). श्री वोलरथ और पश्चिम जर्मन विशेषज्ञों का दल 30 नवम्बर, 1967 में दिल्ली आया था और इसके तत्काल बाद वह कलकत्ता इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के पास चला गया था। जहां परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये भारतीय विशेषज्ञ उनके साथ मिलकर औद्योगिक एककों का दौरा करेंगे तथा उनके उत्पादों के बारे में पूर्ण अध्ययन की रिपोर्ट तैयार करेंगे जिनके आधार पर यूरोपीय बाजारों में उनकी निर्यात क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकेगा। चूंकि दल ने अभी कुछ दिन से ही अपना काम शुरू किया है इसलिये अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस भारत-जर्मन परियोजना को भारतीय इंजीनियरी सामान का पश्चिम जर्मनी को निर्यात बढ़ाने में कहां तक सफलता मिलेगी।

**खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग**

5579. **श्री राम चरण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 14 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5665 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने ऋण दिये थे उनके नाम और पते क्या हैं तथा जिनसे 1,97,963,08 रुपये बकाया हैं उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**Medical Examination of Railway Employees**

5580. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any provision for the medical examination of Railway employees;

(b) the time for which the employees are allowed to continue in service without obtaining the medical examination report ;

(c) whether such employees are treated on duty at par with other employees during the period when their medical report is not received and no deduction is made in respect of their salaries and earned leave ; and

(d) the number of such employees in Sonepur District of North Eastern Railway, the number among them who have not been appointed so far and the number of those who have not been paid their salaries ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) Yes. Rules provide for periodical medical examination of the serving railway employees in the medical categories 'A' and 'B' and also for special re-examination.

(b) and (c). Railway employees sent for medical examination/re-examination, continue in service but are not allowed to perform the duty of their post until the issue of a fit certificate. Such employees are treated as on duty for the period they remain under medical observation, but in case of any delay in finalisation of medical report due to employees' own fault or for any ailment, they are treated as on leave due.

(d) 1457 employees were medically re-examined since 1-4-67 to date on the Sonepur District of North Eastern Railway. Only 10 employees were medically decategorised. Of these, 6 could not yet be provided with an alternative job and only 2 could not get any pay as no leave with pay was due to them.

## टायरों का निर्माण

5581. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1962 में डनलप टायर्स लिमिटेड को मोटरगाड़ी के 1,35,000 टायरों के लिये आशय-पत्र दिया गया था यद्यपि देश में जितने टायर बनते हैं उनके 40 प्रतिशत से अधिक टायर यह कम्पनी तैयार करती है ; और

(ख) क्या टायर उद्योग अब भी प्रतिबन्धित सूची में है ; और

(ग) यदि हां, तो किसी विशेष कम्पनी के पक्ष में यह निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) मैसर्स डनलप रबड़ (इंडिया) लि० को (1) शाहागंज (कलकत्ता) के अपने कारखाने में प्रतिवर्ष मोटरगाड़ियों के 78,600 टायर एवं 1,24,800 ट्यूबें बनाने के लिए और (2) अम्बाटूर (मद्रास) स्थित कारखाने में प्रतिवर्ष मोटरगाड़ियों के 27,000 टायर बनाने के लिए पर्याप्त विस्तार हेतु 1962 में दो आशय-पत्र जारी किये थे। हाल ही में इन दोनों कारखानों की उपर्युक्त कुल उत्पादन क्षमता का समायोजन करने के लिये अनुमति दी गई थी।

(ख) जी, हां ।

(ग) मैसर्स डनलप रबड़ कं० (इंडिया) लि० के दोनों प्रार्थना-पत्रों पर सरकार द्वारा अन्य बारह पार्टियों के प्रार्थना-पत्रों के साथ विचार किया गया था। आशय-पत्र देने के लिए आठ योजनाएं मंजूर की गईं जिसमें से दो मैसर्स डनलप रबड़ कं० (इंडिया) लि० की थी। मोटर-गाड़ियों के टायरों एवं ट्यूबों के लिए और उत्पादन क्षमता उत्पन्न करने पर प्रतिबंध इस उत्पादन क्षमता पर विचार करने के बाद ही लगाया गया था।

**बांसपानी और पारादीप बन्दरगाह के बीच रेलवे लाइन**

5582. **श्री गु० च० नायक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैतारीखाने से होकर बांसपानी तथा पारादीप बन्दरगाह के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ख) इस लाइन के सर्वेक्षण पर कुल कितना खर्च किया गया है;

(ग) क्या देतारीखानों से जो एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है लौह-अयस्क के सड़क द्वारा परिवहन पर आने वाले खर्च की तुलना में इसके रेल द्वारा परिवहन पर अधिक खर्च आता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार परिवहन सुविधा के किसी सस्ते साधन के बारे में विचार कर रही है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) 1964-65 में।

(ख) इस सर्वेक्षण पर अनुमानित खर्च 23.63 लाख रुपये आयेगा।

(ग) और (घ). कटक से पारादीप तक लौह-अयस्क का यातायात कुछ रेल से और कुछ सड़क से सस्ता पड़ेगा और सड़क यातायात से यह अपेक्षाकृत मंहगा पड़ेगा।

**पारादीप पत्तन को लौह-अयस्क का परिवहन**

5583. **श्री गु० च० नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्योंझर (गंधेरनायदाना) और दायतरी खानों से पारादीप पत्तन को सड़क परिवहन द्वारा प्रति दिन कितने टन लौह-अयस्क भेजा जाता है; और

(ख) प्रति टन परिवहन लागत कितनी आती है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) गंदमर्धन खान से उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन द्वारा पारादीप पत्तन को सड़क परिवहन द्वारा प्रतिदिन औसतन 100 टन लौह-अयस्क भेजा जाता है। अब यह घटकर लगभग 20 टन प्रतिदिन हो गया है चूंकि माल का भेजना निगम की अपनी इच्छा पर निर्भर है। दायतरी खान से उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन से पारादीप को माल की ढुलाई जुलाई में शुरू हुई थी तथा अक्तूबर तक 300 टन प्रतिदिन का औसत रहा था। इस कारपोरेशन की ओर से उड़ीसा राज्य कमर्शियल ट्रांसपोर्ट

कारपोरेशन माल का परिवहन करता है। फिलहाल दायतरी से अयस्क का परिवहन बन्द हैं क्योंकि उड़ीसा राज्य कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अब रेल द्वारा लाया गया अयस्क भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से पारादीप तक ले जाया जा रहा है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**दक्षिण पूर्व रेलवे में यात्री गाड़ियां**

5584. **श्री गु० च० नायक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में टाटानगर से (एक) गोआ, (दो) बड़ जामदार (तीन) नरमोंडी तथा (चार) धंगापोशी को रेलवे यात्री गाड़ियां कब से चलानी आरम्भ की गई थीं; और

(ख) इन लाइनों पर अप तथा डाउन दोनों गाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की दैनिक, मासिक तथा वार्षिक संख्या कितनी है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) 413 अप/414 डाउन पैसेन्जर गाडियां 1 अप्रैल, 1953 से चलनी शुरू हुई तथा 411 अप/412 डाउन पैसन्जर गाड़ियां 1 अक्तूबर, 1966 से चलनी शुरू हुई।

(ख) मासिक या दैनिक आधार पर यात्रियों की गणना नहीं की गई है। अप्रैल, 1967 में की गई गणना के अनुसार यह पाया गया कि इन गाड़ियों में भीड़ नहीं चलती। 30 नवम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में इन स्टेशनों से प्रतिदिन आने जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या निम्न प्रकार रही :

| गाड़ी के नम्बर | | धंगापोशी | नोआमंडी | बड़ा जमदा | ओआ |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | अप आने वाले | 13 | 22 | 167 | 39 |
| | जाने वाले | 63 | 18 | 14 | — |
| 411 | अप आने वाले | 7 | 18 | 70 | — |
| | जाने वाले | 16 | 8 | — | — |
| 414 | डाउन आने वाले | 7 | 4 | 76 | — |
| | जाने वाले | 30 | 60 | 163 | 57 |
| 412 | डाउन आने वाले | 3 | 3 | — | — |
| | जाने वाले | 14 | 8 | 93 | — |

**लौह अयस्क का पारादीप पत्तन को परिवहन**

5585. **श्री गु० च० नायक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारबिल से खड़गपुर के रास्ते होकर पारादीप पत्तन रेल द्वारा लौह अयस्क का परिवहन कब शुरू किया गया था;

(ख) प्रतिदिन कुल कितने माल डिब्बे तथा कितने टन लौह अयस्क भेजा जाता है; और

(ग) प्रति टन परिवहन लागत कितनी आती है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) बारबिल बाडजमदा क्षेत्र के सात लदान केन्द्रों में से एक है जहां से रेल द्वारा बरास्ते खड़गपुर पारादीप के लिये अयस्क की ढुलाई नवम्बर, 1966 से शुरू हुई थी। शुरू में अयस्क केवल कटक तक जाता था।

(ख) 3 जनवरी से 16 दिसम्बर, 1967 तक प्रतिदिन औसतन 20 वेगन लौह अयस्क बारबिल से पारादीप भेजे जाते थे जिनमें 446 टन अयस्क आता था। 16 दिसम्बर, 1967 तक बाडजमदा क्षेत्र से पारादीप के लिये कुल 22522 वैगन गये तथा बारबिल से 6974 वैगन लादे गये जिनमें 156,331 टन लौह अयस्क आया था।

(ग) भुवनेश्वर से होता हुआ पारादीप तक परिवहन लागत 45.27 रुपये है जिनमें रेलवे भाड़ा रेलवे स्टेशन पर माल की चढ़ाई उतराई का खर्च सड़क परिवहन लागत तथा पत्तन पर उतारने का खर्च सम्मिलित है। नारगुण्डी के रास्ते से परिवहन खर्च 41.86 रुपये पड़ता है।

**उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी सेक्सन की छोटी रेलवे लाइनों के प्लेटफार्मों पर शैडों का विस्तार**

5586. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन की छोटी लाइन के प्लेटफार्मों पर शैडों के बढ़ाने के प्राक्कलन दो या तीन वर्ष पहिले तैयार किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्राक्कलनों को मंजूर कर लिया गया है और ये शैड कब तक आगे बढ़ा दिये जायेंगे ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, हां। पठानकोट पर बड़ी तथा छोटी लाइनों पर शैड तथा ज्वालामुखी सड़क स्टेशन पर प्लेटफार्म-शैड के विस्तार का प्राक्कलन निर्माण की अनुमानित लागत जानने के लिये तैयार किया गया था।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 1968-69 तक इन निर्माण-कार्यों को रेलवे के निर्माण-कार्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता क्योंकि रेलवे प्रयोक्ता सुविधा समिति ने प्राथमिकता किन्ही अन्य निर्माण-कार्यों को दी है और धन का भी अभाव है।

**वेयानाड, केरल में सोने के निक्षेप**

5587. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री प० गोपालन** :
**श्री नायनार** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में वेयानाड में सोने के निक्षेप पाये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन निक्षेपों की खोज करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी)** : (क) हां, महोदय ।

(ख) और (ग). 1963-64 में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अनुसंधान शुरू हो जाने से लेकर, हरेवुड़ खान क्षेत्र में 0.52 वर्ग कि० मी० में मानचित्रण के अलावा, अलका तथा हरेवुड़ खान क्षेत्र में 2,256.82 मीटर व्यधन करके 14 छिद्र किये गये और 1:1000 के माप पर प्लेन टेबल द्वारा 0.92 वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण पूरा किया गया ।

विक्टोरिया और स्कल शैलमाला को काटती हुई एल्फा खानों के छिद्रों के नमूनों के विश्लेषण के अनुसार 900 मीटर के लगभग लम्बाई और 1.5 मीटर की चौड़ाई वाले क्षेत्र से प्राप्त किये गये सोने का औसत मूल्य 1.9 ग्राम प्रति टन के स्तर का है । एल्फा के विस्तार तथा एल्फा शैलमाला को काटते हुए छिद्रों से लिये गये नमूनों की जांच से निराशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

हरेवुड़ खानों में किये गये छिद्रों से पता चला कि पुरानी खुदाइयों के नीचे खनिजयुक्त सोना प्राप्त नहीं होता ।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किये गये अनुसंधानों से पता चला है कि अयस्क निम्न श्रेणी के हैं और उनमें औसतन सोना 2 ग्राम प्रति टन से कम है अत: इस क्षेत्र से कम खर्च पर भूगर्भ खनन द्वारा सोना प्राप्त करने की आशा उज्जवल नहीं ।

## शिक्षा संस्थाओं को रेलवे द्वारा रियायतें

5588. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी शिक्षा संस्थाओं के सदस्यों को रेलवे द्वारा रियायत की सुविधाएं दी गई हैं और सुविधाएं किस आधार पर दी जाती हैं ;

(ख) किन किन शिक्षा संस्थाओं को ऐसी सुविधाएं देने से इन्कार किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) ऐसी कोई भी शिक्षा संस्था नहीं है जिसे स्थायी आधार पर रेलवे रियायत प्राप्त हो । कुछ शिक्षा संस्थाओं को उनके वार्षिक सम्मेलन के लिये रियायत दी जाती है । गत पांच वर्षों में ऐसी 12 संस्थाओं को सुविधा दी गई है । सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एक मुख्य अखिल भारतीय स्तर की संस्था को भूतकाल में दी जाने वाली रियायत को बन्द करने का प्रस्ताव है ।

(ख) अनेक संस्थाओं ने रियायत के लिए गत कुछ वर्षों में आवेदन किया था परन्तु उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया । जिनमें से कुछ निम्नलिखित है :

पूर्व प्राथमिक संस्थाओं का भारतीय संघ, आर्य-समाज शिक्षा संस्थाओं की अन्तर्राष्ट्रीय

परिषद, शारीरिक शिक्षा कालेजों का अखिल भारतीय संघ, हिन्द विद्यार्थी युवक सम्मेलन द्वारा बुलाया गया राष्ट्रीय विद्यार्थी युवक सम्मेलन और युवक प्राध्यापक ।

उपरोक्त संस्थाओं को रियायत न देने का कारण यह है कि रियायत के लिये उत्सुक संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और रेलवे की ऐसी संस्थाओं को रियायत देने की क्षमता उतनी ही है जितनी पहले थी ।

**Accident to 4-Down Assam Mail**

5589. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the news dated the 2nd December, 1967, the 4-Down Assam Mail proceeding to Barauni was involved in an accident ; and

(b) if so, the causes thereof ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) Presumably the reference is to the derailment of train No. 4 Down Assam Mail on 4.12.1967 at Banarhat station on the Northeast Frontier Railway.

(b) The accident was due to the breakage of equalising beam of a coach.

**Houses for Scheduled Castes Railway Employees in Jodhpur Division**

5590. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the facility of housing is not available to the railway employees belonging to Scheduled Castes in Jodhpur Division ;

(b) whether it is also a fact that they are not getting accommodation on rent in the city because of untouchability ;

(c) if so, whether Government propose to make arrangements for providing Government quarters to these employees ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) No. Railway quarters are allotted to railway employees including those belonging to Scheduled Castes, in their turn, in the order of registration of their applications for such accommodation.

(b) No such information is available with the Railway administration.

(c) and (d). Do not arise.

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा देय बिजली-खर्च**

5591. **श्री प्र० के० देव :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने उड़ीसा सरकार को बिजली खर्च के रूप में 2 करोड़ 25 लाख रुपये देने हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार इस बड़ी राशि का तुरन्त भुगतान करने के लिये आग्रह करती रही है क्योंकि बाढ़, तूफान तथा सूखे के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है ; और

(ग) इस राशि का कब तक भुगतान किये जाने की सम्भावना है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार को बिजली खर्च के रूप में कुछ भी नहीं देना है । रूरकेला इस्पात कारखाने के अन्दर जो बिजली पैदा की जाती है उसका शुल्क उड़ीसा सरकार को देना है । इस शुल्क की कुल कितनी राशि उसे देनी है, इस बात को अभी तय नहीं किया जा सका है क्योंकि राशि तय करने के आधार पर मतभेद है । फिर भी 1.15 करोड़ रुपये की राशि उड़ीसा सरकार को दे दी गई है जिसका अन्तिम भुगतान के समय हिसाब कर लिया जायेगा ।

**लौह अयस्क पर स्वामिस्व की दरें**

5592. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क पर स्वामिस्व की दर की एक रुपया प्रति टन बढ़ाने के सम्बन्ध में उड़ीसा और बिहार सरकारों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). राज्य सरकार की सिफारिशों को ध्यान में रख कर लौह अयस्क पर उसकी श्रेणी के अनुसार राजशुल्क की दरें पुनः निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

**काजू तैयार करने का उद्योग**

5593. **श्री जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू तैयार करने के उद्योग का समुचित विकास करने के लिये सरकार ने काजू बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) इसे आवश्यक नहीं समझा गया है ।

## काजू के छिलके के तेल का निर्यात

5594. **श्री जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में काजू के छिलके के तेल का निर्यात घट गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) काजू के छिलके के तेल का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) जी, हां। जनवरी-अक्तूबर 1966 की अपेक्षा जनवरी-अक्टूबर 1967 में काजू के छिलके के तेल का निर्यात कुछ घटा है।

(ख) अमरीका, इंगलैंड, जापन और आस्ट्रेलिया द्वारा तेल के न उठाये जाने के कारण उसका निर्यात कम हुआ। वर्ष 1965 में आयातकों ने अधिक तेल का आयात किया और इस कारण उस तेल की मांग में 1966-1967 में कमी हुई और उसके मूल्यों में भी कमी आई। फलस्वरूप तेल उत्पादकों ने ड्रम रोस्टिंग मैथड पुनः अपना लिया और काजू के छिलके का तेल भी कम पैदा हुआ और निर्यात भी कम हुआ। दूसरे मोजामबिक और ब्राजील से आने वाला यह तेल सस्ता होता है इसलिये इससे भारतीय तेल को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है।

(ग) परिषद ने प्रस्ताव किया है कि आगामी वर्ष में अमरीका और जापान में काजू के छिलके के तेल के बाजार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जाये, और एक गोष्ठि बुलाई जाये जिसमें इस तेल का निर्यात बढ़ाने तथा इसकी देश में खपत बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाये।

## यूनान को वन उत्पादों का निर्यात

5595. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनान की सरकार ने भारत से वन उत्पाद खरीदने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो यूनान ने कितनी मात्रा में तथा किस किस्म के वन उत्पाद खरीदने को कहा है तथा उनका मूल्य कितना है ;

(ग) इन उत्पादों की पहली खेप कब तक भेजी जायेयी ; और

(घ) यूनान को भेजने के लिये ये उत्पाद किस राज्य से एकत्रित किये जायेंगे ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) और (ख). जी, हां। यूनान के पबलिक पावर कारपोरेशन आफ एथैन्स ने लकड़ी के दो लाख खम्भे, जिनका मूल्य 4,469,655 अमरीकी डालर (3,35,22,412.50 रुपये) होता है, खरीदने की इच्छा प्रकट की है। लकड़ी की किस्म "बल्लगी" है।

(ग) माल सप्लाई करने सम्बन्धी समझौता सम्पन्न होने के बाद यह मालूम होगा कि माल कब भेजा जायेगा ।

(घ) मैसूर राज्य से ।

**रेलवे के महाप्रबन्धकों का सम्मेलन**

5596. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में हुए रेलवे के महा-प्रबन्धकों के सम्मेलन में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई ; और

(ख) उन पर क्या निर्णय किये गये ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) सामन्यतः रेलवे से सम्बन्धित दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप के बारे में चर्चा हुई । जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई उनका विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2180/67]**

(ख) इस सम्मेलन से महा प्रबन्धकों को यह अवसर मिलता है कि वे परस्पर और रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार-विनिमय करते हैं । इसका मुख्य ध्येय कार्य कुशलता को बढ़ाना है तथा महाप्रबन्धक स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सम्मेलन के निष्कर्षों का पालन करते हैं ।

**पूर्वोत्तर रेलवे के गरहरा के सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय**

5597. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरहरा (मुंघेर) में पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय मार्शलिंग यार्ड के बिल्कुल बीच में स्थित है, तथा निरंतर होती रहने वाली शंटिंग के बीच में से बहुत सी लाइनों को पार करके उन क्लर्कों को काम पर इस कार्यालय में आना पड़ता है, जो मार्शलिंग यार्ड में काम करने के लिये स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य है ;

(ख) क्या इस कार्यालय को वहां से अन्य स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में अनुसचिवीय कर्मचारियों ने एक संयुक्त अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग). गरहरा में पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय मार्शलिंग यार्ड और माल गोदाम के बीच में है तथा वहां पर शंटिंग लगातार नहीं होती रहती है । रेलवे कर्मचारियों का स्वास्थ्य स्तर उनके कर्त्तव्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इस आधार पर नहीं कि उन्हें कार्यालय जाते समय कितनी रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है । जिन क्लर्कों का प्रश्न में जिक्र किया गया है उन्हें यार्ड-कर्मचारियों के समान कर्त्तव्य नहीं है । इसलिये इस पहलू पर विचार नहीं किया जा सकता । एक अभ्यावेदन इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था तथा उस पर विचार करने के बाद यह पाया गया

कि रेलवे लाइन पार करने के लिये एक रास्ता पहले से ही वहां है। अतः अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

**राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात**

5598. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये संसद सदस्यों, सार्वजनिक नेताओं तथा व्यापारियों की शीर्ष संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) पहले ही बड़ी संख्या में वर्तमान सलाहकार संस्थाओं को देखते हुए इस संस्था से किस उद्देश्य की पूर्ति होगी ; और

(ग) वर्तमान संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम की विद्यमान सलाहकार संस्थाएं निगम को विशिष्ट वस्तुओं से सम्बन्धित व्यापारिक मामलों पर सलाह देने के लिये नियुक्त किया गया था। इन संस्थाओं में पहले से ही समन्वय है।

**हस्तशिल्प उद्योग**

5599. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले शिल्पियों को अधिक मजूरी देने तथा उनकी काम की दशाओं को सुधारने के उपायों पर विचार किया जा रहा था ; और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) हस्तशिल्प उद्योग को तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये और क्या उपाय किये जा रहे हैं ;और

(ग) 1 अप्रैल, 1969 तक हस्तशिल्प की वस्तुओं का उत्पादन तथा उनका निर्यात कितना बढ़ जाने की सम्भावना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) सहकारी समितियों के सुनियोजित उत्पादन के माध्यम से हस्तशिल्पियों की आय बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उन्हें आधुनिक उपकरण तथा तकनीक दिये जा रहे हैं और निर्यात के लिये डिजाइन सुझाये जा रहे हैं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्रम में इस प्रकार की विस्तार की योजनाएं सम्मिलित हैं। हस्तशिल्पियों की कार्य की दशाएं सुधारने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(एक) उचित मूल्यों पर दुर्लभ कच्चे माल की सप्लाई ।

(दो) उस्ताद हस्तशिल्पियों के अधीन शिक्षुता की प्रशिक्षण योजनाओं का विस्तार ।

(तीन) विपणन सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार जिसमें हस्तशिल्प भाण्डारों को आधुनिक रूप देना ।

(चार) पैकेज व्यवस्था में सुधार तथा अनुसंधान ।

(पांच) विदेशी ग्राहकों को निमंत्रण तथा विदेशों में प्रचार तथा प्रदर्शनियों का आयोजन ।

(छः) रेल के भाड़े तथा स्थानीय करों में रियायत ।

(सात) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था, आदि ।

(ग) हस्तशिल्प की वस्तुओं का उत्पादन प्रतिवर्ष 320 करोड़ रुपये के मूल्य का होता है जो बढ़कर 1 अप्रैल, 1969 तक 350 करोड़ रुपये हो जायेगा । उनका निर्यात अब 42 करोड़ रुपये का है जो 1 अप्रैल, 1969 तक बढ़कर 50 करोड़ रुपये हो जायेगा ।

**मशीनी औजारों के उत्पादन का लक्ष्य**

5600. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित मशीनी औजारों के उत्पादन के लक्ष्य में भारी कटौती की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). चौथी योजना पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना है । बदली हुई आर्थिक स्थिति तथा मशीनी औजारों की मांग में कमी को ध्यान में रखते हुए योजना के मसौदे की रूप-रेखा में दिये गये लक्ष्य की पुनः समीक्षा करके उसमें कटौती करनी पड़ेगी ।

**औद्योगिक विकास की गति**

5601. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 के समान ही चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में औद्योगिक विकास की गति बहुत ही कम रही है ;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) वे उद्योग कौन कौन से हैं, जिनमें उत्पादन काफी कम रहा है और इन उद्योगों में से प्रत्येक उद्योग में इसी अवधि में हुआ उत्पादन वर्ष 1965-66 और 1966-67 के उत्पादन की तुलना में कितना कम या अधिक रहा है ; और

(घ) औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे कि वह वर्ष 1962 से 1965 तक के चार वर्षों के औसत के बराबर जो कि 8 प्रतिशत है, हो जाये ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2181/67]

**अलाभप्रद रेलवे लाइनों को हटाना**

5602. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
**श्री हेम राज :**

क्या **रेलवे** मंत्री 7 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 997 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चय करने के लिये, कि कौन-कौन सी अलाभप्रद रेल लाइनों को हटाया जाये, कोई पुनर्विलोकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, हां । अलाभप्रद रेलवे लाइनों के बारे में पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

(ख) कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है, जहां, रेल यातायात का स्थान बिना किसी कठिनाई के और स्थानीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाये बिना सड़क यातायात ले सकता है । राज्य सरकारों से यह पूछा गया है कि रेलवे लाइनों के बन्द करने पर अतिरिक्त सड़क यातायात की जो आवश्यकता होगी, क्या वे उसे पूरी कर सकेंगी । उनसे उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । ऐसी चौदह लाइनों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को लिखा गया है । उनके ब्योरे का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2182/67]

**श्रीलंका को औद्योगिक विकास के लिये सहायता**

5603. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने अपने कुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिये

भारत सरकार से ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार श्रीलंका सरकार द्वारा मांगी गई सहायता देने के लिए सहमत हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**निर्यात नीति**

5604. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात नीति सम्बन्धी संकल्प पर जिसमें निर्यात बढ़ाने के लिये विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रस्ताव किये गये हैं और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) नई निर्यात नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) एक निर्यात नीति सम्बन्धी संकल्प सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) संकल्प की भाषा अभी निश्चित की जा रही है ।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**दिल्ली में पुलों और रेलवे फाटकों पर लगे हुए विज्ञापन-पट्ट**

5605. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सब पुलों और रेलवे फाटकों पर लगे हुए विज्ञापन-पट्टों को हटाने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के निर्णय के बारे में उत्तर रेलवे और दिल्ली प्रशासन के बीच विवाद खड़ा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद का क्या स्वरूप है ;

(ग) विज्ञापन-पट्ट हटाने से रेलवे को राजस्व की काफी हानि होने की सम्भावना है ;

(घ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी हानि होगी ; और

(ङ) इस मतभेद को किस प्रकार दूर किया जा रहा है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है । हां, दिल्ली प्रशासन ने 4 नवम्बर, 1967 को लोथियन तथा तिलक पुलों के समीप रेलवे की

भूमि पर लगे सब प्रकार के विज्ञापन पट्टों को बिना रेलवे, दिल्ली निगम या विज्ञापनकर्ताओं को पूर्व सूचना दिये, उतार दिया था। ये सब विज्ञापन पट दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किये गये लाइसेंस के अधीन लगाये गये थे।

(ग) जी, हां।

(घ) लगभग पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष।

(ङ) विज्ञापन-पट्ट इस आधार पर हटा दिये गये हैं कि वे यातायात में बाधा उत्पन्न करते थे। अब यह सुझाया गया है कि विज्ञापनकर्त्ताओं, रेलवे, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन तथा यातायात पुलिस के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति नियुक्त की जाये, जो इस निर्णय के व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करेगी जिससे यह अधिक व्यापक, तर्कसंगत तथा व्यावहारिक बन जाये। साथ ही समिति दिल्ली क्षेत्र के उन स्थलों का सर्वेक्षण करेगी जहां विज्ञापन पट्टों को लगाने की अनुमति मिल जाये। दिल्ली प्रशासन से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

## रेलवे सेवा आयोग

5606. **श्री अ० श्री० कस्तूरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे सेवा आयोग कितने हैं और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने सदस्य हैं ; और

(ख) क्या इन आयोगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के और अधिक सदस्य नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) रेलवे सेवा आयोग चार हैं और उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी सदस्य इस समय नहीं है।

(ख) फिलहाल अधिक सदस्य नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## Export of Fish

5607. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of foreign countries to which fish was exported from India during 1965-66 and 1966-67 and the quantity thereof, separately ;

(b) the quantity out of it exported from Maharashtra ; and

(c) the details of machinery and other goods imported for the development of fisheries as a result of this export ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) A statement is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-2183/67].**

(b) Export statistics are not maintained state-wise.

(c) The following items are allowed to be imported under the Import Policy for Registered Exporters of fish and fish products to the extent of 10 per cent of the F. O. B. value of exports as import replenishment :—

1. Refrigerants (Dischlore Diflaore methyene).
2. Spare parts for refrigeration machinery.
3. Printed waxed cartons.
4. Printed master cartons.
5. Printed Cardboard, corrugated boards, cartons and sleeves.
6. Printed labels.
7. Vegetable perchment paper.
8. Citric acid.
9. Spare parts of canning machinery.
10. Tin plate.
11. Nylon twine of 210×3 deniers, (up to 10 per cent).
12. Fishing hooks (upto 50 per cent).
13. Box strapping (upto 5 per cent).
14. Stainless steel sheets (thicker than 18 G) and plates for fabrication of processing equipment (upto 10 per cent).
15. Spare parts of marine diesel engines above 40 H. P. which are not available indigenously.
16. Polythene moulding powder/polythene granules.

**Explosion in First Class Compartment of Dehra Dun Express**

5608. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire broke out due to explosion in a first class compartment of Dehra Dun Express when it was about to reach Khachraud Station on the Western Railway ;

(b) if so, the causes of the explosion ; and

(c) whether Government propose to institute an enquiry into it ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) to (c). There was no explosion in Dehra Dun Express. However on 2-12-1967, there was overheating of the bimetallic joint between aluminium and copper cables leading to the dynamo of a first class coach of Dehra Dun Express at Khachraud station and slight smoke was noticed on this account. The Electrical Fitter escorting the train disconnected the affected circuit immediately and the train left after suffering a detention of 14 minutes.

**रेलवे में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर**

5609. **श्री सूरज भान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 210-320 रुपये वेतनमान वाले तीसरी श्रेणी के कर्मचारी और

अच्छे किस्म के रेलवे क्वार्टर मिलने के अधिकारी हैं ;

(ख) क्या 205-380 रुपये वेतनमान वाले कर्मचारियों को इस किस्म के क्वाटर नहीं मिलते ;

(ग) यदि हां, तो 210-320 रुपये वेतनमान वाले कर्मचारियों के मुकाबले उनके साथ भिन्न व्यवहार करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस विषमता को दूर करने की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ). वर्तमान नियमों के अनुसार तीसरी श्रेणी के वे सब कर्मचारी जिनका वेतन-मान 210 रुपये से कम है वे टाइप दो क्वार्टर के अधिकारी हैं तथा जिनका वेतनमान कम से कम 210 रुपये या इससे अधिक या अधिक से अधिक 425 रुपये है वे टाइप तीन क्वार्टरों के अधिकारी हैं। इस प्रकार 210-230 रुपये के वेतनमान वाले कर्मचारी टाइप दो क्वार्टर के तथा 205-380 रुपये के वेतनमान वाले कर्मचारी टाइप तीन क्वार्टर के अधिकारी हुए। विद्यमान नियमों में ऐसे संशोधन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जिसके अनुसार 205-380 रुपये के वेतनमान वाले कर्मचारी टाइप तीन क्वार्टर के अधिकारी बन जायें।

## एक गियर फैक्टरी को एक अमरीकी फर्म द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी

5610. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री प० गोपालन** :

**श्री उमानाथ** : **श्री अ० क० गोपालन** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 नवम्बर, 1967 के दैनिक समाचार पत्र" इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि औद्योगिक विकास वित्त अभिकरण की सहायता से स्थापित की गई एक गियर फैक्टरी को एक अमरीकी फर्म ने मशीनरी के तौर पर कबाड़ मशीनरी सप्लाई की है ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और यह ठेका कितनी राशि का था ;

(ग) क्या यह सच है कि इसमें औद्योगिक विकास वित्त अभिकरण के कुछ अधिकारियों का हाथ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को इस मामले की शिकायत की है और उसका क्या परिणाम रहा ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी फर्म का नाम मेसर्स नेपको इंडस्ट्रीज इन्कार्पोरेट, अमरीका है और विदेशी फर्म द्वारा सप्लाई की गई मशीनों का क्रय मूल्य 28 लाख डालर है ।

(ग) सरकार को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी के गार्डों द्वारा आन्दोलन**

5611. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिवीजनल यातायात अधीक्षक वाराणसी द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के लगभग सभी गार्डों का अन्य केन्द्रों में तबादला किये जाने के बिरोध में उन सब ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डिवीजनल यातायात अधीक्षक के इस रवैये के विरोध में 24 अक्तूबर, 1967 से 4 दिसम्बर, 1967 तक गार्डों द्वारा सामूहिक भूख हड़ताल की गई थी, जो कि इस आन्दोलन का एक अंग था ;

(ग) गार्डों के सामूहिक तबादले का यदि कोई कारण है तो क्या ; और

(घ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) वाराणसी डिवीजन के 156 गार्डों में से केवल 9 की बदली की गई थी । इनमें से 6 ने अपनी बदली के विरुद्ध आन्दोलन किया ।

(ख) सूचना मिली है कि उनमें से कुछ ने 24-10-67 के रात्रि के दो बजे से रेलवे परिसर के बाहर टुकड़ियों में व्रत आरम्भ किया । आन्दोलन 4-11-67 को समाप्त हो गया ।

(ग) स्थानान्तरण आदेश प्रशानिक कारणों से जारी किये गये थे ।

(घ) जबकि अभ्यावेदन देने के तरीके विद्यमान हैं ऐसे प्रदर्शनों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है ।

**रूसी ट्रैक्टरों के लिये पुर्जों का आयात**

5612. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी ट्रैक्टरों के लिये पुर्जों का आयात करने के लिये वर्ष 1967 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और आवेदक एजेंटों के नाम क्या थे, आवेदन पत्र किस-किस तारीख को दिये गये थे, कितने मूल्य के पुर्जों का आयात करने के आवेदन दिये गये थे और उनके लिए जारी किये गये आयात लायसेंसों का ब्योरा क्या है तथा लायसेंस देने की तारीखें क्या थीं और कितने मूल्य का सामान आयात करने के लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि आयात लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण रूसी ट्रैक्टरों के पुर्जों की कमी बनी रहती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) 1967 में राज्य व्यापार निगम को 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । अब तक कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं । इस सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2184/67**]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Imports from China**

5613. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of commodities permitted by Government to be imported from China before 1962;

(b) whether some of those commodities were permitted to be imported even after 1962; and

(c) if not, how Chinese goods that are available in different cities of West Bengal, find their way into India?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2185/67].**

(c) As no remittance has been allowed after 1962, we are not aware of any actual import of goods in post-1962 period under normal means, except such imports as have been covered by remittances made prior to 1963.

**Export of Consumer Goods**

5614. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that mostly consumer goods are imported from India by those countries which have trade agreements with India on rupee payment basis;

(b) whether it is also a fact that this is the main cause of constant increase in the prices of consumer goods; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) No, Sir. Out of imports from India by those countries which have trade agreements with India on rupee payment basis, consumer goods account for no more than one third.

(b) It is not also a fact that import of consumer goods from India by these countries is the main cause of increases, if any, in the prices of consumer goods, though it is true that exports of such commodities will have some effect on the supply position of any exporting country.

(c) Government are constantly reviewing the position and in the past have restricted or banned the export of particular commodities when there was a serious shortage for meeting internal demands.

**Fall in Goods Traffic**

5615. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the volume of railway goods traffic is decreasing day by day ;

(b) the total quantity of goods transported and the amount charged as freight thereon, year-wise, during last three years ;

(c) whether the decrease in the railway goods traffic is due to the increasing competition in this field by road transport ; and

(d) if so, the steps taken by Government to make railway transport more convenient and attractive ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) and (b). In the first eight months of the current year 1967-68, the railways lifted 2·10 million tonnes of revenue earning goods traffic less as compared to the corresponding period of the previous year. Figures of revenue earning goods traffic originating and the freight earnings during last three years were as under :—

(Figures in thousands)

| | Tonnes originating | Earnings from goods traffic. |
|---|---|---|
| 1964-65 | 148,807 | 3,98,37,21 |
| 1965-66 | 161,987 | 4,52,34,58 |
| 1966-67 | 164,215 | 4,67,87,09 |

(c) In 1966-67, and 1967-68, so far, goods traffic has not come up to expectations, but this was mainly due to recession in the major industries, poor agricultural production due to drought and crop failures, and to a certain extent to increasing road competition.

(d) The Railways continuously strive to improve the quality of service. Some aspects that receive constant attention are timely supply of wagons and transit time. Quick transit services and super express goods services provide fast transport. Various measures are adopted to prevent losses and damage during transit. Where justified and practicable, packing conditions are made easier and less expensive. Reduced station to station rates are also quoted. Out Agencies and City Booking Agencies are opened and street collection and delivery services organised for providing to the customer integrated rail-cum-road transport. Container services are being introduced between important stations to provide door to door service and eliminate costly packing and at the same time saving damage and pilferage in transit. A marketing and Sales Organisation has been set up on each Railway so that all aspects of railway working having a bearing on consumer satisfaction can be kept under watch at a daily high level.

**Imports against Rupee payments**

5617. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total imports made during the last five years upto March, 1967 against rupee payment ; and

(b) the names of commodities and the value thereof exported to foreign countries against rupee payment ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) The total imports made during the last five years upto March, 1967 from East European countries against rupee payment are as stated below :

| | (Rupees in Million) |
|---|---|
| 1962-63 | 1,101·4 |
| 1963-64 | 1,292·6 |
| 1964-65 | 1,450·0 |
| 1965-66 | 1,570·3 |
| 1966-67 | 2,089·5 |

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2186/67].**

## Goods Train Collision near Shamgarh

5618. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two goods trains collided on the 30th November, 1967 near Shamgarh on the Western Railway ;

(b) if so, the cause of the collision ;

(c) whether any employee was injured as a result thereof ; and

(d) if so, their number ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) On 30.11.1967, goods train No. 503 Down, while being taken from line No. 3 of Shamgarh yard to line No. 1 of goods yard, dashed against the dead end resulting in the derailment of engine and 10 wagons, of which 4 wagons capsized 2 of them fouling the main line. Goods train No. MD 4 UP which was at the same time approaching from the opposite direction collided with the obstruction caused by the capsized wagons.

(b) According to the provisional finding of the enquiry committee the accident was due to failure of railway staff.

(c) and (d). There was no loss of life or injury to any one.

## Collision of Goods Trains near Kotah

5619. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some labourers were killed and some others were injured as a result of a collision of goods trains at Gadla Stations near Kotah about two years back ;

(b) if so, whether compensation has been paid in each case or there are some cases still pending ; and

(c) if the compensation has been paid, the amount thereof and if it has not so far been paid, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) The accident occurred at Gadla station on 18.6.1965.

(b) and (c). As required under the Workmen's Compensation Act, the due compensation totalling a sum of Rs. 62,400/-has been deposited with the Commissioner for Workmen's Compensation in respect of 17 labourers killed.

In respect of the 3 grievously injured viz., 2 labourers and an employee, the payments due amounting to Rs. 478.65 as per the Act have been made.

No compensation was payable in respect of 10 labourers who had sustained only minor injuries.

## दक्षिण रेलवे तथा उत्तर रेलवे में रेलवे गार्डों पर आक्रमण

5620. **श्री शम्भू नाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के एक गार्ड पर निर्दयतापूर्वक आक्रमण किया गया था और वह बाद में 4 जुलाई, 1967 को रेलवे अस्पताल, पेराम्बूर में मर गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे इलाहाबाद डिवीजन में कुछ अन्य गार्डों पर भी निर्दयतापूर्वक आक्रमण किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का शिकार होने वाले कर्मचारियों को प्रतिकर देने तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर रेलवे की इलाहाबाद डिवीजन पर 15-3-67 को एक गार्ड पर हमला किया गया था।

(ग) मृत गार्ड के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिये दक्षिण रेलवे ने 10,000 रु० कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के पास जमा करा दिये हैं।

उत्तर रेलवे के गार्ड को इस बीच दूसरी श्रेणी के पद पर रख लिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मिलने पर मुआवजे के भुगतान के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

दोनों मामलों में पुलिस की जांच चल रही है।

रेलवे की जगह में विधि तथा व्यवस्था को रखना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य पुलिस को सशस्त्र रेलवे सुरक्षा बल की भी सहायता दी जाती है।

## रेलवे गार्डों के लिये संगचल भत्ता

5621. **श्री शम्भू नाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यात्रा भत्ते में 25 प्रतिशत वृद्धि करने के लिये संयुक्त सलाहकार परिषद् की सिफारिश से सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके साथ-साथ रेलवे गार्डों के संगचल भत्ते में स्वतः 25 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) संयुक्त सलाहकार परिषद् की 6/7 नवम्बर, 1967 की बैठकों में सरकार ने कहा था कि वह लगभग 25 प्रतिशत तक यात्रा भत्तों की वर्तमान दरों में वृद्धि करने के लिये तैयार है और उसकी अधिकतम सीमा 400 रु० प्रति मास होगी। इसका ब्योरा तैयार करने के लिए मामला एक समिति को सौंपा गया है जो इसकी जांच कर रही है।

(ख) और (ग). आशा है कि जो समिति नियमों तथा संगचल भत्ते की दरों का पहले ही पुनर्विलोकन कर रही है, वह इस पहलू को भी ध्यान में रखेगी।

**Remodelling of Stations in Bombay Division**

5622. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number and names of stations built a hundred years ago in Bombay Division of the Central Railway ; and

(b) whether Government propose to remodel them in view of the rapid increase in traffic ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) The Station buildings at following 11 stations in Bombay Division of Central Railway were constructed 100 years or more ago. At other stations which were opend more than 100 years ago, the station buildings were subsequently rebuilt or renovated from time to time according to needs :

| | | |
|---|---|---|
| (1) Badlapur | (2) Neral | (3) Palasdhari |
| (4) Kelavli | (5) Dolavli | (6) Lowjee |
| (7) Khopoli | (8) Khandala | (9) Malavli |
| (10) Shelarwadi | (11) Kasara | |

(b) There are no proposals for remodelling of station buildings at these stations at present.

**निर्यात के लिये नकद प्रोत्साहन की योजना**

5623. **श्री न० कु० सोमानी :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादों तथा इंजीनीयरी उत्पादों जैसी कुछ भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिये नकद प्रोत्साहन देने की योजना पर भारत सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस योजना के स्थान पर निर्यात से होने वाली आय पर कर में छूट देने की योजना लाई जा रही है ; और

(ग) क्या पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ऐसी योजना बनाई जा रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (ग). निर्यात प्रोत्साहन सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस समय इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है।

**Payments by the Mills for Jute Purchased from Small Traders**

5624. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the mill-owners have withheld payments to the small traders in jute for months, consequent to which jute is not being purchased from the jute-growers and it is selling at Rs. 25 per maund ; and

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shre Mohd. Shafi Qureshi)**: (a) Not as far as Government are aware, Sir. Jute prices are ruling very nearly at the level of the minimum support price.

(b) The State Trading Corporation is stepping up purchases of raw jute through co-operatives in addition to purchases by Mills and the Jute Buffer Stock Association.

**सरकारी कोटे में कारों के लिए पंजीयन**

5625. **श्री राम चरण** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के सचिवों और संयुक्त सचिवों को प्रति छः महीने के बाद सरकारी कोटे में प्राथमिकता के आधार पर कारों के लिए पंजीयन कराने की अनुमति होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्रालयों में सेक्शन आफीसर कारों के लिए प्राथमिक आधार पर पंजीयन के हेतु आवेदन-पत्र नहीं दे सकते हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित वर्गों के अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कोटे से प्राथमिकता के आधार पर कार आवंटन कराने के लिए आवेदन-पत्र देने के हकदार हैं :

(1) ऐसे अधिकारी जिनका वेतनक्रम 1250 रु० या इससे अधिक तक पहुंच जाता है इस बात का विचार न करते हुए कि वे वास्तव में कितना वेतन पाते हैं।

(2) ऐसे अधिकारी जो 900 रु० प्रतिमास या इससे अधिक मूल वेतन पा रहे हैं, इस बात का विचार न करते हुए कि उसका वेतनक्रम क्या है ।

(3) सभी चिकित्सा अधिकारी चाहे उनका वेतन क्रम और/अथवा वास्तविक वेतन कुछ भी हो ।

(4) ऐसे अधिकारी जो कार भत्ता पाने के हकदार हैं चाहे उनका वेतनक्रम अथवा उनका वास्तविक वेतन कुछ भी हो ।

ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं कि अधिकारी कार खरीदने तथा उसे रख सकने की क्षमता रखता हो ।

अनुभाग अधिकारी जो उपरोक्त एक या दूसरी श्रेणी में नहीं आते वे केन्द्रीय सरकार के कोटे से प्राथमिकता के आधार पर कारों के आवंटन के लिए आवेदन करने के हकदार नहीं हैं ।

**कोयम्बतूर में बन्द हुई मिलों को पुनः चालू करना**

5626. **श्री रमानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर में बन्द हुए कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के प्रश्न पर वाणिज्य मंत्री और मद्रास के मुख्य मंत्री के बीच हुई बातचीत के दौरान बन्द हुई मिलों में से एक मिल का दिवाला निकालने का सुझाव आया था ;

(ख) यदि हां, तो उस मिल का नाम क्या है और इससे कितने मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) उस मिल का दिवाला निकालने को रोकने के लिए सरकार ने क्या मार्ग सुझाया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) वाणिज्य मंत्री और मद्रास के मुख्य मंत्री के बीच बातचीत के दौरान कोम्बेटूर की एक बन्द मिल के समापन सम्बन्धी कोई विशिष्ट सुझाव नहीं आया था । कुछ मिलों को पुनः चालू करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर ही चर्चा की गई थी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**टिम्बर पार्टीकल बोर्डों का वर्गीकरण**

5627. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० आर० सी० ए० माल प्रशुल्क संख्या 32 में हार्ड बोर्डों, ब्लैक बोर्डों तथा टिम्बर पार्टीकल बोर्डों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड की वाणिज्यिक समिति ने मार्च, 1967 में बम्बई में हुई अपनी बैठक में इन वस्तुओं का वर्गीकरण करने का निर्णय किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीच में इसे लागू किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) आई० आर० सी० ए० माल प्रशुल्क में हाई बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और टिम्बर पार्टिकल बोर्ड शामिल नहीं हैं। उनको "बोर्ड्स, पेटेंट, इन्सूलेटिंग या बिल्डिंग के अन्तर्गत चार्ज किया जाता है।"

(ख) मार्च, 1967 में बम्बई में बैठक में वाणिज्यिक समिति ने कुछ सिफारिशें तैयार की थीं जो इन उत्पादों के लिए लिए जाने वाली दरों से सम्बन्धित थीं।

(ग) सिफारिशें विचाराधीन हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई उत्पाद हैं और जांच काफी ध्यानपूर्वक करनी पड़ी थी।

**मक्की का उत्पादन**

5628. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत में राज्यवार, मक्का का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में इस समय मक्का का औद्योगिक उपयोग क्या है और किन-किन उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में मक्का का उपयोग किया जाता है ; और

(ग) क्या अन्य देशों को लाभकारी मूल्यों पर मक्का का निर्यात किया जा सकता है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2187/67]

(ख) मांडी, ग्लुकोज, डेक्स्ट्रोज, मक्का की शराब, तथा मक्के का तेल बनाने के लिए मक्का का मुर्गी तथा पशुओं का चारा बनाने वाले उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है।

(ग) देशी मक्के का वर्तमान मूल्य इसके निर्यात में सहायक नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्न के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा है।

**मोरन-सिमलगुड़ी रेलवे लाइन**

5629. **श्री रा० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की मोरन से सिमलगुड़ी लाइन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो आसाम सरकार से राय ली गई थी ; और

(ग) क्या परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस लाइन को बनी रहने देगी ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस लाइन को बन्द करने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है।

**संसद सदस्यों को छोटे ट्रैक्टरों की सप्लाई**

5630. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने, जो खेती करते हैं, छोटे ट्रैक्टरों और उनके पुर्जे तथा अन्य कृषि उपकरणों की सप्लाई के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). खेती में काम आने वाले ट्रैक्टरों के आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने के लिए संसद के अनेक सदस्यों ने खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) से अनुरोध किया है। इनके निवेदन पर उस मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

**पूर्वी अफ्रीका के देशों को निर्यात**

5631. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ होने वाले भारत के निर्यात व्यापार में हाल ही में काफी गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को, विशेषकर लघु उद्योगों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं के निर्यात की स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी नहीं। 1966-67 को छोड़कर जबकि अवमूल्यन के कारण हमारे व्यापार में गिरावट आई, पूर्वी अफ्रीकी देशों को हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

**(मूल्य लाख रु० में)**

| | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 |
|---|---|---|---|---|
| कीनिया | 505 | 529 | 486 | 508 |
| उगांडा | 66 | 78 | 103 | 126 |
| तंजानिया | 277 | 279 | 461 | 292 |
| **कुल** | 848 | 886 | 1050 | 926 |

(ख) लघु पैमाने के उद्योगों के उत्पादों सहित भारतीय वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार निरन्तर रूप से विभिन्न उपायों पर विचार करती रहती है। कीनिया स्थित निर्यात प्रोत्साहन परिषद के प्रतिनिधि द्वारा खंगों, लुंगियों, घमलों, पकाने के बर्तनों, इस्पात के ट्रंकों आदि के निर्यात को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

**रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण**

5632. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्य बढ़ जाने और भविष्य में मूल्यों के और बढ़ने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, लाइनों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम को तेज करने और बढ़ाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) और (ख). संचालन आवश्यकता, बिजली की उपलब्धता आदि बातों को दृष्टिगत रखते हुए पटरी के विद्युतीकरण का कार्य एक योजना बद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। कोयला का मूल्य ही विद्युतीकरण का एक कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त बिजली की दरें भी बढ़ गई हैं। आरम्भ में विद्युतीकरण पर भारी व्यय होता है और अधिक यातायात वाले मार्गों पर ही यह लाभप्रद हो सकती है।

**खनिज सर्वेक्षण और भूविज्ञान सम्बन्धी मानचित्र बनाना**

5633. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे सिद्धान्त कौन से हैं जिनके अनुसार खनिज सर्वेक्षण और भूविज्ञान सम्बन्धी मानचित्र बनाने का कार्य किया जाता है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** देशी उद्योगों के विस्तार तथा माल को विदेश में भेज कर विदेशी मुद्रा कमाने के लिए खनिजों के संचयों का पता लगाने तथा ज्ञात हुए खनिजों के निक्षेपों का अनुमान लगाने के लिए खनिज सर्वेक्षण तथा भूविज्ञानिक मानचित्रण किये जाते हैं।

**रेलवे क्वार्टरों का गिराया जाना**

5634. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय में कमी करने की दृष्टि से सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पुराने क्वार्टरों को न गिराया जाय तथा उनके स्थान पर नये क्वार्टरों का निर्माण न किया जाये ; और

(ख) भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी, 1966 से 31 अक्तूबर, 1967 तक पुराने क्वार्टरों को गिराने तथा नये क्वार्टर बनाने पर कुल कितनी-कितनी धनराशि खर्च की ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी नहीं। पुराने क्वार्टरों को गिरा कर उनके स्थान पर नये क्वार्टर बनाना अपरिहार्य है। उनकी आर्थिक दृष्टि से आयु पूरी हो जाने पर गिरा दिया जाता है। क्वार्टरों को गिराने के प्रत्येक प्रस्ताव की ध्यान पूर्वक जांच की जाती है।

(ख) पुराने क्वार्टरों को गिराने और नयों को बनाने पर किये गये व्यय के पृथक पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पुराने क्वार्टरों के गिराने पर और नयों के निर्माण पर 1-1-66 से 31-10-67 तक लगभग 25.55 लाख रु० व्यय हुए थे।

## रेडियो

5635. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने छोटे कारखाने घरेलू रेडियो बनाते हैं ;

(ख) इन कारखानों द्वारा प्रति वर्ष कितने रेडियो बनाये जाते हैं ; और

(ग) विदेशों में भारतीय रेडियो को लोक प्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इन्जीनियरी वस्तुओं के पंजीकृत निर्यातकों को, जिनमें रेडियो रिसीवरों के निर्यातक भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :

1. इन्जीनियरी परिषद की विदेशी प्रचार योजना के माध्यम से अनुदान प्राप्त दरों पर उत्पादन विशेष का प्रचार करना ;
2. भारत सरकार अथवा परिषदों के प्रदर्शन कक्षों में उत्पादों के प्रदर्शन की सुविधाएं देना ;
3. विदेशों में लगने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधाएं।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्यातकों को इन्जीनियरी परिषद द्वारा भेजे जाने वाले बिक्री दलों तथा शिष्टमण्डलों में बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस पर होने वाले व्यय का कुछ अंश विपणन विकास निधि से दिया जाता है।

निर्यात क्षेत्र में रेडियो अपेक्षाकृत एक नया उद्योग है। इसका गत कुछ वर्षों में निर्यात

निम्नलिखित रहा है :

| वस्तु का नाम | वर्ष | निर्यात (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| रेडियो रिसीवर | 1961-62 | 0.30 |
| तथा उसके हिस्से | 1962-63 | 1.83 |
| | 1963-64 | 6.17 |
| | 1964-65 | 6.50 |
| | 1965-66 | 19.72 |
| | 1966-67 | 5.06 |

**रेलवे में संगणकों का प्रयोग आरम्भ करना**

5636. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन रेलवे प्रशासनों ने संगणकों का प्रयोग आरम्भ कर दिया है ;

(ख) रेलवे में संगणकों के प्रयोग के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति फालतू हो गये हैं ; और

(ग) फालतू कर्मचारियों को खपाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) मध्य, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर रेलवे खण्डों में और चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप, इंटिग्नल कोच फैक्ट्री, पीराम्बूर और डीजल लोको मोटिव, वाराणसी में संगणक लगाये गये हैं ।

(ख) इसके कारण कोई कर्मचारी बेकार नहीं हुए हैं । कुछ समय के बाद संगणकों के कारण कुछ कर्मचारी बेकार हो सकते हैं और उन्हें दूसरे कामों पर लगाया जा सकता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**रेलवे विभाग में कार्मिक संघ**

5637. **श्री सूरज भान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे विभाग में कार्मिक संघों की गतिविधियों को दबाने की हिदायतें जारी की हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि अनेक कर्मचारियों को उनकी विधिसंगत कार्मिक संघों से सम्बन्धित गतिविधियों के कारण सताया जा रहा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इसके क्या कारण है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी नहीं । वास्तव में रेलवे के साथ यह परम्परा रही है कि एक स्थायी समझौता व्यवस्था होती है और कार्मिक संघों की उचित कार्य-वाहियों को बढ़ावा देने के लिये अनेक सुविधाएं होती हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**उत्तर रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा धरना**

5638. **श्री सूरज भान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत वेतनमानों वाले भूतपूर्व नैमित्तिक श्रमिकों ने काम कर रहे कर्मचारियों की छंटनी और उनके स्थान पर बाहर से उम्मीदवारों की भर्ती करने के विरोध में 6 नवम्बर, 1967 से उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय के सामने धरना दे रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां । 6.11.1967 से 12.12. 1967 तक उत्तर रेलवे की लखनऊ डिवीजन के सिगनल और दूर संचार विभाग के 6 स्थानापन्न व्यक्तियों ने धरना दिया ।

(ख) चूंकि ये स्थानापन्न व्यक्ति, चयन के परिणामस्वरूप तालिका में नहीं थे, इसलिये वे सेवा में जारी रहने के लिये पात्र नहीं थे । इसलिये रेलवे प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है ।

**पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन में रेलवे कर्मचारी**

5639. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुसार स्नातकों के लिये आरक्षित 20 प्रतिशत रिक्त स्थानों के विरुद्ध 1 अप्रैल, 1956 से उच्चतर ग्रेड का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उपर्युक्त रिक्त स्थानों के विरुद्ध कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**रेलवे कालोनियों के निकट "आस्टैरिटी टाइप स्कूल"**

5640. **श्री रामसिंह अयरवाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को उनकी कालोनियों के पास ही शिक्षा की सुविधायें प्रदान करने के लिये इन कालोनियों के निकट ही "आस्टैरिटी टाइप स्कूलों" की व्यवस्था की है ;

(ख) क्या सभी पांचों क्लासों के लिये इन स्कूलों में केवल 50 छात्रों को ही दाखिला मिल सकता है ;

(ग) क्या इन स्कूलों में केवल एक अध्यापक ही होता है; और

(घ) यदि हां, तो इन अध्यापकों की पदोन्नति के क्या अवसर हैं तथा 50 छात्रों की सीमा निश्चित करने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ऐसे स्कूलों में जहां छात्रों की संख्या 50 तक सीमित है वहां केवल एक अध्यापक की नियुक्ति की गई है ।

(घ) इन अध्यापकों की पदोन्नति उसी क्षेत्र के दूसरे अध्यापकों के साथ जो परम्परागत प्रारम्भिक स्कूलों में हैं, की जाती है । छात्रों की संख्या 50 तक सीमित इसलिये रखी गई है क्योंकि छात्रों को विभिन्न सिफ्टों में एक अध्यापक द्वारा विभिन्न विषय पढ़ाये जाते हैं ।

**कपड़ा बनाने वाली मशीनों का उद्योग**

5641. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा बनाने की मशीनों के उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग न होने से उनमें संकट पैदा हो गया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक-आर्थिक अनुसंधान परिषद् अपने नवीनतम अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुंची है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) सरकार विभिन्न उपाय जैसे पुनर्वास का कार्य अपने हाथ में लेकर सूती मिलों को प्रोत्साहन देना, पुरानी मशीनों को नई मशीनों में परिवर्तित किया जाना और प्रसार के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना । सूती कपड़े की मशीनों को निर्यात करने के लिये निर्यात के तरीकों को ढूंढा जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) सूती कपड़े की मशीनों को कम से कम आयात किया जा रहा है ।

(2) भारतीय मशीनों की तुलना में विदेशी मशीनों के अधिक क्षमताशील होने के कारण विदेशी मशीनों के आयात किये जाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

(3) देशी मंडियों को सहायता देने के उद्देश्य से बिक्री बैंकों से यह निवेदन किया गया है कि वे आस्थगित भुगतानों के लिये 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें और इसको उचित मामलों में 7 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है ।

(4) औद्योगिक विकास बैंकों द्वारा पहले हुंडियों के भुनाये जाने के लिये 25 लाख प्रति वर्ष प्रति यूनिट के प्रतिबन्ध को अब 50 लाख कर दिया गया है।

(5) निर्यात के लिये ऋण के प्रवाह को बनाये रखने के लिये बैंकों से कहा गया है कि वे उधार पर 6 प्रतिशत और माल के अग्रिम पैकिंग पर 8 प्रतिशत से अधिक न लें।

(6) औद्योगिक विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की सीमा को उचित मामलों में 7 वर्ष और विशेष मामलों में 10 वर्ष कर दी गई है।

इन उपायों से सूती कपड़े की मशीनों की मांगों में वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप सूती कपड़े के उद्योग में सूती कपड़े की मशीनों का पूरा प्रयोग हो सकेगा।

**पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान**

5642. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 126 प्रमुख सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के अध्ययन से यह पता चला है कि पिछले आम चुनावों में विभिन्न राजनैतिक दलों को लगभग 1.1 करोड़ रुपये दिये गये हैं;

(ख) क्या इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि इस राशि का 73.7 प्रतिशत भाग कांग्रेस दल को और 25.2 प्रतिशत भाग स्वतन्त्र दल को दिया गया; और

(ग) क्या सरकार ने कांग्रेस दल को रुपया देने के लिये इन कम्पनियों को कोई निदेश दिया था ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) हां, श्रीमान। सरकार, "इकोनोमिक टाइम्स" के अनुसंधान कार्यालय द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित लेख के बारे में जो इसके दिनांक 5 दिसम्बर, 1967 के अंक में प्रकाशित हुआ था, जागरूक है।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

**रुई के मूल्य**

5643. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के स्टाक की प्रतिभूत के आधार पर अनुसूचित बैंकों द्वारा दी जा रही अग्रिम राशि पर कपड़ा आयुक्त तथा रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इन प्रतिबन्धों का रुई बाजार में रुई के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) रुई के मूल्यों में हो रही अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (ग). रुई के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने तथा मिलों और व्यापारियों द्वारा रुई को जमा करने या छिपाने से रोकने के उद्देश्य से इस वर्ष रूई के स्टाक पर लगे विनियमनों के साथ-साथ ऋण विनियमनों को भी लागू किया जायेगा। इन उपायों के परिणामस्वरूप रुई के फुटकर मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान मौसम में मूल्य मौसम के आरम्भ में निर्धारित किये गये मूल्यों की तुलना में सामान्यतया अधिक रहे।

**आसाम में उत्पादित गंधक युक्त कोयले के वैकल्पिक उपयोग**

5644. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्धक युक्त आसाम के कोयले का कोई दूसरा उपयोग करने की संभावना का पता लगाने के लिये जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में किया जा रहा अनुसन्धान कार्य इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). आसाम के कोयले को धातु कार्मिक प्रयोजनों, उर्वरक निर्माण तथा सीमेंट और चीनी आदि उद्योगों के लिये प्रयोग करने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहट में कार्य प्रगति कर रहा है।

**खली के निर्यात के लिये जहाजों में स्थान**

5645. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खली के निर्यातकों ने शिकायत की है कि खली के निर्यात के लिये जहाजों में स्थान नहीं मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो खली के निर्यातकों को खली के लिये निर्यात के लिये जहाजों में स्थान देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Promotion of Class I Railway Officers**

5646. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Class I Officers on the Railways are eligible for promotion to senior scale after putting in service for four years ;

(b) whether it is also a fact that on becoming eligible, the Railway Board consider inter-Railway adjustments if no vacancy is available within one year and once promoted to senior scale, the reversion of Class I Officers can be effected only after reverting Class II and temporary Officers ;

(c) if so, the reasons for not following this procedure on the Western Railway ; and

(d) the action being contemplated by the Railway Board for violation of the policy laid down in its letter No. E (GS) 61 PM1-117, dated the 27th September, 1961 ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) Yes, subject to their suitability.

(b) The principle is that an arrangement already made, by the officiating promotion to senior scale of a temporary officer or a Class II officer at a time when a suitable Class I (Junior Scale) officer was not available, should not be reversed later, to make room for the Class I Officer who becomes eligible and available subsequently. In case, however, no vacancy occurs to promote the Class I officer within a reasonable time, the position is examined whether any adjustments are considered necessary.

Once promoted to Senior Scale a reversion of Class I officer due to a contraction of cadre etc. to the Junior Scale is normally in the order mentioned.

(c) The procedure, mentioned in reply to (b) above, is followed on the Western Railway.

(d) Does not arise.

**पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे के कर्मचारियों (द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी) की अपदावनति**

5647. **श्री द० रा० परमार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने वर्तमान मितव्ययता, अभियान के प्रसंग में द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के कर्मचारियों की पदावनति तथा छंटनी करने के लिये रेलवे प्रशासनों को हिदायतें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे में इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों की पदावनति और छंटनी की गई है अथवा की जायेगी ;

(ग) क्या उक्त पदावनति/छंटनी के परिणामस्वरूप पश्चिम रेलवे में द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या में कमी पैदा हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये रिक्त स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाने या बनाये रखने के लिये रेलवे प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ). द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदावनति तथा छंटनी के बारे में कोई हिदायतें नहीं दी गई हैं। परन्तु रेलों को यह कहा गया है कि अनावश्यक पदों को समाप्त करने की दृष्टि से अपने मुख्यालय के संगठनों में राजपत्रित पदालि का पुनर्विलोकन किया जाये। पश्चिम रेलवे में अभी पुनर्विलोकन पूरा नहीं हुआ है। इसलिये अभी इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी भी शामिल हैं, वास्तविक संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

पदालि को छोटा किये जाने के कारण कुछ अराजपत्रित कर्मचारी फालतू हो जायेंगे परन्तु उन्हें वैकल्पिक नौकरी देने पर विचार किया जायेगा। यदि कोई पदावनति हुई तो वह बिल्कुल वरिष्ठता-क्रम में होगी। इसलिये, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित पदों की संख्या में कोई असंतुलन नहीं होगा। तदनुसार, इन जातियों के लिये रक्षित पदों के मामले में यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के लिये कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के लिये पद

5649. **श्री दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी उपक्रमों के चेयरमैनों/प्रबन्ध निदेशकों/महानिदेशकों के पदों पर भिन्न-भिन्न नियम तथा वेतनमान लागू होते हैं; और

(ख) विशिष्ट वेतनमान निर्धारित करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) सरकारी उपक्रमों में बचत और उनकी जटिल समस्याओं की दृष्टि से उनके आकार एवं महत्व के आधार पर उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पद मोटे तौर पर 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' अनुसूची में वर्गीकृत किये गये हैं। प्रत्येक अनुसूची का एक विशिष्ट वेतनक्रम होता है, जैसा कि नीचे बताया गया है :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुसूची | 'क' | 3,500 | – 125 | – | 4,000 रु० |
| अनुसूची | 'ख' | 3,000 | – 125 | – | 3,500 रु० |
| अनुसूची | 'ग' | 2,500 | – 100 | – | 3,000 रु० |
| अनुसूची | 'घ' | 2,000 | – 100 | – | 2,500 रु० |

जिस अनुसूची के अन्तर्गत कारखाना वर्गीकृत किया जाता है, उसके लिए नियत वेतनक्रम पाने के लिए ही एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी होगा।

(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का वेतन निश्चित करने के लिए निम्नलिखित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त अपनाये गये हैं :

1. सामान्यतः ये वेतनक्रम इन पदों के लिए चुने गये सभी व्यक्तियों को दिये जाते हैं, उनकी भर्ती चाहे कहीं से भी की गई हो ।
2. पद धारण करने वाले व्यक्ति को जो वेतन मिल रहा होता हैं, उसको तब तक ही वेतन मिलता रहता है जब तक वह वर्तमान पद पर रहता है । भले ही वह वेतन मानक वेतनक्रम से अधिक हों ।
3. अनुसूची 'ग' में नियुक्त किये गये किसी भी सरकारी कर्मचारी को भारत सरकार के सचिव से अधिक वेतन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक वह अपने सरकारी पद से इस्तीफा न दे दे ।

**दिल्ली से साइकिल के टायरों को चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना**

5649-क. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में साइकिल टायरों और ट्यूबों की अत्यधिक कमी होने तथा उनका दिल्ली से बाहर बड़े पैमाने पर चोरी छिपे ले जाये जाने की ओर आकर्षित कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इनकी चोर बाजारी और तस्करी को रोकने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली में साइकिल के टायरों और ट्यूबों की बिक्री का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता है । 19 अक्तूबर, 1967 को उसने साइकिलों के टायर और ट्यूब दिल्ली से अन्य क्षेत्रों को ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक आदेश निकाला था । इस आदेश की अवधि 18 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो गई । इसी तारीख से एक दूसरा आदेश लागू किया गया है जिसके अनुसार साइकिल के लोकप्रिय ब्रांडों के टायरों एवं ट्यूबों के अधिकांश भाग दिल्ली के वास्तविक उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए रक्षित कर दिया गया है ।

**भूमिगत जल संसाधन**

5650. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल संसाधनों को भी राजस्थान में किये जाने वाले 'आपरेशन हार्ड राक' में सम्मिलित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों को सर्वेक्षण के लिये चुना गया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) भूगर्भ जल के संसाधनों की जांच "आपरेशन हार्ड राक" के अन्तर्गत नहीं आती जैसा कि पहले सोचा गया था। परन्तु अलौह धातुओं के निक्षेपों की खोज में प्राप्त की गई कुछ सामग्री भूगर्भ जल के अनुसंधानों में प्रयोग हो सकती है।

(ख) राजस्थान में सर्वेक्षण के प्रस्तावित क्षेत्र अरावली श्रंखला के साथ-साथ चले गये हैं, जिनमें झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ जिलों के भाग शामिल हैं।

---

## सभा के कार्य के बारे में
## RE: BUSINESS OF THE HOUSE

**श्री स० कुण्डू** (बालासौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक रूसी युवक द्वारा देश त्याग के बारे में हम सभी जानते हैं.....

**अध्यक्ष महोदय** : विदेशी मामलों पर चर्चा के दौरान यह मामला उठाया जा सकता है।

**श्री स० कुण्डू** : **

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कुण्डू ने इस बारे में मुझे लिखा था। मैंने उसकी अनुमति नहीं दी परन्तु यह उसे फिर से उठाना चाहते हैं। हम इन बातों में सभा का समय बर्बाद नहीं कर सकते।

**श्री मोलहू प्रसाद** (बांसगांव) **

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

**Shri Molahu Prasad**: Sir, I want to seek a clarification.

**Shri Hukam Chand Kachhwai** (Ujjain): The police have no right to beat the students.....

**(अन्तर्बाधायें)****

**श्री हेम बरुआ** (मंगलदाई) : माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि वह सामान्य बीमा-कम्पनियों के बारे में सभा में एक वक्तव्य देंगे परन्तु मंत्रिमण्डल का निर्णय पहले ही समाचार-पत्रों में छप चुका है, वित्त मंत्री को सभा की उपेक्षा करने की आदत है।

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह गलत है। मैं सभा की उपेक्षा नहीं कर सकता।

---

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded,

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE
### इण्डियन-रेअर अर्थस् लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, इण्डियन रेअर अर्थस् लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां, सभा-पटल पर रखती हूं : **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2143/67]**

### राष्ट्रीय ऋण परिषद सम्बन्धी सरकारी संकल्प

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं राष्ट्रीय ऋण परिषद् की स्थापना संबंधी सरकारी संकल्प की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2144/67]**

### प्रशुल्क आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र तथा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी का प्रतिवेदन

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951, की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) ऐंटिमोनी के उचित विक्रय मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1966)

(दो) दिनांक 5 दिसम्बर, 1967, का सरकारी संकल्प संख्या एफ० 3 (7) मेट/66

(तीन) उपरोक्त धारा में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ऊपर (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्र, सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण बताने वाला विवरण ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2145/67]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, भारत ऐल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के 27 नवम्बर, 1965 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा की गई समीक्षा ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2146/67]**

## प्रेस परिषद (दूसरा संशोधन) नियम

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : मैं प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965, की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रेस परिषद् (दूसरा संशोधन) नियम, 1967, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1789 में प्रकाशित हुयी थी। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-2147/67]

## व्यापार चिह्न पंजीयकरण के कार्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : मैं व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत व्यापार चिह्न पंजीकरण कार्यालय के 31 मार्च, 1967, को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2148/67]

**(अन्तर्बाधायें)** : **

**अध्यक्ष महोदय** : महाजन प्रतिवेदन का मामला इस समय नहीं उठाया जा सकता।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियमों के अनुसार पत्र 15 अथवा 20 दिन के अन्दर पटल पर रखे जाने चाहिये।

**डा० चन्ना रेड्डी** : इसके बारे में विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करना था और इसी कारण विलम्ब हो गया है।

## एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के वार्षिक प्रतिवेदन

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : मैं विमान निगम (एयर कारपोरेशन) अधिनियम, 1953, की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) एयर इण्डिया का वर्ष 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) इण्डियन एयरलाइन्स का वर्ष 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-2149/67]

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

**समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव)** : मैं श्रीमती फूलरेणु गुह की ओर से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1964-65 के प्रतिवेदन पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

सम्बन्ध में एक ज्ञापन सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-2150/67]

## आश्वासनों पर की गई कार्यवाही

**संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री** (**डा० राम सुभग सिंह**) : मैं श्री ई० कु० गुजराल की ओर से लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान, जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

| | |
|---|---|
| (एक) विवरण संख्या 1 | तीसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा) |
| (दो) अनुपूरक विवरण संख्या 8 | दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा) |
| (तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 7 | पहला सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा) |
| (चार) अनुपूरक विवरण संख्या 9 | सोलहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा) |
| (पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 15 | चौदहवां सत्र, 1966) (तीसरी लोक-सभा) |

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-2161/67]

## तिलहन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री** (**श्री अन्नासाहिब शिन्दे**) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2152/67]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1845 की एक प्रति, जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2153/67]

## अग्रे-संविदा (विनियम) अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा कच्ची रबड़ के मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अग्रे-संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4362 की एक प्रति, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2154/67]**

(2) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951, की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) कच्ची रबड़ के मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1967)

(दो) दिनांक 15 दिसम्बर, 1967, का सरकारी संकल्प संख्या 16 (5) प्लांट (बी)/67

(तीन) उपरोक्त धारा में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ऊपर (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्र सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण बताने वाला विवरण।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2155/67]**

## कोयना में आये भूकम्प के बारे में वक्तव्य

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : मैं कोयना में आये भूकम्प के बारे में एक अनुपूरक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2161/67]**

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
### कार्यवाही-सारांश

**श्री र० के० खाडिलकर** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति को चालू सत्र के दौरान हुई तेरहवीं से अठारहवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

## प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

**अठाहरवां प्रतिवेदन**

**श्री वेंकटासुब्बय्या** : मैं योजना आयोग—ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम—के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 55वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

## सामान्य बीमा सम्बन्धी वक्तव्य

STATEMENT RE: GENERAL INSURANCE

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):** I lay a statement regarding general insurance on the Table of the House. **[Placed in Library. See No.LT-2159/67].**

---

## पिछले रेलवे आयव्ययक के दौरान संसद् सदस्यों द्वारा उठायी गई बातों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE: ACTION TAKEN ON POINTS MADE BY MPs DURING LAST RAILWAY BUDGET

**रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष)** : मैं पिछले रेलवे आयव्ययक के दौरान संसद सदस्यों द्वारा कही गई बातों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2157/67]**

---

## मंगलौर पत्तन परियोजना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: MANGALORE HARBOUR PROJECT

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : मैं मंगलौर पत्तन परियोजना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2160/67]**

---

## बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 693 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : मैं 15 दिसम्बर, 1967 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 693 के उत्तर में शुद्धि के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2158/67]**

## संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति
## APPOINTMENT OF MEMBER TO JOINT COMMITTEE

**श्री खाडिलकर** (खेड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चौधरी रणधीर सिंह को, भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री के० हनुमन्थैया के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, नियुक्त किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि चौधरी रणधीर सिंह को, भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री के० हनुमन्थैया के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, नियुक्त किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

---

## अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव
## MOTION RE : INTERNATIONAL SITUATION

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये ।"

आज की विश्व की स्थिति लगभग हमारे देश की स्थिति के समान है । यह स्थिति आशा तथा निराशा का मिश्रण है । एक ओर तो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शान्ति तथा आर्थिक उन्नति की ओर प्रयत्न किये जा रहे हैं तो दूसरी ओर तनाव के केन्द्र हैं जो विश्व समुदाय में संघर्ष तथा विभाजन के कारण हैं ।

बर्मा, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं । हमने हाल ही में बर्मा के साथ सीमा समझौता किया है । मैंने श्रीलंका की यात्रा की है तथा वहां के गवर्नर जनरल ने भारत की यात्रा की है और इससे हमें पारस्परिक विचार विनिमय के अवसर मिले हैं ।

भारत तथा दूसरे विकासशील देशों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और तकनीकी सहायता का हमने एक छोटा सा कार्यक्रम बनाया हुआ है । किन्तु एशिया की आर्थिक प्रगति और सहयोग की दिशा में प्रयत्न तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि कुछ क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है । यही कारण है कि शुरू से ही हम यह प्रयत्न करते रहे हैं कि शान्ति की समस्याओं में रुचि लें और जहां कहीं भी संघर्ष हो रहा हो, वहां शान्तिपूर्वक समझौता कराने का प्रयत्न करें ।

वियतनाम में चल रहे संघर्ष में हमारी रुचि बहुत अधिक है और हम आशा करते हैं कि वहां बमबारी रोक दी जायेगी ताकि युद्ध की बजाय समझौता वार्ता करने का अवसर मिल सके। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सभापतित्व की जिम्मेवारी हम अभी तक इस आशा में निभा रहे हैं कि अन्त में वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का कोई मार्ग शायद ढूंढ़ निकाले। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के कर्मचारियों ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना कर्त्तव्य पूरा किया है।

कम्बांडिया तथा लाओस को बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना है। वे दबाव तथा कठिनाइयों के होते हुए भी तटस्थ बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। हमने हाल ही में लाओस के नरेश का स्वागत किया है जिससे हमें उनको यह बताने का अवसर मिला है कि हमारी आकांक्षायें तथा आदर्श समान हैं। फिजी के मुख्य मंत्री ने भी हमारे देश की यात्रा की है। हमने वहां के शान्तिपूर्ण और संतुलित विकास में सहयोग देने में अपनी रुचि का आश्वासन दिया है। मोरिशस के प्रधान मंत्री, सर रामगुलाम की यात्रा से हमें वहां के लोगों के साथ अपने पुराने सम्बन्ध नये करने का अवसर मिला है।

हमारा देश तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड एक दूसरे को अधिक भली भांति समझने लगे हैं। हमारा भौगोलिक क्षेत्र एक ही है और कई तरह से हमारे हित एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। हमारा मन आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री सर हेर्लड होल्ट की दुखद मृत्यु के कारण दुखी हैं। हमें आस्ट्रेलिया के लोगों के साथ सहानुभूति है।

ब्रिटेन ने हमें जिन शर्तों पर ऋण दिया है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, कनाडा के साथ भी हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ हो रहे हैं। कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में और बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर एक साथ हम काम कर रहे हैं।

हमने सुरक्षा परिषद में एक ऐसा संकल्प तैयार करने के लिये बहुत प्रयत्न किये हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ मध्यस्थ को पश्चिम एशिया क्षेत्र में सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने का आधार प्राप्त हो सके। हमने इस संकल्प का स्वागत किया है। हम मध्यस्थ को उनके इस कठिन काम के लिये, जो उन्होंने अपने हाथ में लिया है, शुभ कामनायें भेंट करते हैं, हम दक्षिणी यमन के स्वतन्त्र गणराज्य की स्थापना का भी स्वागत करते हैं।

अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के देशों के साथ भी हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। विश्व के बारे में हमारे समान दृष्टिकोण हैं। हमारा किसी भी पश्चिमी अथवा पूर्वी यूरोपीय देश के साथ विवाद नहीं है। दोनों भूभागों ने हमारे आर्थिक विकास में कई भिन्न-भिन्न तरीकों से योगदान दिया है परन्तु यूरोप के अधिक उन्नत देश हमें अपने साथ व्यापार करने योग्य बनाने के लिये बहुत कुछ कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारे आर्थिक सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ आधार पर बन सकते हैं।

पश्चिमी जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा से भी हमें एक दूसरे की समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझने में बहुत सहायता मिली है तथा जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ और गहरे आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सहयोग की नींव डाल दी गई है।

अमरीका तथा रूस के साथ हमारा आर्थिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कामों के बड़े क्षेत्र में सहयोग बढ़ता जा रहा है। हम उनके द्वारा दी जा रही मित्रतापूर्ण सहायता और अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के हमारे प्रयत्नों में उनकी आस्था की प्रशंसा करते हैं।

इन देशों के साथ हमारे बढ़ रहे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के होते हुए भी यह दुख की बात है कि हमारे दो पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में हमारी स्थिति अभी तक असंतोषजनक है। चीन का हमारे प्रति शत्रुता का रवैया बना हुआ है। वह कभी भी हमारी निन्दा करने और भारत सरकार तथा हमारी समूची लोकतन्त्रीय प्रणाली तथा राष्ट्रीय अखण्डता के विरुद्ध प्रचार करने के अवसर को हाथ से जाने नहीं देता। हमारे चीन के लोगों के प्रति कोई बुरे इरादे नहीं हैं और हमें आशा है कि एक दिन वह अनुभव करेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के हित में हममें मित्रता होनी चाहिये, हमें विश्वास है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से दोनों की शक्ति बढ़ेगी और जनता का जीवन स्तर ऊंचा होगा। इसीलिये हमने ताशकन्द घोषणा का स्वागत किया है और कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी ओर से इस घोषणा को क्रियान्वित करने का प्रत्येक सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने सम्बन्धी अपने प्रयत्नों में हमने कोई ढील नहीं की है। इसलिये, परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने की आंशिक अथवा भेदपूर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ शंकायें होते हुए भी हमारा विश्वास है कि इस प्रकार की अभूतपूर्व शक्ति के स्रोत का विनाशकारी कामों के लिये नहीं बल्कि शान्तिपूर्ण कामों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्बन्धी आयोग के दूसरे सम्मेलन का उल्लेख करना चाहती हूं। यह सम्मेलन शीघ्र ही दिल्ली में हो रहा है। हम सभी विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के बीच बढ़ती हुई असमानता के प्रति सजग हैं। सम्मेलन में विकासशील देशों की आर्थिक उन्नति के लिये तथा अधिक संसाधन जुटाने के लिये प्रयास किया जायेगा। विकासशील देश सहायता की मांग नहीं कर रहे हैं। वे व्यापार करने के अवसर की मांग करते हैं। अतः हमें अल्पविकसित देशों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिये।

विदेश नीति निर्धारित करते समय राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय हितों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही हमें दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, कुछ स्थानीय अथवा किसी क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों में कभी कुछ परिवर्तन हो सकता है और इन परिवर्तनों के कारण हमें नया कार्यक्रम आरम्भ करना पड़ सकता है। हम नई स्थिति के अनुसार समायोजन कर सकते हैं तथापि हमें आधारभूत सिद्धान्तों से दूर नहीं होना चाहिए तथा ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे देश बदनाम हो, हमें अपने आपमें विश्वास होना चाहिए तथा अपनी विचारधारा तथा कामों को इस प्रकार बनाना चाहिये कि वे देश के दीर्घकालीन हित में सिद्ध हो सकें।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अब संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे।

**श्री बे० कृ० दास चौधरी** (कूच बिहार) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री मी० रु० मसानी** (राजकोट) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री सेक्वीरा** (गोवा, दमन तथा दीव) : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री महाराज सिंह भारती** (मेरठ) : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री स० कुण्डू** (बालासौर) : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री मी० रु० मसानी** : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री श्रीचन्द गोयल** (चंडीगढ़) : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री शिव कुमार शास्त्री** (अलीगढ़) : मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री शिव चन्द्र झा** (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर) : मैं संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री मी० रु० मसानी** : प्रधान मंत्री के भाषण से पता लगता है कि वह ब्रिटिश हाउस आफ लार्ड्स का अनुकरण कर रही हैं जिसके बारे में एक कवि ने कहा कि हाउस आफ लार्ड्स बिल्कुल कुछ नहीं करता परन्तु फिर भी बहुत अच्छा कार्य करता है । प्रधान-मंत्री के भाषण में सामान्य बातों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ।

मैं कुछ उन घटनाओं की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं जो गत कुछ मास में घटीं तथा हमारी चिन्ता का कारण बनी हुई हैं । घटनाओं से मालूम होता है कि हमारी सरकार का सुझाव रूस की ओर है यद्यपि वह तटस्थता की नीति का दावा करती है । प्रधान मंत्री को सोवियत युवक अजीज औलग जादे से मिलना चाहिये जिसने कि रूस जाने से इन्कार कर दिया है । सम्पूर्ण सभ्य विश्व में राजनैतिक शरण का अधिकार है तथा हमें इस अधिकार का आदर करना चाहिये ।

इस देश में हो रही कुछ विशिष्ट बातों में से नवीनतम तथा अधिक स्पष्ट कार्य नोवोस्ती के साथ करार है । हमारी सरकार ने इस देश में सोवियत समाचार प्रचार को प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं उठा रखी । सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के एक अवर सचिव ने 16 सितम्बर को इस करार पर हस्ताक्षर किये तथा इसे गुप्त रखा गया । "हिन्दुस्तान टाइम्स" के एक उद्यमी संवाददाता ने 30 नवम्बर को यह रहस्योद्घाटन किया । अन्य रूसी एजेंसियों की भांति नोवोस्ती ने इस देश तथा अन्य देशों में जासूसी के काम किये हैं । नोवोस्ती उस 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस' की स्थापना करने वालों में से है जो भारत के कुछ बड़े राजनैतिक नेताओं के विरुद्ध प्रचार करता आ रहा है । प्रधानमंत्री बतायें कि यह समझौता करने का अधिकार किसको और कब दिया गया था ? वह व्यक्ति कौन है जिसने सरकार की अनुमति के बिना उस अधिकारी को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये उकसाया । प्रधान मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिये कि समझौता किन परिस्थितियों में किया गया है । 'वायस आफ अमरीका' के साथ किये गये समझौते की तरह इसे भी रद्द कर दिया जाना चाहिये ।

अब मैं ब्रिटेन में नियुक्त किये गये उच्चायुक्त के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री एस० एस० धवन की यह नियुक्ति सरकार का एक और सन्देहास्पद नाम है। प्रधान मंत्री ने सभा में 29 नवम्बर को यह कहा था कि श्री धवन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान, जबकि सभी लोग उत्तेजित थे, भावावेश में आकर ब्रिटेन के विरुद्ध तब कुछ कहा था जब ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था। इससे मालूम होता है कि प्रधान मंत्री को तथ्यों का पता नहीं है। वास्तविकता यह है कि वह पिछले कुछ वर्षों में लगातार साम्यवादियों के सहयोगी रहे हैं। उन्होंने 'सञ्जय' के नाम से जो लेख लिखे हैं, उनसे मालूम होता है कि वह कभी भी ब्रिटेन पर आक्षेप करने से नहीं चूकते। ऐसे व्यक्ति को उस देश में नहीं भेजा जाना चाहिये था। मालूम नहीं इस नियुक्ति की प्रधान मंत्री को किसने सलाह दी है।

प्रधान मंत्री के लिये गत अक्तूबर में मास्को जाना ठीक नहीं था। हमने कह दिया था कि वहां पर हो रहे समारोह में लोकतन्त्र विरोधी प्रचार होने के कारण उनकी यात्रा का गलत अर्थ लगाया जायेगा। यह बात ठीक सिद्ध हुई क्योंकि 'डेली टेलीग्राफ' ने लिखा है कि वह लोकतन्त्री विश्व की एकमात्र प्रतिनिधि थीं। उन्होंने वहां जाकर क्या अपने देश के आदर में वृद्धि की है ? रूस की हमारे देश सम्बन्धी नीति में 1965 के पश्चात् एक निश्चित परिवर्तन आ गया है। चीन तथा पाकिस्तान के बीच मित्रता के कारण रूस हमारे साथ अपनी मैत्री से विमुख हो गया है तथा भारत-पकिस्तान संघर्ष के दौरान उसका रवैया दोनों देशों के प्रति समान था। इसी प्रकार चीनी तानाशाही के दबाव में आकर अब सोवियत संघ स्टालिन के समय की अन्तर्राष्ट्रीय विपलव-कारी नीतियों का आश्रय ले रहा है। इस बदलते हुए रूसी रवैये का प्रमाण हमारे देश के दो साम्यवादी दलों की बदली हुई नीति से मिल जायेगा। वे मास्को तथा पीकिंग के दबाव के अनुसार काम कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों साम्यवादी दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने चाहिये तथा उन्हें हमारे लोकतन्त्र का लाभ नहीं उठाने दिया जाना चाहिये।

**श्री संत बक्स सिंह** (फतहपुर) : श्री मसानी द्वारा कही गई यह बात ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन हुए हैं और हमें अपनी नीति निर्धारित करते समय उन परिवर्तनों पर विचार करना होगा, स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा तथा एक दृष्टिकोण अपनाना होगा क्योंकि हमारी नीति अपनी जनता की आकांक्षाओं तथा विचारधारा को न भूलते हुए राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्धारित करनी होगी। परिवर्तित विश्व में हमें अपने पड़ोसियों पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। हमें उनका साथ देना होगा।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जापान के साथ अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होने चाहिये। परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा करना हमारे हित में नहीं होगा। जापान ने एशिया में एक बड़ा राष्ट्र बनने की और सुरक्षा परिषद् में स्थान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। उसने नौवहन के क्षेत्र में हमारे साथ स्पर्धा की है तथा उसकी आंखें दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजार पर लगी हुई हैं।

श्री सोन्धी ने इस बात पर बल दिया है कि हमें फ्रांस के साथ मैत्री बढ़ानी चाहिये। यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दो देश अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और वे देश

हैं फ्रांस तथा भारत। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि हम किस हद तक तथा किन तरीकों से फ्रांस के साथ एक ही दिशा में चल सकते हैं।

मेरे विचार में इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकासशील तथा विकसित देशों के साथ आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के मामले पर विचार किया जाये क्योंकि सभी बचनों के बावजूद कोई भी देश हमें उस हद तक सहायता देने के लिये तैयार है जिस तक कि उनको इससे लाभ होता हो। कोई देश दूसरे को अपने से अधिक प्यार नहीं करता। भारत की अधिकांश विदेशी नीति देश के अन्दर ही आर्थिक तथा राजनैतिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करनी होगी।

**श्री म० ला० सोंधी** (नई दिल्ली) : सेना सम्बन्धी नीति तथा विदेशी नीति में उचित समन्वय नहीं है, हमारे देश की नीति निर्धारित करने वाले हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपेक्षित चिन्ता नहीं दिखा रहे हैं। विदेशी मामलों के प्रशासन को देखकर मालूम होता है कि पर्याप्त नीति निर्देश नहीं दिये गये हैं।

प्रधान मंत्री राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता की बात करती हैं परन्तु हम देखते हैं कि हम सभी से भीख मांग रहे हैं। हमारे विचार भी ऐसे ही हो गये हैं और हमारी आर्थिक सहायता भी इसी रूप में है। हम पुरानी नीतियों का ही अनुसरण कर रहे हैं और समय के साथ नहीं बदल रहे हैं।

हम यह भूल गये हैं कि हमारा वर्तमान रवैया ही चीन के लिये उपयुक्त है। चीन ने हमारे राज्यक्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है और हमें अब इस गतिरोध को शीघ्र दूर करना चाहिये। हमें राजनयिक स्तर पर पहल करनी चाहिये तथा चीन और रूस के झगड़े से लाभ उठाना चाहिये। आजकल इण्डोनेशिया, बर्मा तथा लंका चीन को एक दूसरे ही ढंग से देख रहे हैं। हमें इन देशों की राय को एक नीति के रूप में संगठित करना चाहिये।

तिब्बत के मामले में हमें सैनिक तैयारी की बजाय राजनैतिक तैयारी अधिक करनी चाहिये। दलाई लामा को गलत समझा जा रहा है। वह देश की उत्कृष्ट अकांक्षाओं से परिचित है तथा अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये उसने तिब्बत के लोगों के संकल्प के सम्बन्ध में हमें बताया है। इस मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। 1954 की सन्धि हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है और इसे हमें समाप्त कर देना चाहिये।

हमारे राजनयिकों के पेकिंग में अपमान के समय उन्हें जिन-जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिये। हमारी सरकार ने अभी इससे कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की है और हमारे राजनयिकों के परिवार अब भी वहां रह रहे हैं। चीनी उनके साथ फिर उसी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, और हम फिर उसी झमेले में पड़ सकते हैं। चीन के सम्बन्ध में जाच-पड़ताल करना तथा यह जानना सम्भव है कि वहां पर क्या हो रहा है। अमरीका वारसा

में चीन के साथ गुप्तवार्ता कर रहा है तथा अमरीका चीन के इरादों को हमसे अधिक जानता है। इसलिये, हमें चीन के साथ अपने राजनयिक सम्बन्धों में परिवर्तन करना चाहिये।

मास्को में हमारे प्रतिनिधि एक योग्य व्यक्ति हैं परन्तु उनके होते हुए भी उस देश के साथ हमारे सम्बन्धों में शिथिलता है। हम सोवियत संघ से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का स्वागत करते हैं परन्तु नोवोस्ती के साथ हुए करार का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसा करार हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। प्रधान मंत्री को चाहिये कि इस करार को समाप्त कर दें।

सोवियत साम्यवादी दल एक महान भारतीय श्री एम० एन० राय को मान्यता देने से इन्कार करती है। हाल ही में प्रधान मंत्री जब रूस में साम्यवादी दल की बैठक के सम्बन्ध में गई थीं तो उन्हें रूसी साम्यवादियों के साथ यह मामला उठाना चाहिये था।

सोवियत संघ कुछ देशों के साथ पुनः सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। उदाहरणार्थ रूस तथा तुर्की ने मिलकर यह कहने का प्रयत्न किया है कि साइप्रेस में ग्रीक तथा तुर्की दो राष्ट्रीय जातियां हैं। इस विचार से हम सहमत नहीं हैं। हमें साइप्रेस को एक मानकर इस विचार का समर्थन करना चाहिये। इसी प्रकार हमें काश्मीर के मामले पर रूसी दबाव का विरोध करना चाहिये था। हम जानते हैं कि रूस की विदेश नीति में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो उनके राष्ट्रीय हित में नहीं हैं। हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु यदि रूस यह चाहता है कि काश्मीर की वर्तमान व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर दिया जाये तथा कुछ अन्य प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाय तो हमें उनकी इस बात का विरोध करने का अधिकार है।

मालूम होता है कि कच्छ सम्बन्धी निर्णय भी हमारे विरुद्ध ही जायेगा। सरकार को अभी भी अपने तरीकों में सुधार कर लेना चाहिये। पखतूनिस्तान का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है। खान अब्दुल गफ्फार खां ने अपने एक पत्र में भारत को वह शपथ याद दिलाई है जो उसने पखतूनिस्तान को दी थी।

इसराइल का विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है परन्तु प्रधान मंत्री ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिति का प्रश्न है। अंग्रेज वहां से हट रहे हैं तथा अमरीका उनका स्थान ले रहा है।

भारतीय विदेश सेना ने प्रभावशाली परिवार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। नियुक्ति के मामले में अधिक योग्य लोगों को नहीं रखा जाता है।

हम सऊदी अरब के साथ पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार चाहते हैं। अरबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु कुछ स्वार्थी लोग वहां पर हमारे दूतावास का विस्तार नहीं होने देना चाहते। व्यापारिक सम्बन्धों के महत्व की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जद्दा में हमारा दूतावास केवल एक ही परिवार के लिये सुरक्षित है। वहां पर भाई भतीजावाद का बड़ा जोर है और कई वाणिज्यिक उपक्रमों में रिश्तेदारों की नियुक्ति की जा रही है। बड़े-बड़े राजनयिकों के

घरों में नवयुवकों लाकर उन्हें वहां एक अथवा दो वर्ष के लिये स्थानीय कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उनके लिये वाणिज्यिक फर्मों में काम तलाश किया जाता है। भाई भतीजावाद समाप्त करने के लिये स्थानीय नियुक्ति बन्द की जानी चाहिये।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के संगठन व्यवस्था में जातियां बहुत हैं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में एक नीति आयोजन विभाग स्थापित किया है। परन्तु नये विभाग खोला जाना ही काफी नहीं, उनके द्वारा किये गये काम का भी बराबर मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

यदि अन्य देशों के लोग भारत में राजनैतिक शरण लेना चाहें तो हमें उनका स्वागत करना चाहिये। हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिये तथा घटनाओं को नये ढ़ंग से समझना चाहिये। हमारी विदेश नीति में केवल आशायें तथा भय नहीं होना चाहिये। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में ठोस नेतृत्व हो ताकि अपने उपलब्ध साधनों का लाभ उठाया जा सके।

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** (जम्मू) : श्री म० ला० सोंधी ने तिब्बत के गड़े मुर्दे को उखाड़ा है तथा श्री एम० एन० राय का उल्लेख किया है। समझ में नहीं आता कि भारत को अब ऐसे मामले उठाने से क्या लाभ होगा।

मैं कुछ बातों को छोड़कर सरकार की नीति का समर्थन करता हूं। आज प्रधान मंत्री ने ताशकन्द घोषणा का उल्लेख किया है। खेद की बात है कि जब से इसपर हस्ताक्षर किये गये हैं, तबसे पाकिस्तान इसका उल्लंघन कर रहा है। यदि इसका यही परिणाम है तो अधिक अच्छा है कि हम इस मामले पर पुनः विचार करें। हम नहीं चाहते कि जम्मू तथा काश्मीर की हानि उठाकर हम पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करें।

ताशकन्द घोषणा तो केवल एक कागज का पुर्जा ही रह गई है। पाकिस्तान ने उस समझौते को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई है। पाकिस्तान की ओर से निरन्तर घुसपैठिये जम्मू तथा काश्मीर में आ रहे हैं और युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन हो रहा है।

काश्मीर समस्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 20 वर्ष पूर्व भारत ने संयुक्त राष्ट्र में काश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न उठाया था परन्तु अभी तक पाकिस्तान ने हमारे इलाके को खाली नहीं किया है। भारत ने अपनी ओर से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के संकल्पों का पालन किया है परन्तु पाकिस्तान को आज तक आक्रमणकारी घोषित नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर से संयुक्त राष्ट्र परेक्षकों को हटा दिया जाये। हमारी शिकायत की ओर संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान नहीं दिया है। हमें यह बात पाकिस्तान को स्पष्ट कर देनी चाहिये कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से किसी प्रकार बात नहीं हो सकती। हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिये। 1946 में भारत अन्य देशों का नेता माना जाता था परन्तु अब वह बात नहीं है। भारत का पहले वाला स्थान नहीं है। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

**श्री विश्वनाथन** (वंडीवाश) : विदेश मामलों के बारे में मैं निष्पक्ष नीति अपनाने का समर्थक हूं। हमारी सरकार दावा करती है कि हम तटस्थ नीति का अनुसरण कर रहे हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस नीति से पिछले 20 वर्षों में कोई लाभ हुआ है। आज हमारे देश के कई देश दुश्मन हैं। सरकार को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिये। इजराइल को मान्यता दी जानी चाहिये। किसी देश को प्रसन्न करने के लिये अन्य देशों को अप्रसन्न नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार जर्मन गणतन्त्र को भी मान्यता दी जानी चाहिये। आज हम यह स्वीकार करते हैं कि इजराईल एक देश है तो उसे राजनीतिक सहायता देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी साख बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं।

हमारे देश को इस क्षेत्र में सक्रिय हो जाना चाहिए।

अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हो गये हैं। वहां पर भी हमें अपनी नीति का अच्छी तरह प्रचार करके लाभ उठाना चाहिये। आज अफ्रीका में कोई नेता देश नहीं हैं। भारत को ऐसी स्थिति में आगे आकर कार्य करना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में परिवर्तन किया जाना बहुत आवश्यक है। अब सदस्य देशों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अफ्रीकी एशियाई देशों का अब संयुक्त राष्ट्र में बहुमत है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत का वहां पर काफी प्रभाव है ? भारत को अफ्रीकी-एशियाई सर्किल में अपनी स्थिति स्पष्ट करके जिम्मेदारी निभानी चाहिये।

वियतनाम के बारे में भारत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष है। हमें अपने पक्ष को अच्छी तरह से स्पष्ट करके वहां शान्ति स्थापना में सहायता करनी चाहिये। वस्तुस्थिति का निष्पक्ष अवलोकन करके अपनी नीति बनानी चाहिये।

पाकिस्तान और चीन हमारे पड़ोसी देश हैं। उनके साथ हमें अपने सम्बन्ध सुधारने हैं। हमें अपने पक्ष को स्पष्ट करना चाहिये और किसी प्रकार भी कमजोर नीति नहीं अपनानी चाहिये। तिब्बत के बारे में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिये। भूटान और सिक्कम के प्रति हमें अपने दायित्वों को ठीक तरह से निभाना चाहिये।

आजकल अन्य देशों जैसे बर्मा, लंका आदि से बड़ी संख्या में भारत मूलक लोग वापिस आ रहे हैं। इन लोगों की वहां पर की सम्पत्ति के बारे में सरकार को निर्णय कराना चाहिये। इस बारे में मद्रास के मुख्य मंत्री के सुझावों पर विचार होना चाहिये। हमारा विदेशों में प्रचार कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। विदेशी एजेन्सियों और विदेशी सरकारों को हमारे देश के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

**श्री विक्रम चन्द महाजन** (चम्बर) : आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत सरकार की नीति बिल्कुल ठीक है। प्रतिपक्ष वाले तो विरोध करने के लिये ही आलोचना करते हैं। हमारी विदेश नीति तटस्थता के आधार पर बनायी गयी है।

प्रधान मंत्री के रूस दौरे की बहुत आलोचना की गई है। मैं इसे बिल्कुल निराधार और अनावश्यक समझता हूं। हमारे रूस के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। उनकी क्रान्ति की पचासवीं वर्षगांठ पर प्रधान मंत्री का जाना बहुत उचित मालूम होता है। इस यात्रा से हमारे सम्बन्धों में और दृढ़ता आयी है। इसकी आलोचना करना निरर्थक मालूम होती है।

आज हमारे देश के विदेशी व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। यह हमारी विदेश नीति की सफलता का द्योतक है। यह तो अब सर्वविदित है कि यूरोप के देशों के साथ हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। ब्रिटेन में हमारे उच्चायुक्त की नियुक्ति की भी आलोचना की गई है। यह भी निराधार है। वह एक प्रतिभाशाली न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्हें साम्यवादी विचारों वाला कहना अनुचित है। वे एक सच्चे देश भक्त हैं।

एक दूतावास को बहुत प्रकार के काम करने होते हैं। चीन के साथ हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं हैं परन्तु हमें वहां अपना दूतावास बनाये रखना चाहिये। हमें उस देश की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। सम्बन्ध विच्छेद करने से हमारे देश को कोई लाभ नहीं होगा। चीन में अपने दूतावास को बनाये रखना हमारे देश के हित में है।

पश्चिमी एशिया के बारे में हमारी नीति देश के हित में है। हमारा इन देशों के साथ व्यापार बढ़ गया है। अब वे देश पाकिस्तान की अपेक्षा भारत के अधिक निकट हैं। इसलिये राजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिकोण से यही हमारे हित में है कि वर्तमान नीति का अनुसरण करें।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : प्रधान मंत्री ने अपने भाषण के आरंभ में तो कुछ स्पष्ट बातें कीं परन्तु बाद में बड़े अस्पष्ट ढंग से उन्होंने कई बातें कहीं हैं। आज पश्चिम एशिया और वियतनाम दो समस्याएं विश्व की चिन्ता का कारण बनी हुई हैं। इन समस्याओं में उलझे देशों के साथ हमारे राजनैतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध हैं। इसलिए हमें भी चिन्ता होना स्वाभाविक है। पश्चिमी एशिया में लड़ाई तो बन्द है परन्तु तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है क्योंकि इजराईल द्वारा आक्रमण करके हथियाई गई भूमि अभी भी उसी के पास है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश ने अरबों की सक्रिय रूप से सहायता नहीं कि है। इजराईल की कार्यवाही के कारण हमारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रधान मंत्री ने इसका उल्लेख नहीं किया है।

प्रधान मंत्री ने वियतनाम के बारे में भी दबी आवाज में कहा है कि लड़ाई बन्द होनी चाहिये। वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे ने हाल ही में अपनी सातवीं वर्षगांठ मनायी है। अब अमरीका भी महसूस कर रहा है कि शान्ति ही में भलाई है। 1965 के बाद बमबारी बड़े जोर से की जा रही थी, परन्तु वियतनाम के लोगों को हराया नहीं जा सकता। अमरीका को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ रही है। इस वर्ष अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अमरीका सरकार अपने देश के लोगों तथा सेना का मनोबल बनाये रखने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब तो कम्बोडिया और लाओस आदि के क्षेत्र में लड़ाई फैलाने का प्रयत्न किया जा

रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इस प्रकार लड़ाई को बढ़ते क्या हम देख सकते हैं? क्या हमारी सरकार अमरीका से डरती है? हमारी सरकार को अमरीका को आक्रमणकारी घोषित करना चाहिये। वर्तमान नीति से हम भारत को एक विश्व शक्ति नहीं बना सकते। आज अमरीका के लोग भी वियतनाम में लड़ाई के विरुद्ध होते जा रहे हैं। आज अमरीका के नीग्रो अपने अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं। हमें उनकी सहायता में आवाज उठानी चाहिए। आज हमारे देश के लोग अमरीका की वियतनाम नीति की खुले तौर से निन्दा कर रहे हैं। हनोई में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के एक कर्मचारी की भी अमरीकी बमबारी के कारण मृत्यु हो गई है। इजराईल ने गाजा की पट्टी में हमारे बहुत से जवानों को मार दिया है। इसके लिये अब वह बहाने ढूंढ रहा है। ऐसी घटनाओं को हम भूल नहीं सकते।

हमें पाकिस्तान के साथ उग्रवादी रवैया छोड़कर समझौते की बात करनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत प्रतिरक्षा व्यवस्था पर व्यय हो रहा है। इस बारे में पाकिस्तान भारत के बारे में बहुत गलत प्रचार कर रहा है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शान्ति चाहता है परन्तु भारत ही शान्ति के मार्ग में रोड़े अटका रहा है। कहा जा रहा है कि वे तो काश्मीर समस्या का समाधान चाहते हैं परन्तु भारत नहीं चाहता है। हमारी सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करके उनका प्रचार भी करना चाहिये।

चीन के बारे में हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हमें विश्व को बता देना चाहिये कि हम सभी समस्याओं का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति की हमें निन्दा करनी चाहिये। क्या उस देश को नई दिल्ली में होने वाले व्यापार सम्मेलन के लिए निमंत्रित किया जा रहा है? सरकार को जर्मन गणराज्य के साथ राजनैतिक सम्बन्ध बनाने चाहिए।

**Shri R. K. Sinha** (Faizabad): Our Government pursues a policy of neutral and non-aligned policy. This is in the best interest of our country. We want friendly relations with all the countries. Our communists friends change their policy according to the interests of foreign countries. We cannot have a settlement with Pakistan at the cost of Kashmir. We want to improve our relations with Pakistan, but we cannot sacrifice our interests. Pakistan and China are joining hands. We have to keep in mind this factor also. Pakistan is following a dual policy. She is getting help from China and U. S. A. She is getting help from Iran and Turkey. Imperialism thrives on divisive forces. Pakistan was created after dividing India. We have to take precaution in such situation. India has played vital role in international politics. India convened an Asian Conference for the freedom of Indonesia. The policy of non-alignment has stood the test of time. Pakistan wanted to unite all Muslim countries and this was designed against our country. This attempt has failed because of our association with President Nasser and with leaders of Malayaisia. Our policy is not to cause any harm to any country but at the same time we have to see that India's image remains bright. Our policy is based on certain principles.

**श्री प० राममूर्ति** (मदुरै) : मैं अपनी बात केवल एक ही विषय तक सीमित रखूंगा। यह सभी मानते हैं कि आज वियतनाम की समस्या सबसे जटिल समस्या बन गई है। अमरीका

वहां लड़ाई को बढ़ा रहा है। अब कम्बोडिया और लाओस को भी युद्ध में घसीटने की कोशिश हो रही है। हमारे स्वतन्त्र पार्टी के मित्र इस देश में अमरीका के एजेन्टों का कार्य कर रहे हैं।

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने यहां संसद् में कहा था कि जेनेवा सम्मेलन (1954) में एकत्र सभी देश स्वतन्त्र वियतनाम के लिये कोशिश करेंगे। परन्तु अमरीका ने वहां पर लड़ाई आरंभ कर दी है। उसने उत्तर और दक्षिण वियतनाम का प्रश्न खड़ा कर दिया है। आप जेनेवा समझौते को देखें। उसमें वियतनाम एक ही देश माना गया है। वियतनाम में चुनाव होने चाहिये थे परन्तु अमरीका ने वे चुनाव होने नहीं दिये। उसे भय था कि पूरे का पूरा वियतनाम राष्ट्रपति होचिमिन्ह के समर्थन में मत व्यक्त करेगा। अमरीका ने दक्षिण वियतनाम में अपनी कठपुतली सरकार थोप रखी है। यह उचित नहीं है।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का अध्यक्ष है। इसलिये इसकी विशेष जिम्मेदारी है। आयोग ने अपनी बहुत सी रिपोर्टों में कहा है कि दक्षिण वियतनाम की सरकार जेनेवा समझौते के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। भारत को अमरीका बमबारी बन्द करानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि सरकार अमरीका के दबाव में आकर कुछ ऐसी कार्यवाहियां कर रही है जो इसे नहीं करनी चाहिए। सरकार को अमरीकी प्रचार सम्बन्धी पत्रिकाओं की बिक्री बन्द करा देनी चाहिये। हमें गाड़ी डिब्बे तथा ट्रकों को दक्षिण वियतनाम को नहीं बेचना चाहिए। उत्तरी वियतनाम के साथ सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को अमरीका को वियतनाम में आक्रमणकारी घोषित करना चाहिये। यदि ऐसा किया जाये तो चीन से हमारे सभी विवाद शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाये जा सकते हैं।

**Shri Maharaj Singh Bharati** (Meerut): A country's foreign policy depends on the internal situation of that country. We had to import foodgrains from U. S. A. in huge quantities. It is because of this that we cannot utter a word against that country. We find that the gap between developed and underdeveloped countries is widening. The workers of this country get far less than the workers of developed countries.

Our country should accord recognition to all the countries which are friendly with us and which have not caused us any harm. East Germany and Israel are those countries. We should not act according to the wishes of others. Our own interest should be the sole consideration. We are a free nation today. We should not conduct our affairs at the instance of any big power. Formosa should be recognised and we should have our ambassador there. Similarly Outer Mongolia should be helped. Tibet should be helped in its effort to get freed from the Chinese grip.

We should manufacture atomic weapon for the defence of our country. We have big deposits of raw material. We should make maximum use of all this.

The Pakhtoonistan movement should be given all encouragement. The areas of Jammu and Kashmir which are under Pakistan should be liberated.

India's image abroad is not very bright to-day. Our policy has not been successful. We are sure of our enemies but we are not sure of our friends. Our economic condition is not

sound. We are going from country to country for aid. Our missions abroad are always trying to get more and more loans from other countries. We are not sure about the implementation of our plans.

We want to co-exist with all. How can that be? Different ideologies cannot co-exist. The capitalists should give up the exploitation of lower class people and the communist countries should do away with the dictatorial trends. There should be a socialistic approach to all problems. It is only then that co-existence can be achieved.

I feel that our Government's internal policy has utterly failed and its external policy has also badly failed. With these words I disapprove of this policy.

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and the Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):** Our policy in regard to Vietnam and West Asia has been made clear many a time and at so different places like the U. N. O. Our stand on these vital issues is the same as already announced.

Here in this House many points are raised by one party and replies to them are given by another party. It becomes easy for my party to reply thereafter. Shri Masani has raised some points but those have already been discussed here.

We are not aware that Russia has changed its policy in regard to Kashmir question. It has become a fashion to say this thing.

हमारा सदैव यह पक्ष रहा है कि न्याय का साथ दिया जाये । यह कहा गया है कि कुछ विषयों पर हम बहुत जोर देकर बोलते हैं जबकि कुछ विषयों के बारे में हम चुप रहते हैं । हम अपने देश के हित को ध्यान में रखकर काम करते हैं और यह चाहते हैं कि जिस बात से समस्याओं का समाधान हो सके वही बात की जाये ।

हमने इजराईल को मान्यता दी हुई है जिस प्रकार कि यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है । परन्तु जर्मन गणराज्य संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है । फारमोसा की स्थिति भी भिन्न है । जब बड़े देश चीन को मान्यता दे दी गई है तो एक छोटे से द्वीप की सरकार को इसके स्थान मान्यता नहीं दी जा सकती । हम केवल एक चीन को मान्यता देते हैं । यह ठीक है कि हमारे देश के बहुत से लोग फारमोसा जाते हैं । और हम उनको अनुमति भी देते हैं ।

हमारी विदेश नीति किसी प्रकार के सिद्धान्तों से बंधी हुई नहीं है । हम वास्तविक स्थिति का निरन्तर ध्यान रखते हैं । जब कभी कोई घटना होती है तो उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है और उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जाती है । हां कुछ मूल सिद्धान्तों का ध्यान अवश्य रखा जाता है । हमारी नीति न्याय और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों पर आधारित है । हमें अपनी नीति निर्धारित करते समय सभी पहलुओं पर विचार करना होता है ।

हम चीन और पाकिस्तान के साथ मित्रता चाहते हैं परन्तु हम देश के आत्म सम्मान को त्याग नहीं सकते । यह आवश्यक नहीं कि सरकार सभी बातों को बता नहीं सकती । हमें यहां पर होने वाली चर्चा से बहुत लाभ होता है ।

स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ पहले विदेशी मामलों पर एक समान सोचते थे । परन्तु अब उनमें कुछ अन्तर मालूम होता है । जैसे श्री मसानी ने सोवियत रूस की मित्रता पसन्द नहीं किया परन्तु श्री सोंधी ने रूस की मित्रता पर बल दिया है । काश्मीर समस्या के बारे में हमारे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा रहा है और हम इस बारे में किसी के दबाव में आने वाले भी नहीं हैं ।

मेरी विदेश यात्रा के दौरान मेरे कुछ वक्तव्यों की आलोचना की गई है । इस बारे में हमारा पक्ष अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है । अब उसे दुहराने से कोई लाभ नहीं है ।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बहुत से मामलों में पहल की है । सुरक्षा परिषद् में अफ्रीकी-एशियाई सदस्यों की संख्या भारत के प्रयत्नों के फलस्वरूप बढ़ी है । पश्चिमी एशिया में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ के भेजे जाने में भी भारत का बहुत योगदान है । कुछ माननीय सदस्यों ने मांग की है कि भारत को देशों का नेतृत्व लेना चाहिये । ऐसी बात करने से अन्य देशों में गलतफहमी हो सकती है । हम सभी देशों के आर्थिक और राजनैतिक रूप में सुदृढ़ बनने के इच्छुक हैं । हम किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । हम सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखते हैं ।

श्री सोंधी ने कहा है कि विदेश सेवा में भाई-भतीजावाद बहुत अधिक है । इस बारे में पहले भी जांच हो चुकी है । यदि कोई विशेष मामला मेरे ध्यान में लाया जाये तो जांच हो सकती है ।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### अठारहवां प्रतिवेदन

**Shri Ramavtar Shastri** : Sir, I beg to move :

"that this House agrees with the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 20th December, 1967."

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से जो 20 दिसम्बर, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

# साहिबी नदी योजना के बारे में संकल्प
## RESOLUTION RE . SAHIBI NADI SCHEME

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री गजराज सिंह द्वारा 8 दिसम्बर, 1967 को साहिबी नदी योजना क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेगी ।

"इस सभा की राय है कि हरियाणा के पिछड़े क्षेत्रों (रेवाड़ी तथा झज्जर तहसीलों) और राजस्थान के अलवर जिले में सिंचाई तथा पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा इस दृष्टि से कि दिल्ली राज्य का नजफगढ़ क्षेत्र लगातार बाढ़-ग्रस्त न हो और रेलवे लाइन (मीटर गेज) को क्षति न पहुंचे, साहिबी नदी योजना (बांध इत्यादि बनाना) को अविलम्ब कार्यान्वित करना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है और सरकार से अनुरोध करती है कि इसे शीघ्र पूरा किया जाये और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाये ।"

**Shri Gajraj Singh Rao** (Gurgaon) : Sir, top engineers have recognised the importance of this river.

[ **श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
**Shri Bal Raj Madhok in the Chair** ]

This river flows in a backward area. About 50 or 60 villages suffer every year due to flood in this river. It is a pity that no attention has been paid in this area. If a dam is constructed on this river the entire area along this river will become fertile land. If a dam is constructed, the railway line will be protected, the Delhi area will be saved from floods. The problem of drinking water of certain areas of Rohtak and Gurgaon districts would be solved.

This area was given step motherly treatment by the Britishers, because the people of this area fought against the Britisher in 1857. Now our national Government should make up the loss of this area.

The scheme in this regard should be implemented without delay. The experts have said that the scheme should be centrally sponsored. I hope that the House will approve of this Resolution.

**सभापति महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ :

**Shri Raghuvir Singh Shastri** (Bagpat) : The Rewari Tehsil and Jajjhar Tahsil of Rohtak districts are in dire need of water. The flood water in this area is a menace in this area for a few months. It is very essential that the water should be stored and distributed according to the needs of the people. Now if this scheme is implemented, the entire area will be devoloped and the floods will also be avoided. The Railway will also be protected. It was due to this river that a dispute arose between Delhi and Punjab a few years back. Had some arrangement have been made to control the flood water, it would have been beneficial to Delhi and to the people of that area.

I feel that top priority should be given to this scheme. It will go a long way in helping the people of the area.

**Shri Bhola Nath** (Alwar) : Rajasthan Government has formulated schemes in this regard many a time but the Central Government has not come forward with help. This river is

the cause of damage in Delhi, Haryana, Rajasthan and U. P. The implementation of the scheme of constructing dam on this river should not be delayed any more.

The water of this river spreads in vast areas and the crops in those areas are damaged. This can be avoided if dam is constructed. Some area has been a neglected area throughout. Dr. Rao is a technical man. I request that he should go through the report of Sri Kanwar Sen and implement it.

**Shri Sarjoo Pandey** (Ghazipur): Sir, I support this resolution. The difficulties of this area should be removed as soon as possible.

The backward areas of U. P. should also be paid due attention. Banda district is such area. I suggest that a survey should be conducted throughout the country of those areas where this type of schemes can bring relief.

**Shri Randhir Singh** (Rohtak): Sir, this river causes large scale damage in Rohtak and Gurgaon districts of Haryana and Alwar district of Rajasthan. Markanda river also is a source of trouble in Haryana

The Hon. Minister is well acquainted with our problems. He should take pains in solving our problems. If water is provided for irrigation, the food problem will be solved in no time. I support this resolution.

**Shri Onkar Lal Berwa:** I support the resolution of Shri Gajraj Singh. The flood water of this river causes large scale damage in Rajasthan also. Bharatpur area was flooded this year. It caused great loss. I request this Government to be practical. The schemes should be implemented without delay. The surplus water should be utilized for the benefit of farmers. It will boost our food production. This dam should be constructed forthwith.

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मेरे विचार में इसका क्षेत्र और नहीं बढ़ाया जाना चाहिये । हमें साहिबी नदी तक ही सीमित रहना चाहिये । इस नदी के कारण प्रत्येक वर्ष रोहतक में तथा कभी-कभी दिल्ली में भी बर्बादी होती है । साहिबी नदी के लिये नदी परियोजना पर अधिक व्यय नहीं होना चाहिये । अन्य परियोजनाओं की भांति इस परियोजना के कारण परिवार भी बेघर नहीं होंगे । इस परियोजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

मैं कई बार रेवाड़ी गया हूं और मैंने देखा है कि वहां पीने के जल की समस्या बहुत अधिक है । पानी की समस्या भी इस परियोजना से हल हो जायेगी । कई चोटी के इंजीनियरों ने भी इस परियोजना का अनुमोदन किया है । माननीय मंत्री को यह योजना स्वीकार करनी चाहिये ।

**Shri Maharaj Singh Bharati** (Meerut): Long ago when there were famines in India, the British had devised a scheme of digging a net work of canals in the country to save it from frequent famines. The Congress Government has failed to implement even that protective irrigation policy framed by the Britishers.

If proper irrigation facilities are provided, Haryana and Rajasthan can produce ample cotton and oil seeds for the country. It is hoped that the Governmet will not make any delay in executing this small project.

**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : मुझे यह बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने सबसे पहले इस परियोजना के निर्माण की बात सोची थी। साहिबी नदी बहुत छोटी है परन्तु इस क्षेत्र में कभी-कभी 8 इंच वर्षा होती है और कभी-कभी 40 इंच तक होती है। इसलिये प्रत्येक वर्ष नदी के बहाव में बहुत अन्तर आ जाता है। जिन वर्षों में नदी में जल बहुत अधिक मात्रा में आता है तब उससे दिल्ली तथा हरियाणा में बहुत विनाश होता है। इसलिये हरियाणा के क्षेत्र में क्षारिता के नियंत्रण और बाढ़ को देखते हुए तथा नदी पर नियंत्रण के महत्व को देखते हुए हमने हाल ही में एक योजना बनाई है। आरम्भ में हरियाणा सरकार तथा दिल्ली के बीच इस परियोजना का खर्च वहन करने के बारे में कोई समझौता न होने के कारण कुछ कठिनाई हुई। तथापि कुछ मास पूर्व हमने यह करार किया है कि बाढ़ नियंत्रण के बारे में इस परियोजना पर खर्च समान रूप से वहन किया जायेगा तथा सिंचाई परियोजना की लागत हरियाणा तथा राजस्थान सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी क्योंकि हरियाणा को इस परियोजना से लाभ अधिक होगा।

इस परियोजना पर दो करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों से योजनाएं बनाने के लिये कहा है और ये योजनाएं प्राप्त होते ही उन पर आगे विचार किया जायेगा और परियोजना को आरम्भ कर दिया जायेगा।

यह एक मध्यम दर्जे की योजना है जिसके खर्च का भार राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पर है। इसलिये इस परियोजना के लिये धन की व्यवस्था करना इन पक्षों के लिये कठिन नहीं होगा। इसलिये मैं श्री गजराज सिंह राव द्वारा प्रस्तुत संकल्प को स्वीकार करता हूं।

**Shri Gajraj Singh Rao** (Mahendragarh): I am grateful to the entire House. We have been encouraged by this step and we hope that there will be sufficient increase in the production of vegetables and foodgrains after completion of this Project.

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि हरियाणा के पिछड़े क्षेत्रों (रेवाड़ी तथा झज्जर तहसीलों) और राजस्थान के अलवर जिले में सिंचाई तथा पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा इस दृष्टि से कि दिल्ली राज्य का नजफगढ़ क्षेत्र लगातार बाढ़-ग्रस्त न हो और रेलवे लाइन (मीटर गेज) को क्षति न पहुंचे, साहिबी नदी योजना (बांध इत्यादि बनाना) को अविलम्ब कार्यान्वित करना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है और सरकार से अनुरोध करती है कि इसे शीघ्र पूरा किया जाये और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाये।"

**संकल्प स्वीकृत हुआ**

**The Resolution was adopted**

# बीड़ी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड के बारे में संकल्प
# RESOLUTION RE: WAGE BOARD FOR BIDI INDUSTRY

**Shri Ram Singh Ayarwal** (Sagar): I move:

"This House is of opinion that Wage Board be set up to look into the conditions of service and wage structure of the workers employed in Bidi Industry."

[ श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुईं
**Shrimati Lakshmikanthamma in the Chair** ]

In this connection it may be stated that about 50 lakh people are working in Bidi Industry. But it appears that no rules have been framed in order to make any improvement in the service conditions of the employees working in Bidi Industry right from its inception. It is observed that a bidi worker gets a very small wage, which is quite insufficient to make both ends meet. His weekly net income is Rs. 8.20 paise which means that he earns only Re. 1.70 P. daily. It is very difficult for him to support his family with this meagre income. Thus the plight of the bidi worker is miserable. It is also observed that even children and women of bidi workers work in this industry. As a result thereof these children are not in a position to go to school and get education. In these circumstances it is ridiculous to talk of compulsory education.

It may also he stated that contractors harass the poor bidi workers unnecessarily. They reject their products on the plea that standard of their bidis is not upto the mark. The cost of such bidis is deducted from the wages of these poor workers. On one hand these poor worker find it difficult to make both ends meet but on the other hand Bidi Industrialists make huge profits. In order to remove this wide economic disparity Government should set up a Wage Board which should go into the wage structure of bidi workers. The Wage Board should keep in view the price rise in various commodities. If we follow the principle of nationalise the labour, labourise the industry and industrialise the nation, it will benefit all concerned. I hope that the suggestion of setting up a Wage Board for bidi workers will be accepted.

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों की सेवा की शर्तों और मजूरी के ढांचे की जांच करने के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाये ।"

इस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन भी हैं

**Shri Hukam Chand Kachhwai** (Ujjain): I move my amendment to the resolution. In fact lakhs of workers are engaged in Bidi Industry. They get very meagre amount in the forms of wages and they find it very difficult to make both ends meet especially in these hard days. There have been several instances in which workers are harassed by the contractors. They reject even good bidis prepared by the workers and deduct the cost of these bidis from the wages of the workers. It is therefore desirable that Government should take some measures to ensure that no injustice is done to them.

I suggest that contract system should be abolished and the workers should be entitled for bonus, provident fund, leave and medical facilities. At present the rate of wages differ from State to State and they are not entitled for any dearness allowance. Moreover at present these bidi workers prepare bidis at their homes. As a result thereof even children get into this industry

and consequently they do not get education. It is, therefore, suggested that big sheds should be constructed to enable the workers to work at one place.

In view of these circumstances I suggest that a committee should be set up to inquire into the condition of workers and suggest ways to improve their lot.

**श्री श्रीनिवास मिश्र** (कटक) : उड़ीसा की राज्य सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि बीड़ी मजदूर को 0.62 पैसे से लेकर अधिकतम 1 रुपया 12 पैसे मजूरी मिलती है। समस्त देश में यह मजूरी निम्नतम है। इस क्षेत्र में उपभोक्ता सूचकांक सबसे अधिक है। बीड़ी के पत्ते तोड़ने वालों की स्थिति और भी खराब है। प्रातः से संध्या तक सारा दिन काम करने पर उन्हें 50 पैसे मिलते हैं। ये लोग भिन्न देहातों में पड़े है और इसलिये वे कोई संघ भी नहीं बना सकते। वे अपने अधिकारों के लिये लड़ भी नहीं सकते। एजेन्ट लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। उन्हें समय पर मजूरी नहीं दी जाती। उन्हें किसी भी समय काम से हटाया जा सकता है। उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। बीड़ी मजदूरों के लिये जो मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाये उसे पत्ते तोड़ने वाले मजदूरों की भी सेवा शर्तों की जांच करनी चाहिए क्योंकि पत्ते तोड़ने वाले मजदूरों की स्थिति बीड़ी बनाने वाले मजदूरों से भी खराब है।

**Shri Nathu Ram Ahirwar** (Tikamgarh) : It has been stated that the present Government of Madhya Pradesh have introduced certain improvements in this industry. It should be remembered that it was Congress Government which had nationalised the industry engaged in plucking the leaves required for bidis. Now private contractors cannot exploit the workers. In my opinion the difficulties being faced by the workers would not be removed by constructing sheds for them. Preparation of Bidis is a side work for most of the workers. It is not their whole time job. Moreover women prepare bidis at their homes. In view of this it is difficult for the workers to work at one place.

The workers have to suffer huge loss because of rejection of bidis by the contractors. They get meagre wage and even out of that meagre wage cost of these rejected bidis is deducted. I agree with the suggestion that a Wage Board for the bidi workers should be set up because at present the wage of a bidi worker differs from State to State. The Wage Board should fix a uniform wage for the bidi workers throughout the country.

With these words I support the Resolution.

**श्री म० अमरसे** (बनस्कंठा) : सदस्यों ने बीड़ी कर्मचारियों की बुरी दशा की ओर ध्यान दिलाया है। यह तो सभी जानते हैं कि बीड़ी कर्मचारियों के वेतन में बहुत भिन्नता है और उनको कोई संरक्षण नहीं मिला हुआ है, उनकी स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब ऐसी विधि बनाई जाये कि बीड़ियों का एक ही स्थान पर बनाया जाना अनिवार्य कर दिया जाये ताकि कर्मचारी सामूहिक रूप से लाभ उठा सकें तथा उनके साथ सद्व्यवहार हो सके और अनाचार दूर किये जा सकें। अब बीड़ी कर्मचारियों के लिए इकट्ठे होकर बीड़ी संघ बनाना भी असम्भव हो गया है। एक विधि द्वारा इस बड़े उद्योग को उद्योग के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और इस उद्योग पर कारखाना अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।

**Shri Jageshwar Yadav** (Banda) : The Bidi industries are located in the hill areas. A Wage Board should be set up to look into the conditions of service and wage structure of Bidi Workers.

**Shri Ram Charan** (Khurja) : The pay scales of Bidi workers should be fixed and their interests should be safeguarded. A scheme of compulsory insurance of the Bidi workers should be introduced. Half of the insurance charges should be borne by the Government and half should be borne by the employers.

**Shri K. N. Pandey** (Padrauna) : I support the underlying principles of this resolution but there are certain practical difficulties regarding setting up of a Wage Board for them. It is very difficult to locate the employers and therefore the recommendations of the Wage Board will remain unimplemented.

The proposal to have sheds for the workers is good but how will the workers be forced to work there since they may like to prepare Bidis in their homes.

There is a huge disparity in the wages of Bidi workers. They have to work for long hours. Their working conditions are deplorable. A committee to examine the condition of Bidi workers and to suggest the steps for their improvement should be set up. A Bill can be brought forward thereafter.

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi)** : I am happy that some Hon. Members have raised the question of Bidi workers. There is no doubt that their condition is deplorable. The question of their wages has also to be examined. They have no organised union. Therefore, there is nobody to represent them on a Wage Board.

The difficulty in the matter of having sheds for Bidi workers is that a number of women and children are engaged in the work of manufacturing Bidis. They will not like to go to sheds.

All the States have not enforced the provisions of Bidi and Cigar Workers Act. We are to have a conference of Labour Ministers in Hyderabad soon. This matter will also come up for discussion at that conference.

The problems of Bidi workers cannot be solved merely by a Wage Board. The Wage Board is not a statutory authority. The Government will have powers to implement the recommendations only if the Board could be made a statutory authority. We have appointed a committee to find out whether the Board will be a statutory authority or not.

On account of rejection of bidis, certain malpractices and contract system, the Bidi workers have to experience difficulties. The Government are already considering the question of parity between the various regions for the purpose of fixation of wages. The workers will get leave and medical facilities on implementation of the provisions of Bidi and Cigar Workers Act. The Bonus Act will also apply to them.

**Shri Ram Singh Ayarwal** : The point raised by Shri Nathu Ram that most of the workers manufacturing bidis were carrying it on as a side business, is not correct. A large number of workers are wholly engaged in this profession. The bidi workers can be represented on the Wage Board through labour leaders. The condition of bidi workers should be enquired by a committee to be appointed for the purpose.

The dwelling houses of the workers should be recognised as industrial premises. An arrangement should be made whereby the wages of the workers can be increased in proportion to the rise in the cost of living index.

**Shri Hukam Chand Kachhwai :** In view of the assurances given by the Minister, I beg leave to withdraw my amendment.

**संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया**

**The Amendment was, by leave withdrawn**

**संकल्प, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया**

**The Resolution was, by leave, withdrawn**

---

## भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में संकल्प

## RESOLUTION Re: DEFENCE NEEDS OF INDIA

**श्री रणजीत सिंह** (खलीलाबाद) : मै प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और निश्चित अवधि के अन्तर से उसकी प्रतिरक्षा तैयारियों की जांच करते रहने तथा देश के सीमान्तों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु मार्गोपायों का सुझाव देने के लिए प्रतिरक्षा सम्बन्धी एक स्थायी संसदीय समिति नियुक्त की जाए।"

मैंने यह संकल्प केवल सरकार की आलोचना के लिए ही नहीं किया है। भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की समस्याओं का अध्ययन करने तथा प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में उनकी तैयारियों पर निगरानी रखने तथा सरकार को मार्गोपाय सुझाने के लिए एक स्थायी संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए ताकि देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार की समिति की आवश्यकता हमारे देश जैसे लोकतन्त्रीय ढांचे में सशस्त्र सेवाओं के काम के पिछले अनुभव से उत्पन्न होती है। हमें इस बात पर विचार करना है कि हम अपने सीमित संसाधनों तथा लोकतन्त्रीय ढांचे के अन्तर्गत अपनी सशस्त्र सेनाओं में कहां तक सुधार कर सकते हैं।

हमारी मनोवृत्ति इस प्रकार बन गई है कि जब भी कोई व्यक्ति अधिक अच्छी प्रतिरक्षा की बात उठाता है तो उसे युद्ध-प्रिय का नाम दिया जाता है। प्रतिरक्षा का मामला एक बहुत ही तकनीकी मामला है। इसमें केवल राजनीति ही शामिल नहीं है। यह अत्यावश्यक है कि प्रतिरक्षा का मामला सम्भालने वाले व्यक्ति को प्रतिरक्षा के आधारभूत सिद्धान्तों की जानकारी हो अथवा उसे देश की प्रतिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से चिन्ता हो। सौभाग्य से हमारे देश में ऐसे व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि भारत जैसे देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था किस प्रकार हो।

कई बार शान्ति बनाये रखने की प्रबल इच्छा के कारण हमारे प्रतिरक्षा मंत्री अथवा सरकार या अन्य मंत्री इस भ्रम में पड़ सकते हैं कि देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। कई बार प्रतिरक्षा मंत्री को अधिकारी गलत सूचना देते हैं। एमरजेंसी कमिशन अफसरों के बारे में

भी अधिकारियों ने उन्हें गलत राय दी। उन्होंने कहा कि हम सेना में युवक रखना चाहते हैं। इसलिये इनको नहीं रखा जा सकता। परन्तु इसके साथ ही 600 सैनिक अधिकारियों की, जो सेवानिवृत होने वाले थे, सेवा की अवधि दो वर्ष बढ़ा दी गई।

मैंने यह नहीं कहा है कि इस समिति के सभी सदस्य विरोधी दलों के हों। सरकार चाहे तो केवल कांग्रेस दल के सदस्यों की ही समिति बना ली जाए। इस समिति के होने से इस प्रकार की गलतियां नहीं होंगी जो कि पहले की जाती रही हैं।

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair ]

## भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के बारे में**
## Re. EX-I. N. A. PERSONNEL

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : स्वतन्त्र भारत की सरकार ने आजाद हिन्द फौज के 26,000 वीर व्यक्तियों के साथ भारी धोखा किया है। विश्व में कहीं भी किसी भी काल में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जबकि देश की राष्ट्रीय सरकार ने स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया हो। देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति में आजाद हिन्द फौज के योगदान को मान्यता प्रदान करनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार के अधीन भारतीय सेवा की तत्कालीन सरकार के प्रति वफादारी को समाप्त करना गांधीवादी आन्दोलन के वश में नहीं था। नेताजी और आजाद हिन्द फौज ने ही भारतीय सेना के विदेशी शासकों में विश्वास को हिला दिया। कराची और बम्बई में नौसेना ने विद्रोह करके और दिल्ली, कलकत्ता तथा डमडम आदि दूसरे स्थानों पर वायु सेना तथा स्थल सेना ने सामान्य हड़ताल करके समर्थन किया। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि 1857 के गदर की पुनरावृत्ति होने वाली है तो उन्होंने भारत छोड़ने का निर्णय किया।

यदि नेताजी भारत वापिस आ गये होते तो आजाद हिन्द फौज के वीर सैनिक ही स्वतन्त्र भारत की मुख्य सेना का निर्माण करते। परन्तु स्वतन्त्र भारत की सरकार ने उनका तिरस्कार किया तथा उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। यहां तक कि उन्हें सैनिक अपराधियों की संज्ञा दी गई।

28,000 भारतीय आजाद हिन्द फौज में शामिल हुए और 26,000 ने मातृभूमि के लिये अपना रक्त बहाया, आजाद हिन्द फौज के करनल अब्दुल मलिक ने भारतीय भूमि पर मोइरंग में स्वतन्त्रता की पताका सबसे पहले फहराई थी। उन्होंने यहां केवल 150 रुपये प्रति मास की नौकरी मांगी थी। वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, परन्तु उन्हें इसके लिये बाध्य किया गया। बिहार के कर्नल मिश्र ने नेताजी का जीवन बचाने के लिये अपनी जान की आहुति दे दी, वापस

**आधे घण्टे की चर्चा

** Half-an-Hour Discussion.

लौटी हुई सेना को बचाने के लिये मैसूर के कर्नल यल्लप्पा ने भी अपने जीवन का बलिदान दे दिया। परन्तु अब उनके नाम हमारे रिकार्ड में भी नहीं आते।

आजाद हिन्द सरकार के अथवा आजाद हिन्द फौज के जर्मनी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में अवशेष हैं परन्तु सरकार ने उन्हें इकट्ठा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। सरकार ने सिंगापुर तथा बर्मा में नेताजी के निवास स्थान का अधिग्रहण नहीं किया है। ब्रिटिश सरकार ने सिंगापुर में नेताजी द्वारा आजाद हिन्द फौज के लिये बनाया स्मारक गिरा दिया है, भारत सरकार ने उसे पुनः बनवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है, मोयरंग अथवा कोहीमा में भी आजाद हिन्द फौज का कोई स्मारक नहीं बनाया गया है।

सिद्धान्तों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार आजाद हिन्द फौज के लोग वेतन, पेंशन और भत्ते के अधिकारी हैं परन्तु उन्हें वेतन तथा भत्ते नहीं दिए गए, उसकी बजाय ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा था कि वे आजाद हिन्द फौज में दबाव के कारण भर्ती हुए थे, उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया है। सरकार ने आजाद हिन्द फौज के फौजियों को वेतन, भत्ते तथा सेवानिवृत्ति वेतन देने का कुछ अनमना प्रयत्न किया है। उन्हें अपने वेतन, भत्ते तथा सेवानिवृत्तिवेतन का 25 प्रतिशत नकदी के रूप में दिया जायेगा और शेष 75 प्रतिशत बचत प्रमाणपत्रों के रूप में दिया जायेगा जिनकी नकदी 10 वर्ष के पश्चात मिलेगी। जवानों को 50 प्रतिशत नकद दिया जा रहा है तथा 50 प्रतिशत वचत प्रमाणपत्रों के रूप में दिया जा रहा है।

आजाद हिन्द फौज के विरुद्ध सभी बातों का एक सरकारी घोषणा द्वारा खण्डन किया जाना चाहिए। आजाद हिन्द फौज के सभी जवानों को अथवा उनके पुत्रों को भारतीय सेना में भर्ती कर लिया जाना चाहिए। सरकार को आजाद हिन्द फौज तथा अन्तरिम आजाद हिन्द सरकार के जर्मनी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अवशेषों को एकत्र करने के लिए प्रयास करने चाहियें, नेताजी के निवास स्थानों के अधिग्रहण के लिये बर्मा तथा सिंगापुर सरकार से बातचीत की जानी चाहिये। सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के स्मारक का पुनः निर्माण किया जाना चाहिये। कर्नल अब्दुल मलिक से स्वतन्त्रता का झण्डा भारत में मंगाया जाना चाहिए और उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाना चाहिये। देहरादून मिलिटरी अकादेमी का नाम बदल कर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नाम पर रखा जाना चाहिये। सेना के एक डिवीजन का नाम सुभाष डिवीजन रखा जाना चाहिये। आजाद हिन्द फौज द्वारा वीरता के लिये शुरू किए गए पुरस्कार भारतीय सेना में भी दिये जाने चाहिये। योग्य इतिहासकारों द्वारा आजाद हिन्द फौज का पूरा इतिहास लिखा जाना चाहिए तथा उसे मिलिटरी अकादमियों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

**Shri Beni Shankar Sharma** (Banka) : I would like to know the number of the soldiers of Azad Hind Fauj who are living in the villages near Delhi and what type of life they are leading ? What is the number of those I. N. A. Soldiers who have not got any regular employment so far ? What does the Government propose to do for them.

**Shri Rabi Ray** (Puri) : I would like to know whether it is a fact that the I. N. A. personnel are not being absorbed in the army because the Government of India has declared them rebels ?

**Shri Prem Chand Verma** (Hamirpur) : I would like to know whether Government will accord all the facilities given to regular personnel to the I. N. A. Soldiers who have been absorbed in the Indian army. Will the Government take any concrete steps to provide employment to the former I.N.A. personnel ?

**श्री स० कुण्डू** (बालासौर) : नेताजी सबसे महान नेता थे जिन्हें इस देश ने तथा कांग्रेस दल ने उचित राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया है। इस बात का निर्णय करने के लिये कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को किस प्रकार का राष्ट्रीय सम्मान दिया जाये, एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त करने के बारे में क्या सरकार एक संकल्प पारित करेगी ?

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker in the Chair** ]

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं और इन भावनाओं के सम्मान में ही सरकार ने भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को उनके जब्त किये गये वेतन तथा भत्ते देने का निर्णय किया था तथा पिछले निर्णय रद्द कर दिये थे। इस आधा घंटे की चर्चा का आधार मेरा वह उत्तर है जो मैंने जून मास में दिया था। मैंने उसके पश्चात् कहा था कि हमने पुराने निर्णय बदल दिये हैं तथा भूतपूर्व आई० एन० ए० के लोगों के सारे वेतन तथा भत्ते उन्हें देने स्वीकार कर लिए हैं तथा जो राशि उनकी पहले ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी वह भी वापिस कर दी जायेगी।

कांग्रेस दल को नेताजी की सेना के बारे में बदनाम करना उचित नहीं है। कांग्रेस दल ने ही शाहनवाज खां को केन्द्र में उप-मंत्री बनाया था तथा अन्य जनरलों को भी ऊंचे पद दिए थे जैसे कि जनरल मोहन सिंह तथा भौंसले आदि को ऊंचे पद दिए थे।

यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया था कि नेताजी की सेना के कुछ अधिकारियों को रखा जाये तथा अन्यों को निकाला जाए। परन्तु हमने वह सारे मामले समाप्त कर दिये।

हम सारा धन अभी इस कारण नहीं दे सकते क्योंकि सरकार के पास राशि की तंगी है।

यह सुझाव दिया गया है कि कुछ संस्थाओं का नाम नेताजी के नाम पर रखा जाये। हम इस सुझाव पर विचार करेंगे। जो त्याग नेताजी ने किया हम उसका आदर करते हैं तथा उनसे प्रेरणा लेते हैं और लेते रहेंगे।

---

## साम्प्रदायिक सौहार्द के बारे में वक्तव्य
## STATEMENT RE : COMMUNAL HARMONY

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : अध्यक्ष महोद देश के कुछ भागों में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उससे हम सबको धक्का पहुंचा है।

धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतन्त्र इस देश के दो बड़े स्तंभ रहे हैं और विभिन्न धर्मों के लोग यहां बहुत काल से शान्ति से रहे हैं। इन हाल के दंगों में भी देश के अधिकांश लोग तो शान्ति से ही रहे हैं। इन दंगों से हम सब दुःखी हैं।

सरकार ने इन दंगों की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया है।

मैं सब दलों के नेताओं से अपील कर रही हूं कि हम सब मिलकर देश की एकता के लिये कार्य करें।

**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि एकमत से साम्प्रदायिक दंगों की जो भर्त्सना हुई है उसके कारण अब आगे खून नहीं बहाया जायेगा।

अब हम पश्चिमी बंगाल के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

---

## पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन व मध्यावधि चुनाव के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. PRESIDENT'S RULE AND MID-TERM ELECTIONS IN WEST BENGAL

**श्री पी० राममूर्ति** (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस बात को देखते हुए कि पश्चिमी बंगाल में विधि का शासन नहीं हैं, यह सभा सिफारिश करती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को पश्चिमी बंगाल राज्य की सरकार के सभी कृत्य स्वयं संभाल लेने चाहिए और विधान सभा के लिये शीघ्र और नये चुनावों की व्यवस्था करनी चाहिए।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि इस बात को देखते हुए कि पश्चिमी बंगाल में विधि का शासन नहीं हैं, यह सभा सिफारिश करती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रिपति को पश्चिमी बंगाल राज्य की सरकार के सभी कृत्य स्वयं संभाल लेने चाहिए और विधान सभा के लिये शीघ्र और नये चुनावों की व्यवस्था करनी चाहिए।"

**श्री पी० राममूर्ति** (मदुरै) : केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त दल की सरकार का तख्ता उलट दिया है तथा वहां डा० घोष की सरकार को स्थापित कर दिया है। पश्चिमी बंगाल में आज पुलिस का राज्य है और वह पागलों की भांति कार्य कर रही है।

कलकत्ता में 80,000 पुलिस वाले सारे राज्य से बुला लिये गए हैं तथा 26,000–27,000 हजार रिजर्व पुलिस के लोगों को एकत्रित कर दिया है। वहां की परिस्थितियों को देखकर ओ' डायर के समय की याद ताजा होती है।

कांग्रेस के ही समाचारपत्रों ने जो वहां हो रहा है उसकी निन्दा की है। अमृत वाजार पत्रिका तथा स्टेट्समैन समाचारपत्रों ने वहां की सरकार की निन्दा की है। पुलिस वालों ने समा-

चारपत्र वालों की खूब पिटाई की है तथा उनके कैमरे छीन लिये हैं। पुलिस जीवन बीमा निगम के कार्यालय में घुस गई तथा वहां के कर्मचारियों को पीटा।

एक 17 वर्ष के लड़के के मुंह में लोहे का डंडा दे दिया और जब उसने पीने के लिये पानी मांगा तो उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया। इस सदन की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती रेणु चक्रवती को भी पुलिस ने पीटा। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने पश्चिमी बंगाल के लोगों के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया है।

मुख्य मंत्री बिना पुलिस के दस्ते के अपने कार्यालय से बाहर नहीं जा सकते।

वहां एक कठपुतली सरकार की स्थापना की हुई है। हमारी प्रार्थना है कि वहां मध्यावधि चुनाव कराये जायें ताकि जनता के मत का पता चले।

**श्री अ० कु० सेन** (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) अध्यक्ष महोदय, कानून के राज्य की आज पश्चिमी बंगाल में परीक्षा हो रही है। राज्यपाल ने वहां विधान सभा के सत्र को बुलाया परन्तु अध्यक्ष ने बिना किसी कारण के उसे स्थगित कर दिया। वहां बहुमत को अपना विचार प्रकट करने की भी अनुमति नहीं दी। वहां के मुख्यमंत्री को तो कानून तथा व्यवस्था का बड़ा ख्याल रहता है तथा उन्होंने इसके भंग होने पर गहरी चिन्ता प्रकट की है।

वहां के कर्मचारियों को भड़काया जा रहा है तथा वह कानून अपने हाथ में ले रहे हैं।

मैं स्वयं एक न्यायालय में वकालत कर रहा था कि वहां मेरा तथा न्यायालय का "घेराव" कर दिया। वहां न्यायाधीश को स्वयं महाधिवक्ता को बुलाकर कहना पड़ा कि सरकार से कहे कि उनके कार्य में इस प्रकार की गड़बड़ नहीं की जानी चाहिए। सच तो यह है कि वहां के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं पुलिस का न्यायालय में आना बन्द कर रखा था। इस कारण यह लोग वहां दाखिल हो गये और न्यायालय के कार्य में रुकावट पड़ी।

कलकत्ता की सड़कों पर लड़ाई होती है तथा वहां बम फेंके जाते हैं जिनमें कुछ बम तो विदेशी थे। ईंट फेंकी जाती हैं तथा हजारों पुलिस वाले घायल हो गये हैं और हजारों निर्दोष व्यक्ति भी घायल हो गये हैं।

**एक सदस्य :** यह सब मनघड़ंत है।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि इसी प्रकार रुकावट डाली गई तो मुझे अपनी कुर्सी छोड़कर जाना पड़ेगा। आप मेरे संतोष की परीक्षा कर रहे हैं।

(अन्तर्बाधाएं)

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आपने और बाधा डाली तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

**श्री अ० कु० सेन** (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मेरे ड्राइवर को इतना घायल किया कि मुझे दूसरी गाड़ी में सवारी करके हवाई जहाज लेना पड़ा। ऐसी स्थिति के लिये पुलिस जिम्मेदार नहीं है। यदि ऐसी ही बात होने वाली है तो फिर यह दोनों ओर से होगी। परन्तु हम नहीं चाहते कि कलकत्ता की सड़कों पर लड़ें।

पहले यह लोग डा० घोष को देश भक्त कहते थे जब वह संयुक्त दल में शामिल हुए परन्तु

जिस दिन वह उस से बाहर आ गए यह समझते हैं कि वह देश भक्त नहीं रहा। वह उस समय भी जेल में था जब साम्यवादी दूसरे महायुद्ध में साम्राज्यवादियों का साथ दे रहे थे।

इसी प्रकार हुमायून कबिर के साथ उनका रवैया खराब रहा है। श्री हुमायून कबिर एक राष्ट्रवादी हैं और उन्हें मुसलिम लीग वालों ने पीटा तक था परन्तु वह देश का बटवारा करने के हक में नहीं थे। हमारे भी उनसे मत भेद हैं परन्तु हमने उन्हें देश द्रोही नहीं कहा है। वह किस दल में शामिल होते हैं यह उनका अपना कार्य है। हम तो चाहते हैं कि कानून का पालन हो।

कानून का राज्य नहीं रह सकता यदि सड़क चलते लोगों पर बम फेंके जायेंगे।

मैंने स्वयं अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के गलों में माओत्से तुंग के चित्र लटके देखे। इसके बारे में मैंने उपकुलपति से बात की और उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि यदि वह रुकावट डालते हैं तो उनके घर पर बम फेंक दिया जायेगा।

कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे देश में हैं जिन्हें चीनियों के यहां आने पर कोई दुःख नहीं होगा।

प्रतिपक्ष के सदस्यों को पश्चिमी बंगाल की विधान सभा में शक्ति परीक्षण कराकर यह देख लेना चाहिये कि बहुमत किसके साथ है।

यदि यह सदन कानून का राज्य स्थापित करने में असमर्थ रहा तो सारा संवैधानिक ढांचा समाप्त हो जायेगा और यहां भीड़ का राज्य हो जायेगा।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं इस प्रश्न के संवैधानिक पहलू से बहुत चिन्तित हूं। अब हमारे सामने श्री राममूर्ति बोले और उन्होने कहा कि वहां कानून तथा व्यवस्था समाप्त हो गई है। इसके बाद श्री अ० कु० सेन बोले और उन्होंने भी मान लिया कि यद्यपि वहां मंत्रिमंडल बदल गया है तो भी कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। साथ ही यह बात भी ठीक नहीं कि कानून तथा व्यवस्था के नाम पर अत्याचार किये जायें। हम इन बातों के लिये तो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे।

मैंने स्वयं समाचारपत्रों में तस्वीरें देखीं और देखा कि वहां स्थिति अच्छी नहीं है।

श्री अजय मुखर्जी से राज्यपाल ने कहा कि वहां विधान सभा की बैठक बुलायें परन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। जो आरोप कानून तथा व्यवस्था के भंग होने के एक ओर से लग रहे हैं उनका खंडन दूसरी ओर के सदस्यों ने नहीं किया है। वहां संवैधानिक स्थिति बिगड़ गई है। मैंने स्वयं कलकत्ता विश्वविद्यालय में देखा कि वहां गोलियों के खोखे पड़े हुए थे।

ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति का शासन ही एकमात्र इलाज दिखाई देता है।

**श्री नारायण दांडेकर** (जामनगर) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। इसके बारे में साम्यवादी सदस्यों ने कहा है कि वहां इस समय कानून तथा व्यवस्था नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि वहां कानून का राज्य ही नहीं है।

मैं स्वयं कलकत्ता कई बार जाता रहता हूं और मैंने देखा कि मार्च के महीने से जब तक

अजय मुखर्जी मंत्रिमंडल तोड़ा गया वहां पुलिस को आदेश था कि वह कानून कीं रक्षा न करें। वहां औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में कानून था ही नहीं।

मेरे विचार में तो राज्यपाल ने डा० घोष को मंत्रिमंडल बनाने के लिये कहने में भी गलती की। उसका उचित कार्य तो यह था कि कांग्रेस दल के नेता को बुलाते और कहते कि आपका दल सब से अधिक सदस्यों का दल है, इस कारण आप मंत्रिमंडल बनायें। परन्तु ऐसा किया नहीं गया। अब भी पता नहीं कि कांग्रेस इस मंत्रिमंडल को पूरी तरह समर्थन देगी अथवा नहीं।

वहां के अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया है वह गलत है परन्तु वह निर्णय मौजूद तो है। वहां लोग स्वयं कानून तथा व्यवस्था को तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि वहां कानून तथा व्यवस्था भंग हो गई है। इस कारण वहां के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जाये। इसलिये वहां कांग्रेस को उत्तरदायित्व को संभालना चाहिए था। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या कानून मंत्री इस पर दिये गये संशोधन के कानूनी पहलू पर कुछ कहेंगे।

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :** महोदय, श्री पी० राममूर्ति का प्रस्ताव स्पष्ट है कि वहां राष्ट्रपति का शासन होना चाहिए। परन्तु श्री हुमायून कबिर ने अपने संशोधन में कहा है कि राष्ट्रपति उचित कार्यवाही करें। यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कहती कि क्या करना है। इस कारण यह संशोधन कानूनी रूप से ठीक नहीं है।

**श्री बदरुद्दुजा** (मुर्शिदाबाद) : महोदय, वहां के राज्यपाल ने मनमानी की है तथा वहां अध्यक्ष ने एक असाधारण निर्णय दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 342(2) के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। मंत्रिमंडल को विधान सभा में ही हटाया जा सकता है।

वहां के राज्यपाल ने जो कुछ किया वह वही है जो एक आई० सी० एस० के कर्मचारी से आशा की जा सकती है, वहां उन्होंने कुछ कठपुतलियों को साथ ले रखा है। डा० पी० सी० घोष भी अजय मुखर्जी के ही कारण चुनाव में जीत सके थे।

जो कुछ वहां हो रहा है वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहां लोगों पर अत्याचार हो रहा है।

फिर भी श्री सेन कहते हैं कि प्रफुल्ल घोष ने जनता में विश्वास स्थापित कर दिया है। यह वह कैसे कह सकते हैं ? उन्हें चाहिए कि वहां की जनता के सामने जायें। बंगाल में यह शक्ति सदा रही है कि वह अत्याचार के आगे झुका नहीं है तथा ब्रिटिश साम्राज्य तक को उसने हिला दिया था। बंगाल के विद्यार्थी आज भी मर नहीं गये हैं तथा शीघ्र ही वह प्रफुल्ल घोष को बाहर निकाल देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं वहां हुए अत्याचार की भर्त्सना करता हूं। तथा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** (रायगंज) : महोदय, इस सभा के सामने जब भी राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा हुई तो विरोधी पक्ष के सदस्यों ने उसका विरोध किया। परन्तु आज वह विरोध समाप्त हुआ दिखाई देता है।

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair** ]

साम्यवाद दल यह सिद्ध करना चाहता है कि या तो उन्हें राज्य करने दिया जाये अन्यथा वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। जो सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि यह समझें कि कहीं साम्यवादियों के जाल में न फंस जायें। श्री अजय मुखर्जी के साथ केवल साम्यवादियों के दो दल तथा साम्यवाद (नक्सलवाड़ी) हैं।

जब नक्सलवाड़ी में विद्रोह चल रहा था तो हमने उस मामले को यहां उठाने का प्रयास किया परन्तु यहां यह तर्क दिया गया कि वह राज्य सरकार का मामला है तथा उसे यहां उठाया नहीं जा सकता। परन्तु अब यह स्वयं उस मामले को यहां उठाना चाहते हैं।

पश्चिमी बंगाल के संकट के लिए वहां के अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि मंत्रिमंडल को रद्द कर सके। राज्यपाल के कार्य का पता विधान सभा की बैठक में हो जाता परन्तु उसकी बैठक अध्यक्ष ने होने ही नहीं दी।

एक सदस्य महोदय ने स्टेट्समैन समाचारपत्र के सम्पादकीय का भी उल्लेख किया। परन्तु मैं उनका ध्यान उसी समाचारपत्र के एक और सम्पादकीय की ओर खींचना चाहता हूं। जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष को पंजाब के अध्यक्ष का अनुसरण करना चाहिए था। वामपंथी चाहते हैं कि केवल वही हो जो वह चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि इस प्रस्ताव को रद्द कर देना चाहिए।

**Shri Shri Chand Goel** (Chandigarh) : Sir, now we have before us both sides of the picture. We know the atrocities committed by the police and the army there. You cannot run a Government with the help of the police and the army. Congress has not yet learnt how to conduct itself as an opposition party. Congress wants to occupy power through the back door. Heavens would not have fallen if the West Bengal legislature would have been called a few days later. The Government brought in West Bengal has been brought in a wrong manner. They have thrown the duly constituted Government into the wastepaper basket. There should be President's rule in Bengal as well as in Punjab and that should be followed by mid-term poll.

**श्री हुमायून कबिर** (बसिरहाट) : महोदय, दो प्रश्न मेरे सामने हैं। एक तो यह कि वहां कानून तथा व्यवस्था भंग हुई है अथवा नहीं और दूसरे संवैधानिक परिणाम। मैं श्री दांडेकर के साथ सहमत हूं कि कानून तथा व्यवस्था को खतरा अवश्य है परन्तु वह समाप्त नहीं हो गया है। अब तो परिस्थिति में सुधार हो गया है। बंगाल में 21 नवम्बर से आज तक 106 व्यक्ति घायल हुए और उनमें 6 स्पताल में हैं तथा 207 बसों को तोड़ा गया। तीन दुकानों को लूटा गया।

इसलिये वहां कानून तथा व्यवस्था को खतरा है परन्तु वह भंग नहीं हुई है। मेरे विचार में डा० घोष को जिनकी आयु 76 वर्ष है, बधाई मिलनी चाहिये।

अब मैं संवैधानिक प्रश्न पर आता हूं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाये जहां एक मंत्रिमंडल अल्पमत में हो परन्तु विधान-सभा का सामना करने को तैयार न हो। यद्यपि पश्चिमी बंगाल में 147 सदस्य डा० घोष के पक्ष में थे परन्तु विरोधी पक्ष ने उन्हें कार्य ही नहीं करने दिया। इससे दिखाई देता है कि संविधान में दो त्रुटियां हैं। एक तो यह कि राज्यपाल विधान सभा को बुला नहीं सकता परन्तु जो मंत्रिमंडल विधान सभाकी बैठक बुलाने को तैयार नहीं हैं उसे वह बर्खास्त कर सकता है। मेरा सुझाव यह है कि यदि एक-तिहाई सदस्य विधान सभा का सत्र बुलाना चाहें तो उन्हें यह अनुमति होनी चाहिये कि 7 दिन में सत्र बुलाना होगा। परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही छः मास में केवल एक बार ही हो सकेगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमें सभा स्थगन के बारे में "हाउस ऑफ कामन्स" की नकल करनी चाहिये। वहां अध्यक्ष सभा का स्थगन केवल सभा की अनुमति से ही करता है, अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं ही उसका स्थगन कर दे। यदि ऐसा कर लिया गया तो सरकार तथा विधान मंडल अपना कार्य ठीक रूप में कर सकेगा।

**श्री विश्वनाथन** (वंडीवाश) : अभी कुछ दिन पूर्व श्री चह्वाण ने "आया राम तथा गया राम" के बारे में बहुत कुछ कहा है परन्तु कांग्रेस वालों के स्वयं कहने तथा करने में बड़ा अन्तर है। सब दल बदलने वालों को जिनमें पी० सी० घोष तथा लछमनसिंह गिल भी शामिल हैं, कांग्रेस ने न केवल प्रोत्साहित किया है अपितु इनाम भी दिया है। श्री अजय कुमार मुखर्जी के मंत्रिमंडल के भंग करने का आदेश भी केन्द्रीय सरकार ने दिया था।

कांग्रेस बिना जिम्मेदारी के शक्ति चाहती है। श्री दांडेकर ने कहा कि श्री अजय कुमार मुकर्जी के समय पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था नहीं थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक गलती का उत्तर दूसरी गलती करने में है ? बंगाल में मध्यावधि चुनाव होने चाहियें और वह भी बहुत शीघ्र।

**श्री कृष्ण कुमार चटर्जी** (हावड़ा) : जिस किसी के पास भी थोड़ी सूचना थी वह जानता है कि अजय मुखर्जी का समय ऐसा था जिसकी सबको भर्त्सना करनी चाहिये।

मुझे याद है कि हमने वहां खाद्यान्न संकट के बारे में एक लाख व्यक्तियों का जलूस निकालना चाहा परन्तु हमें राईटर्स बिल्डिंग तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। गुंडों को अनुमति दे दी गई कि वह जलूस वालों को पीटें और भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री विजय सिंह नाहर को तथा विरोधी दल के नेता श्री खागन दास गुप्ता के साथ हाथापाई की गई। कानून तथा व्यवस्था नाम के लिये भी नहीं थी।

उस समय कारखाने बन्द हो गये तथा 150,000 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया था।

यहां राज्यपाल की भर्त्सना की जाती है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह एक अल्पमत प्राप्त मंत्रिमंडल को शासन में रखता ? ऐसा करना संविधान के विरुद्ध होता। जो आज राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं उनके मन में संविधान के प्रति कोई आदर नहीं है।

**श्री ही० ना० मुखर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्री बदरुद्दुजा के भाषण के पश्चात मैंने समझा था कि सदन में इस विषय की ओर कुछ गंभीरता आ जायेगी परन्तु ऐसा हुआ नहीं है। और तो और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पर पुलिस द्वारा आक्रमण की भी निन्दा नहीं की गई। लोक-सभा के हम 15 सदस्य पश्चिमी बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष से मिले और उन्होंने हमें बताया कि उनके द्वारा दिया गया निर्णय अस्थाई है तथा अन्तिम निर्णय दिया जायेगा। परन्तु राज्यपाल के निर्णय ने अब उसके लिये कोई स्थान ही नहीं छोड़ा।

हमारा प्रस्ताव बिल्कुल सीधा है तथा वह अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत है। हमारा कहना है कि पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था नहीं है। वहां की राज्य सरकार को हम गैर-कानूनी समझते हैं। वहां समाचार-पत्रों के फोटोग्राफरों पर आक्रमण किया गया। अंग्रेजी के समाचार-पत्र स्टेट्समैन ने वहां जो कुछ हो रहा है उसकी निन्दा की है। उसके अनुसार अब वहां 9300 व्यक्ति कारागार में बन्द हैं। जाधवपुर तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने पुलिस की विश्वविद्यालय में दाखिल होने की कार्यवाही की भर्त्सना की है। कलकत्ता की सारी शैक्षणिक संस्थायें बन्द पड़ी हैं।

सुप्रसिद्ध कलाकार सत्यजीत राय ने एक समिति द्वारा इसकी जांच कराई है और बताया है कि वहां के एक विद्यार्थी श्री चक्रवर्ती को 24 नवम्बर को कालेज के सदन से बन्दी बनाया था तथा लाल बाजार सेन्ट्रल थाने में बन्द कर दिया गया तथा उस पर अत्याचार हो रहा है। वहां लोगों के हाथ ऊँचे किये गये तथा पीछे से उन्हें पीटा गया। कलकत्ता में अब वही हो रहा है जो केरल में हो रहा था। क्या आप बंगाल को बेचैनी में रखेंगे। हिटलर के समय भी आरम्भ में एक बिशेष वर्ग के साथ अन्याय किया गया जिन्हें साम्यवादी कहते थे। परन्तु बाद में उनसे कोई भी नहीं बच सका। वही अब कांग्रेस कर रही है।

मेरा कहना यह है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन कायम किया जाये और उसके कुछ समय बाद वहां चुनाव कराये जायें तथा वहां की कठपुतली सरकार को हटा दिया जाये जो वहां अत्याचार कर रही है।

**Shri Deven Sen** (Asansol): Sir, the people of West Bengal supported Shri Ajoy Mukerjee because he was against Congress. Although the price of rice during the Congress regime was @ Rs. 2/- per kilo whereas during the regime of Shri Ajoy Mukerjee it was @ Rs. 4/- per kilo, yet the people favoured Shri Ajoy Mukerjee. When the Congress could not remove Shri Ajoy Mukerjee otherwise, they hatched a conspiracy with British Capitalism which is concentrated most in West Bengal and removed Shri Ajoy Mukerjee.

We want the President's rule to be imposed there.

I support the motion.

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल ने जब भी लोकतन्त्र को खतरा हुआ है विद्रोह का झंडा उठाया है। डा० पी० सी० घोष की तीन सप्ताह की सरकार ने लाठी, गोली तथा घेराओ का राज्य स्थापित कर दिया है। वहां 10,000 व्यक्तियों को बन्दी बना दिया है।

यह सोचना गलत है कि बंगाल के लोग माओ समर्थक बन गये हैं। डा० पी० सी० घोष को भ्रष्टाचार-विरोधी समझा जाता था परन्तु अपने जीवन के अन्तिम दिनों में वह भ्रष्टाचार समर्थक बनते दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में वहां अतुल्य घोष अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं।

मैं वहां मध्यावधि चुनाव के हक में नहीं हूं क्योंकि इससे वहां और समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि यह करना ही है तो सारे भारत में कराओ। इस कारण मैं राष्ट्रपति के राज्य के तो हक में हूं परन्तु मध्यावधि चुनाव के हक में नहीं हूं।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar): Are you prepared to send a parliamentary delegation to this place in the way in which you sent one to Naxalbari?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : महोदय, मैं इस चर्चा में निष्पक्ष रहने का प्रयत्न करूंगा। मुझे स्वयं बहुत बुरा लगा जब मैंने सुना कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा कुछ समाचार-पत्र वालों को पुलिस ने पीटा है।

कुछ सदस्य चाहते हैं कि वहां राष्ट्रपति का शासन हो जाये। जब तक वहां कानून तथा व्यवस्था भंग नहीं होती। राष्ट्रपति का शासन नहीं होता। हां, वहां जानबूझकर कानून तथा व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति का शासन हो जाये। यह उचित नहीं है। पश्चिमी बंगाल में एक विधिवत् सरकार है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि वहां नये चुनाव क्यों नहीं कराते। मेरा कहना यह है कि आप आन्दोलन वापिस ले लो और विधान-सभा में मतदान होने दो। वहीं सब कुछ पता चल जायेगा कि बहुमत सरकार के साथ है अथवा नहीं।

जब तक वहां की विधिवत सरकार को खतरा बना हुआ है। सरकार वहां जो कुछ कर रही है, उसे करने का अधिकार है।

**श्री पी० राममूर्ति** (मदुरै) : महोदय, श्री सेन के भाषण को सुनते हुए मुझे वह बात याद आई कि यदि आपके पास तर्क अच्छे नहीं हों तो चिल्लाना आरंभ कर दो।

वहां पश्चिमी बंगाल में जो हजारों व्यक्ति धारा 144 को तोड़ रहे हैं उन्हें चीन के एजेंट कहा जाता है। यह ठीक नहीं है। सरकार के मत के संवैधानिक शास्त्री विरुद्ध हैं। उच्चतम न्यायालय के विचार के लिये यह मामला भेजने को तैयार नहीं है। पश्चिमी बंगाल के लोग

राज्यपाल का निर्णय मानने को तैयार नहीं हैं। वहां के अध्यक्ष ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। यदि आप आज विधान सभा की बैठक बुलाना चाहते हो तो वहां की सरकार को रद्द करो। आज कांग्रेस जनता के निर्णय से डरती है। कांग्रेस का अन्त भी अब निकट आ रहा है और यह बंगाल से हटा कर बंगाल की खाड़ी में फैंक दी जायेगी।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया।**

**लोकसभा में मत विभाजन हुआ।**

**Lok Sabha divided**

**पक्ष में : 44; विपक्ष में : 127**

Ayes : 44; Noes : 127

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was negatived**

**इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार 23 दिसम्बर, 1967/2 पौष, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, December 23, 1967/Pausa 2, 1889 (Saka).**



Tej Kumar Press, Lucknow—24-8-68—600.